पंचम माला, खंड 63, अंक 9, सोमवार, 23 अगस्त, 1976/1 भाद्र, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXIII, No. 9, Monday, August 23, 1976/ Bhadra 1, 1898 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[ सत्रहवां सत्र
**Seventeenth Session** ]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक हैं
**Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10**]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

# विषय सूची/ CONTENTS

अंक 9, सोमवार, 23 अगस्त, 1976/1 भाद्र, 1898 (शक)

*No. 9, Monday, August 23, 1976 /Bhadra 1, 1898 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | PAGES |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | Oral Answers to Questions— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 164, 167, 169, 171, 173 से 175 और 177 | Starred Questions Nos. 161 to 164, 167, 169, 171, 173 to 175 and 177 . | 1—19 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | Written Answers to Questions— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 165, 168, 170, 172, 176 और 178 से 180 | Starred Questions Nos. 165, 168, 170, 172, 176 and 178 to 180 . . | 20—23 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 से 1267, 1269 से 1276 और 1278 से 1294 | Unstarred Questions Nos. 1179 to 1267, 1269 to 1276 and 1278 to 1294 . | 23—90 |
| 'करन्ट' साप्ताहिक में प्रकाशित एक समाचार के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न | Question of privilege re. News item published in *'Current'* Weekly . . . . | 90—91 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table . . | 92—94 |
| अतिरिक्त अनुदान की मांग (सामान्य), 1973-74 | Demand for Excess Grant (General), 1973-74 | 94 |
| हिन्दुस्तान पैट्रोलियम में 'एस्सो' के शेष शेयरों के सरकार द्वारा अर्जन के बारे में वक्तव्य— | Statement re. Acquisition of remaining shares of ESSO in Hindustan Petroleum Corporation Ltd.— | |
| श्री के० डी० मालवीय | Shri K. D. Malaviya . . . . . | 94—95 |
| कोरबा उर्वरक परियोजना के बारे में वक्तव्य— | Statement re. Korba Fertiliser Project— | |
| श्री पी० सी० सेठी | Shri P. C. Sethi . . . . | 95 |


किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | SUBJECT | PAGES |
|---|---|---|
| तमिलनाडु के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा के लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत | Statutory Resolution re. continuance in force of Proclamation in respect of Tamil Nadu—Adopted | 95—106 |
| श्री दीनेन भट्टाचार्य | Shri Dinen Bhattacharyya | 96—98 |
| श्री के० गोपाल | Shri K. Gopal | 98—99 |
| श्री एम० कतामुतु | Shri M. Kathamuthu | 100-101 |
| श्री आर० वी० स्वामीनाथन | Shri R.V. Swaminathan | 101-102 |
| श्री ओ० वी० अलगेसन | Shri O.V. Algesan | 102 |
| सरदार स्वर्ण सिंह सोखी | Sardar Swaran Singh Sokhi | 103 |
| श्री हरी सिंह | Shri Hari Singh. | 103 |
| श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे | Shri Annasaheb Gotkhinde | 103 |
| डा० हेनरी आस्टिन | Dr. Henry Austin | 103-04 |
| स्वामी ब्रह्मानन्द | Swami Brahmanand | 104 |
| श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी | Shri K. Brahmananda Reddy | 105-06 |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु), 1970-77 | Supplementary Demands for Grants (Tamil Nadu), 1976-77 | 107—112 |
| श्री दीनेन भट्टाचार्य | Shri Dinen Bhattacharyya | 108 |
| श्री ओ० वी० अलगेसन | Shri O.V. Algesan | 108-09 |
| श्री एम० कतामुतु | Shri M. Kathamuthu | 109-10 |
| श्री आर० वी० स्वामीनाथन् | Shri R.V. Swaminathan | 110 |
| श्री अरविन्द बाला पजनोर | Shai Arvinda Bala Pajanor | 110 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri | 110 |
| श्रीमती सुशीला रोहतगी | Shrimati Sushila Rohatgi | 111 |
| तमिलनाडु विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976—पुरःस्थापित | Tamil Nadu Appropriation (No. 3) Bill, 1976—Introduced | 113 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider | 113 |
| श्रीमती सुशीला रोहतगी | Shrimati Sushila Rohatgi | 113 |
| खण्ड 2, 3 और 1 | Clauses 2, 3 and 1 | 113 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass | 113 |
| श्रीमती सुशीला रोहतगी | Shrimati Sushila Rohatgi | 113 |

| विषय | SUBJECT | PAGES |
|---|---|---|
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी), 1976–77 | Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1976-77 . . . | 114 |
| श्री एम० कतामुतु | Shri M. Kathamuthu . . . | 114 |
| श्री अरविन्द बाला पजनोर | Shri Aravinda Bala Pajanor . . | 114—15 |
| श्रीमती सुशीला रोहतगी | Shrimati Sushila Rohatgi . . . | 116 |
| पांडिचेरी विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976—पुरःस्थापित | Pondicherry Appropriation (No. 3) Bill, 1976—Introduced . . . . . | 116 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider . . . . . | 116 |
| श्रीमती सुशीला रोहतगी | Shrimati Sushila Rohatgi . . . | 116 |
| खण्ड 2, 3 और 1 | Clauses 2, 3 and . . . . . | 117 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to consider . . . . . | 117 |
| श्रीमती सुशीला रोहतगी | Shrimati Sushila Rohatgi . . . | 117 |
| बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक | Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisation) Bill . . | 118 |
| और | and | |
| ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक— | Braithwaits and Company (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill . . . . . | 118 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider . . . . . | 118 |
| श्री बी० पी० मौर्य | Shri B.P. Maurya. . . . . | 118-19 |
| श्री दीनेन भट्टाचार्य | Shri Dinen Bhattacharyya . . . | 120-21 |

# लोक-सभा
## LOK SABHA

सोमवार, 23 अगस्त, 1976/1 भाद्र 1898 (शक)
*Monday, August 23, 1976/Bhadra 1, 1898 (Saka)*

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### खेलों के सम्बर्धन के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम

***श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेल कूद के सम्वर्धन के लिये कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या हैं ;

(ग) खेल कूद के राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धन के लिये गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितनी धनराशि नियत की गई ; और

(घ) मांट्रियल ओलम्पिक खेलों में खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुये क्या इस राशि में वृद्धि की जाएगी ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11179/76] ।

**श्री नारायण चन्द पराशर** : विवरण से प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय ने भारत में खेल-कूद के संवर्धन के लिये बड़ी-बड़ी आशायें रखी थीं । लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है ।

मैं इस सम्बन्ध में लोक सभा की प्राक्कलन समिति के 79वें प्रतिवेदन का जिक्र करता हूं जिसमें मंत्रालय ने समिति को यह उत्तर दिया है कि खेलकूद के लिये दी गई सहायता पर्याप्त नहीं है। इसमें कहा गया है कि :—

"खेलकूद परिषद् के लिये हमने योजना में 20 लाख रुपये का नियतन किया है। पुनरीक्षित अनुमान में इसे कम करके 10 लाख रुपये किया गया।"

इसमें आगे कहा गमा है कि :—

"आंध्र में खेलकूद पर प्रति व्यक्ति आय 10 से 18 पैसे, आरम्भ में इससे कुछ अधिक तथा पंजाब में 41 पैसे है।"

यह व्यय हर राज्य में समान नहीं है।

दूसरी खेदजनक बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में खेलकूद के संवर्धन तथा मार्गदर्शन के लिये नेहरू युवक केन्द्र की स्थापना का जिक्र किया गया है। मार्च, 1976 में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि कुल स्वीकृत 185 नेहरू युवक केन्द्रों में से केवल 93 ही केन्द्र खोले गये। अभी लगभग आधे केन्द्र खोले जाने के लिये हैं और राशि का नियतन भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में खेलकूद संवर्धन सम्बन्धी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से हम क्या आशा रख सकते हैं।

मंत्री महोदय हमें बतायें कि खेलकूद के लिये जितना भी वित्तीय नियतन होता है, क्या वे उससे सन्तुष्ट हैं क्योंकि प्राक्कलन समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में बहुत कम नियतन का जिक्र किया है। इतने कम नियतन और हर स्तर पर बुनियादी ढांचे के अभाव आदि की स्थिति में मोंट्रियल में निराशाजनक प्रदर्शन होना स्वाभाविक ही है।

**श्री अरविन्द नेताम :** माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या मैं सन्तुष्ट हूं अथवा नहीं। यह एक कठिन प्रश्न है और कोई भी मंत्री नियत की गई राशि से सन्तुष्ट नहीं होता। मेरे मंत्रालय के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1378 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया और सन्तुष्ट होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

**श्री वसन्त साठे :** क्या यह राशि पांच वर्षों के लिये है ?

**श्री अरविन्द नेताम :** हां यह कुल परिव्यय है। सन्तुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न यह है कि नियत की गई राशि का उपयोग कैसे किया जाये। जहां तक नेहरू युवक केन्द्रों का प्रश्न है अब तक 108 नेहरू युवक केन्द्र काम कर रहे हैं और वास्तव में यह समस्या राज्य सरकारों की है और हम राज्य सरकारों के साथ इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर :** यह बात स्पष्ट है कि कुल स्वीकृत 185 में से 108 काम कर रहे हैं। 9 मार्च, 1976 के बाद, जब 93 केन्द्र काम कर रहे थे, केवल 15 अन्य केन्द्र खोले गये। यह हमारे खेलकूद के लिये एक बुनियादी ढांचा है।

समूची नीति, समूची राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों की अनेक परिषदों के निर्णय तथा परामर्श के अनुचित चयन निष्फल कर सकता है।

इलस्ट्रेटिड वीकली के 14 अगस्त, तथा 21 अगस्त, 1974 के अंकों में प्रकाशित "हू बंगल्ड अवर चांसिज, फोर द हाकी गोल्ड" शीर्षक के लेख की ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। इस

लेख में कहा गया है कि "बाबू" ने मौंट्रियल गये हमारे पांच खिलाड़ियों की अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में क्षमता के बारे में यह टिप्पणी की थी कि उनमें अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने योग्य क्षमता और शक्ति नहीं है। फिर भी उन्हें भेजा गया। तो स्थिति यह है। एक राज्य से यह दलील आती है कि "इस व्यक्ति को चुना जाये"। इन सब बातों का परिणाम देख ही लिया है। मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : आप उदाहरण प्रस्तुत न करें। आप अपना प्रश्न पूछ बैठे हैं।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** : मैं कहना चाहूंगा . . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : आप जानने के लिये ही पूछें।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** : मैं जानना चाहता हूं कि खेलकूद सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति को सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों रूप में, हर स्तरों पर विशेषतः चयन तथा वित्तीय नियतन के मामले में पूर्णतः कार्यान्वित किया जाये।

**श्री अरविन्द नेताम** : जहां तक किसी राष्ट्रीय टीम के चयन का सम्बन्ध है, यह कार्य सम्बन्धित खेल के राष्ट्रीय क्रीड़ा संघ का होता है। यह कार्य मेरा मंत्रालय नहीं करता। इसलिये चयन का कार्य केवल संघ द्वारा ही किया जाता है। सरकार किसी भी खिलाड़ी के चयन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अतः यह कहना मेरे लिये बहुत कठिन है . . .

**अध्यक्ष महोदय** : यह जानना चाहते हैं कि क्या चयन में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है या इसके लिये कोई दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** : मैं किसी विशेष खेल का उल्लेख कर रहा हूं।

**श्री अरविन्द नेताम** : माननीय सदस्य ने हाकी दल के चयन का उल्लेख किया है। मैं निवेदन करता हूं कि इसी दल ने गत वर्ष क्वालालम्पुर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था और इसी दल ने इस बार इतना बुरा खेला है . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि यह दल एक वर्ष पुराना हो गया था, इसका भी कुछ असर पड़ता है। यह वही दल था।

**श्री अरविन्द नेताम** : यह सही है कि हमारा यह हाकी दलएक वर्ष पुराना हो गया था। यह सही नहीं है कि चयन गलत ढंग से हुआ है। मैं सभा को याद दिला दूं कि चयन के बाद इस पुरानी टीम के खिलाड़ियों के बारे में कहीं भी किसी प्रकार की टीक टिप्पणी नहीं की गई।

**श्री वसन्त साठे** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चयन के मामले में इन संघों के कार्यकरण के लिये कोई निश्चित मान-दंड तैयार किया गया है। संघों के अपने भी कुछ नियम होंगे। माननीय मंत्री ने अभी-अभी बताया है कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किन्तु क्या आप यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश नहीं करोगे कि वे चयन करने में अपने नियमों का पालन करें। तैराकी संघ के नियमों में अभी भी यह उपबन्ध है कि राज्यों के एसोसिएशन खिलाड़ियों की सिफारिश करके उनका चयन करेंगे। अब वे तदर्थ चयन करते हैं। इसका कारण यह है कि कार्यकारणी में नियुक्त किये गये कुछ व्यक्ति पक्षपात करते हैं। इतना ही नहीं उन व्यक्तियों की नियुक्ति

श्री नियमों के विरुद्ध की जाती है। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि ये संघ कम से कम अपने नियमों का तो पालन करें ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार चयन के मामलों में किस तरह नियंत्रण तथा निगरानी रखती है ?

**श्री अरविन्द नेताम :** जैसा कि मैं कह चुका हूं कि प्रत्येक संघ की अपनी चयन समिति होती है और वही चयन समिति टीम का चयन करती है ।

**अध्यक्ष महोदय :** उनका प्रश्न यह है कि क्या संघों ने अपने नियमों का पालन किया है या चयन तदर्थ आधार पर किये गये हैं ।

**श्री वसन्त साठे :** संघ के कुछ पदेन सदस्यों ने पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद बरता है . . . . . (व्यवधान) ।

**श्री अरविन्द नेताम :** जब कभी हमें किसी से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम उसकी जांच करते हैं। मैं इस मामले पर विचार करूंगा ।

**श्री वसन्त साठे :** क्या आप उन पर किस तरह की निगरानी या नियंत्रण रखते हैं ?

**श्री अरविन्द नेताम :** नहीं श्रीमान् ।

**श्री वसन्त साठे :** तो फिर आप वहां किस लिये हैं ।

**श्री दिनेश चन्द गोस्वामी :** माननीय मंत्री ने कहा है कि जिस हाकी दल ने क्वालालम्पुर में हमें सम्मान दिलाया था वही दल मांट्रियल भी गया है। किन्तु क्या यह सही नहीं है कि जिन विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षकों ने क्वालालम्पुर में हमारी सहायता की थी, मांट्रियल के लिये वे नहीं थे। यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय हमें इसका कारण बता सकते हैं ? क्या यह भी सही नहीं है कि हमारी हाकी दल के खिलाड़ियों ने मैनेजर के विरुद्ध एक अभ्यावेदन पेश किया है। क्या मंत्री जी सभा को विश्वास में लेकर यह बतायेंगे कि उनकी क्या शिकायत थी ?

तीसरे, मांट्रियल में हुई हमारी हर पर पछतायें बगैर क्या सरकार ने 1980 में मास्को में होने वाले ओलम्पिक खेलों तथा 1982 में भारत में होने वाले एशियायी खेलों के बारे में पुनः विचार किया है। क्या सरकार कोई ठोस दृष्टिकोण अपनायेगी और अभी से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाकार उन्हें इन खेलों के लिये प्रशिक्षण देगी ? क्या सरकार अभी से धन आदि की व्यवस्था सहित समुचित प्रबन्ध करेगी ? क्या सरकार ने इस ओर विचार किया है ?

**श्री अरविन्द नेताम :** यह सही है कि क्वालालम्पुर में जो व्यक्ति प्रशिक्षक के रूप में भेजा गया था वही व्यक्ति मांट्रियल में नहीं भेजा गया। जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है चाहे प्रशिक्षक हो अथवा मैनेजर, उनकी नियुक्ति संघ द्वारा ही की जाती है न कि सरकार द्वारा ।

**श्री बसन्त साठे :** फिर आपका क्या काम रह गया ?

**अध्यक्ष महोदय :** स्पष्टतया उनका कार्य निगरानी रखना है ।

**श्री अरविन्द नेताम :** जैसा कि मैंने कहा है कि जहां तक प्रशिक्षक तथा मैनेजर का सम्बन्ध है, उनकी नियुक्ति संघ द्वारा की जाती है न कि सरकार द्वारा। जहां तक हाकी दल के अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायत का सम्बन्ध है, हमें इसका पता विभिन्न स्रोतों से चला है किन्तु हम संघ से प्रमाणिक रिपोर्ट देने के लिए कह रहे हैं।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या अब आप मास्को ओलम्पिक तथा 1982 के एशियाई खेलों के लिए व्यापक रूप से योजना बना रहे हैं ?

**श्री अरन्विद नेता :** हां, श्रीमान्। यह विचाराधीन है।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** हाल ही में मांट्रियल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के असन्तोषजनक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार खेलों के प्रति नई नीति अपनाएगी ? मन्त्री जी के लम्बे चौड़े विवरण से ऐसा लगता है कि सरकार ने हर सम्भव प्रयास किया है। जर्मन जनवादी जनतन्त्र तथा सोवियत संघ जैसे देशों में, जिन्होंने मांट्रियल ओलम्पिक खेलों में भाग लिया है, बड़े पैमाने पर खेल आन्दोलन चल रहा है। इन देशों में बचपन से ही लाखों बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। क्या सरकार इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाएगी ? क्या सरकार देश में खेल आन्दोलन चलाकर इसके लिए धन तथा प्रतिभा की व्यवस्था करेगी ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में समूची नीति पर पुनः विचार करेगी ?

**श्री अरविन्द नेताम :** जहां तक खेलों के सम्बन्ध में सरकारी नीति का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि हम देश में खेलों को व्यापक आधार देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यह सब धन पर निर्भर करता है। हमें जितना धन दिया जाता है, उससे हम इस क्षेत्र में अधिकाधिक प्रगति करने का प्रयास करते हैं।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** हम उचित समय पर इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

**श्री वसन्त साठे :** तीन या चार प्रश्न पूछ लेने से कुछ नहीं होगा। इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

**अध्यक्ष महोदय :** इस विषय को बाद में देखेंगे।

**श्री वसन्त साठे :** हमने सूचना दे रखी है।

## पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चावल का बफर स्टाक बनाने के लिए अनुमति मांगा जाना

***162. श्री आर० एन० बर्नन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमी के समय मांग को पूरा करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार ने फालतू अनाज वाले राज्यों से क्रय करके दस हजार टन चावल का बफर स्टाक बनाने की केन्द्र से अनुमति मांगी है: और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री आर० एन० बर्मन** : पश्चिम बंगाल के लिए चावल के स्टाक का कितना लक्ष्य है और कितना इकट्ठा कर लिया गया है ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : कृषि मूल्य आयोग ने 4 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर इस लक्ष्य को कम करके 3 लाख टन कर दिया है और इसकी वसूली 2.91 लाख टन हो गई है ।

**श्री बी० के० दास चौधरी** : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए नकारात्मक उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष हुई अच्छी फसल को मद्दे नजर रखते हुए क्या राज्य सरकार को चावलों का भारी स्टाक जमा करने की जरूरत पड़ेगी । क्या खाद्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार को स्टाक जमा करने के लिए पर्याप्त रूप से सहायता देगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि वे ऐसा नहीं चाहते । इस पर वाद-विवाद क्यों किया जाये ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : उन्होंने बताया है कि उन्होंने 2.91 लाख टन की वसूली कर ली है। लक्ष्य क्या है ?

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने 3 लाख टन कहा है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : सामान्य रूप से अखिल भारतीय स्तर पर इस वर्ष वसूली अच्छी हुई है । क्या उन्हें पता है कि पश्चिम बंगाल में यह 3 लाख टन की वसूली क्यो नहीं हो पाई है ।

**श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे** : जैसा कि मैंने कहा है कि राज्य सरकार ने भरसक प्रयत्न किया है । इस का पता माननीय सदस्य को भी है । गत कुछ वर्षों की तुलना में इस वष वसूली काफी अच्छी हुई है । निस्संदेह हमें भी उम्मीद है कि राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया होगा । लेनिक उन्होंने भी भरसक प्रथास किया है ।

## शिक्षाविदों का सम्मेलन

***163. श्री पी० गंगादेव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1976 में दिल्ली में सुप्रसिद्ध शिक्षा-विदों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाने और अतिरिक्त दो अवस्थाओ में 'सेमिस्टर' पद्धति आरम्भ करने पर चर्चा की गई थी; और

(ग) अन्य किन विषयो पर चर्चा की गई थी और उसका क्या परिणाम निकला है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पद्धति तथा उसके व्यवसायीकरण पर विचार-विमर्श करना था। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में दाखिले की नीति, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए स्कूलों के स्थान का पता लगाना, शैक्षिक तथा व्यवसायिक विषयों के लिए पाठ्यक्रमो की पद्धति तथा विषय वितरण करने, व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य बातों व्यावसायी पाठ्यक्रमों के लिए विषय चुनने का मार्ग-निर्देशन करने हेतु जिला स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करने, व्यावसायिक अध्ययन का समन्वय, व्यावसायिक तथा शक्षिक विषयों को एकीकृत करने हेतु पाठ्यक्रमों की प्रणाली, पद्धति में अंश-कालिक अध्ययन और अन्य पाठ्यक्रमों को मिलाने, अध्यापक-पाठ्यक्रमो का प्रशिक्षण, इन पाठ्यक्रमों का महत्व तथा मान्यता देने, सेमिस्टर प्रणाली शुरू करने तथा ग्रेड देने और क्रेडिट पद्धति पर भी विचार-विमर्श हुआ ।

इन विषयों पर एक ड्राफ्ट पेपर रा० शि० अ० और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सम्मेलन में परिचालित किया गया। सम्मेलन में की गई टिप्पणियां तथा सिफारिशों के आधार पर उस ड्राफ्ट पेपर का संशोधन किया गया है । राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यचर्चा-समिति इस पेपर को अंतिम रूप देने के लिए सितम्बर, 1976 में अपनी बैठक करेगी। इस पेपर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे स्वीकार करने तथा कार्यान्वयन के लिए राज्यों तथा अन्य प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

सम्मेलन के अन्त में जारी किए गए विवरण की एक प्रतिलिप संसद पुस्तकालय में रख दी गई है। इस विषय पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने 17 जुलाई, 1976 को विचार-विमर्श किया गया था। स्थायी समिति ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा उस व्यावसायीकरण पर जून, 1976 के शुरू में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के विचार-विमर्श का स्वागत करते हुए यह सिफारिश की कि रा०शि०अ० और प्रशिक्षण परिषद् को व्यावसायीकरण संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को विशेषज्ञ सलाह तथा विस्तृत मार्गनिर्देशन प्रदान करना चाहिए। सम्मेलन में एक तरह तो कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे सरकारी विभागो के साथ तथा दूसरी तरफ प्राइवेट और सार्वजनिक उद्योगो के साथ संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर महत्व दिया गया, जिससे व्यावसायिक कार्यक्रम को बड़ी मात्रा में स्वीकार किया जाए और उसके लिए समर्थन पाया जा सके। सम्मेलन का विचार था कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण में देरी करने से शिक्षा की नई पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य पूरा नही हो सकेगा। स्थायी समिति ने अन्त में यह सिफारिश की कि राज्यो से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए ।

**श्री पी० गंगादेव** : श्रीमान नई शिक्षा पद्धति में दिए गए व्यवसायिक आधार को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हुं कि लागू किए जाने वाले नए प्रकार के प्रस्तावित व्यवसायिक प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से प्रयोजन के लिए अतिरिक्त प्रावधान की कितनी राशि नियत की गई है ?

**प्रो० स० नूरुल हसन** : विवरण में मुख्य बातें बता दी गई हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि उन्हें पूर्णतया रोजगार के लिए नहीं बनाया जायेगा अपितु इनका सम्बन्ध रोजगार

सिद्धान्त स्व-रोजगार तथा उद्यम करने से हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों को कई क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापक रूप में सेवा क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, अर्ध चिकित्सा क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र आदि में लागू किया गया है और मैं उन पाठ्यक्रमों के प्रकार के बारे में बता सकता हूं जिन्हें तैयार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत 1 व्यवसाय पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। कई पाठ्यक्रम कृषि सम्बन्धी हैं जिनमें पशु पालन पाठ्यक्रम, कृषि उद्योग पाठ्य-क्रम, कृषि-व्यवसाय पर आधारित पाठ्यक्रम, गृह विज्ञान तथा सामुदायिक सेवाएं, कला और संस्कृति, अर्द्ध-चिकित्सा सेवाएं, टेक्नोलोजी तथा अन्य हैं। ये पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। जहां तक धनराशि का सम्बन्ध है, राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के योजना बजटों में 1976–77 के लिए 120.88 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार उन राज्यों के प्रत्येक जिले में, जहां इस सत्र के दौरान श्रेणी 11 की नई पद्धति आरम्भ होने जा रही है या कहां यह पद्धति पहले ही लागू हो चुकी है, एक व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्यों को धन देने पर भी विचार कर रही है।

**श्री पी० गंगादेव :** श्रीमान् हमारी शिक्षा प्रणाली में समानता तथा गतिशीलता लाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के अतिरिक्त शिक्षा पद्धति में एक रूपता सुनिश्चित करने तथा अध्यापकों की दशाओं को सुधारने हेतु सरकार कौन कौन से संभावित उपाय करने की सोच रही है।

**श्री एस० नूरुल हसन :** अध्यापकों के बारे में इसमें कुछ अधिक नहीं सोचा गया है।

**श्री बसंत साठे :** मैं जानना चाहता हूं कि समूचे देश में व्यवसायीकरण की योजना के अन्तर्गत कितने छात्र आयेंगे और आपने व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जो दो वर्ष रखे हैं वे 10+2 पद्धति में रखे हैं या ये दो वर्ष स्कूल के लिए हैं अथवा कालेज के लिए। कुछ राज्यों में तो इन दो वर्षों को भी बांट दिया गया है। एक वर्ष स्कूल के लिए तथा एक वर्ष कालेज के लिए जैसा कि महाराष्ट्र में हैं क्या आप उन छात्रों की प्रशिक्षण की जरूरतें दो वर्षों में पूरी कर सकते हैं? क्या आपके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आज आपकी इस योजना के अन्तर्गत कितने छात्र आयेंगे और इसकी पद्धति क्या है। क्या उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए दो वर्ष का समय काफ़ी है?

**प्रो० एस० नुरुल हुसन :** जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, अधिकांश राज्यों में प्रस्तावित नई पद्धति के अन्तगत 11वीं कक्षा 1977 से आरम्भ होगी। इसलिए मैं अभी यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि इसके अन्तर्गत कितने छात्र आयेंगे। राज्य इस सम्बन्ध में योजनाएं बना रहे हैं तथा आंकड़े तैयार कर रहे हैं।

इस प्रश्न पर कि, इनका प्रबन्ध स्कूल करेंगे अथवा कालेज, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कहा है कि यह कालेज की शिक्षा से अलग होना चाहिए अर्थात यह विश्वविद्यालय के नियंत्रण में नहीं रहेगा अपितु यह ऐसे प्राधिकार के अधीन रहेगा जिसकी राज्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थापना करें। किन्तु वास्तविक तथा स्थूल रूप में यह स्कूल में होगा या कालेज में, इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि यह सब कुछ स्कूल प्रणाली में होगा न कि कालेज प्रणाली में।

जहां तक महाराष्ट्र के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र सरकार ने मुझे बताया है कि उन्होंने निर्णय किया है कि इन दो वर्षों को बांटा नहीं

जायेगा और वे एक साथ रहेंगे। चाहे वे स्कूल में रहें या कालेज में। वे इन्हें विश्वविद्यालय के अधीन नहीं अपितु किसी बोर्ड के अधीन रखने की सोच रहे हैं। आशा है वे शीघ्र ही कोई निर्णय ले लेंगे।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या दो वर्ष का समय काफ़ी होगा, कुछ पाठ्यक्रमों के लिए यह अवधि काफ़ी नहीं होगी और कहीं-कहीं इसे बढाकर 2½ वर्ष या 3 वर्ष करना पड़ेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

**श्री वसन्त साठे** : छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या आपके पास समुचित व्यवस्था है ?

**अध्यक्ष महोदय**: अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

## धान की फसल के अंकूरण का खतरा

*164. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशाल क्षेत्रों में कटाई के लिये तैयार खड़ी धान की फ़सल के अंकूरण का खतरा है ; और

(ख) यदि हां तो धान की फसल के इस खतरे को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं अथवा करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) तथा (ख) : किसी भी राज्य से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : मंत्रीजी को शायद राज्यों से कोई रिपोर्ट न मिली हो लेकिन उन्हे व्यक्तिगत रूप से जानकारी होगी। वह तो सारे देश का दौरा कर रहे है। धान की इतनी फसल में अंकूरण पैदा हो रहे हैं और वह खराब हो रही है। क्या उन्होने हवाई जहाज से दौरा करते समय यह सब नहीं देखा ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे**: राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। किसी भी राज्य सरकार ने सदस्य महोदय की बात का समर्थन नही किया है। वह हैदराबाद जा कर स्वयं देख सकते है।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न :

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : मुझे दूसरा प्रश्न पूछने का भी अधिकार है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि उनके पास कोई सूचना नहीं है।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : सरकार ने अधिक उत्पादन अधिक खरीद की योजना बनाई है। लेकिन पर्याप्त भण्डारण के लिये भी कोई योजना है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

**कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय पर कार्यवाही**

*167. **श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय पर त्वरित अनुवर्ती कार्यवाही करने की आवश्यकता की है और सम्बद्ध राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और उनमें से प्रत्येक राज्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की मोटी रूपरेखा क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क)और (ख). अन्तर्राज्य जल-विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण के 27 मई,1976 का अन्तिम आदेश भारत सरकार के राजपत्र में 31मई,1976 को प्रकशित किया गया था । उक्त अधिनियम के अनुसार यह आदेश अंतिम है और तक्ष राज्यों पर बाध्य कारी है तथा उन्हें इसको लागू करना होगा । अन्तिम आदेश की एक प्रति सम्बंधित राज्य सरकारों को आवन्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं । कृष्णा बेसिन में तीनों राज्यों की परियोंजनाओं को न्यायाधिकरण के पंचाट की रोशनी में स्वीकृत किया जाएगा ।

**श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे** : मंत्री जी ने ऐसा विवरण दिया है कि उससे कुछ पल्ले नही पड़ता मैंने यह पूछा है कि कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णय पर शीघ्र ही कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित राज्यों से कहा गया है । आप हां या न में उत्तर दीजिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना प्रश्न पूछिये ।

**श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे** : उसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह अब उत्तर देने की कोशिश करेंगे । इसलिये अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी गई है ।

**श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे** : पिछले 20 वर्षो की सुस्ती की कमी को पूरा करने के लिये अब तत्परता की भावना पैदा होनी चाहिये । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कृष्णा जल अधिकरण के निर्णय पर शीघ्र कार्य करने के लिये क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों को कहा गया है । यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है । यह मेरा मूल प्रश्न है ।

**श्री केदार नाथ सिंह** : कृष्णा जल अधिकरण का अन्तिम आदेश भारत सरकार के 31 माई 1976 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । सम्बन्धित राज्यों के ध्यान में यह आदेश ला दिया गया है और पर अमल करना राज्य सरकारों का काम है । अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार अधिकरण के निर्णय को राजपत्र में प्रकाशित करायेगी और वह निर्णय दोनों पक्षों के लिये अन्तिम और मान्य होगा ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** सदस्य महोदय का कहना है कि राज्य सरकारें कार्यवाही नहीं कर रहीं। वह इसे शीघ्र पूरा कराना चाहते है। क्या आप इस उलझन पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

**श्री केदार नाथ सिंह :** माननीय सदस्य को अपनी राज्य सरकार की आलोचना करनी चाहिये

**(व्यवधान)**

**श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** अधिकरण ने एक अन्तर्राज्यीय कृष्णा धाटी अधिकरण का सुझाव दिया है जिसमें केन्द्र का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। यह सुझाव स्वागत योग्य है। इसे कैसे अविलम्ब कार्यान्वित किया जा सकता है ? अधिकरण ने अच्छी वर्षा के दिनों में जल को एकत्र करने के लिये भी व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**श्री केदार नाथ सिंह :** यदि राज्य सरकारें सहमत हों तो वे कृष्णा धाटी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। यदि वे सहमत न हों तो केन्द्र उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

**श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** जल के पूरे उपयोग वाले प्रश्न का उत्तर क्या है ?

**श्री केदार नाथ सिंह :** यह भी उन्हीं पर निर्भर करता है। हम राज्य सरकारों को तकनीकी मामलों में सलाह देते हैं।

## प्रतिष्ठित व्यक्तियों को न्यू फ्रैन्ड्स कालोनी साऊथ दिल्ली में भूमि प्लाटों का आवंटन

*169. **श्री एम० कतामुतु :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रतिष्ठित व्यक्तियों की न्यूफ्रैंड्स कालोनी, साऊथ दिल्ली में आबंटित प्लाटों के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायधीश श्री डी० मुकर्जी के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या वह उन अलाटियों के नामों और व्यवसायों सहित अन्य बातों का एक विवरण सभा पटल पर रखेगे जिन्हें (एक) श्री मुकर्जी के अनुसार अवैध रूप से भूमि का आबंटन किया गया था और (दो) जिन्होने अपने भूमि प्लाटो को जांच से पूर्व छोड़ दिया था ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :** जी हां, समाचार पत्रों में ऐसा ही छपा है। लेकिन सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर तैयार होने के बाद सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के सलाहकार ने श्री देवव्रत मुकर्जी द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति भी प्राप्त कर रजिस्ट्रार को भेज दी है।

(ख) और (ग). चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय में निलम्बित है अतः इस स्तर पर कार्यवाही नहीं की जा सकती।

**श्री एम० कत्तामुतु** : मुझे अफसोस है कि यह उत्तर टालने वाला है। जिस न्यायाधीश ने मामले की जांच की है उनकी जांच के निष्कर्ष समाचारपत्रों में प्रकाशित हुये हैं। यहां तक कि कई सहकारी अधिकारियों तथा संसद सदस्यों के नाम भी छपे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मामला कैसे न्यायाधीन है मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कई प्रभावशाली तथा उच्च सरकारी अधिकारी मामले में शामिल हैं तो सरकार ने सम्बन्धित न्यायाधीश से रिपोर्ट लेकर उन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ?

**श्री एच० के० एल० भगत** : मैं सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि श्री मुकर्जी की जांच चल रही है और वे जांच के निष्कर्ष 24 सितम्बर, 1976 तक उच्चतम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की आशा है। उच्चतम न्यायालय के सम्मुख मामला अक्तूबर, 1976 में पेश होगा। अभी यह न तो न्यायाधीश की रिपोर्ट है और न ही उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। यह तो जांच के कुछ निष्कर्ष हैं। वह उच्चतम न्यायालय के सम्मुख उसे पेश करेंगे। सरकारी समिति के रजिस्ट्रार ने एक प्रति मांगी थी और वह उसे भेज दी गई है।

**श्री एम० कत्तामुतु** : उत्तर से मैंने अन्दाजा लगाया है कि सरकार के पास पूरी रिपोर्ट सितम्बर तक आ जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस रिपोर्ट पर तेजी से अमल करेगी क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जा सके।

**श्री एच० के० एल० भगत** : मैं अर्ज करूं कि मामला उच्चतम न्यायालय के सम्मुख आना है। उसका अन्तिम निर्णय मिलने पर ही यह प्रश्न पैदा होगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जिस समाचार का जिक्र किया गया है वह "समाचार" द्वारा परिचालित किया गया था और ऐसा ही समाचार कई समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। मूल उत्तर को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है कि सरकार ने समाचार को देखा नहीं है। अब उनका कहना है कि बाद में कोई प्रति सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को प्राप्त हुई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि तकनीकी रूप से मामला निर्णयाधीन है, परन्तु यह समाचार एक महीना पुराना है और किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने लन्दन में हमारे उच्चायुक्त द्वारा इस समाचार का खंडन करने सम्बन्धी वक्तव्य देखा है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हो सकता है मैंने वह रिपोर्ट न देखी है। यहां पर बहुत से प्रसिद्ध लोगों के नाम हैं। कुछ सेवा निवृत्त हो गये हैं, परन्तु उनमें बहुत से अभी ऊंचे सरकारी पदों पर बने हुये हैं। तत्कालीन उपराज्यपाल द्वारा इस सहकारी समिति की निर्वाचित समिति को बरखास्त करने और उसके स्थान पर एक नामनिर्दिष्ट समिति नियुक्त करने सम्बन्धी कार्यवाही के एक भाग को चुनौती देने के लिये न्यायालय में समायाचिका दायर की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि इस नामनिर्दिष्ट समिति द्वारा सभी अलाटमेंट अवैध तथा अनियमित रूप से किये गये हैं। जब कि समायाचिका विचाराधीन थी और मामला भी निर्णयाधीन था, तब श्री बालेश्वर प्रसाद, भूतपूर्व उपराज्यपाल ने बहुत से लोगों को रातोंरात इस समिति के सदस्य बना लिये और ये अलाटमेंट किये गये। इस मामले में उच्च सरकारी अधिकारियों और व्यक्तियों का हाथ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों के नाम यहां लिये गये हैं जिनमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हैं उनके विरुद्ध अन्तिम निर्णय होने तक किसी प्रकार की अन्तरिम कार्यवाही

की जाएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश ने इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दिया है। यह कोई गोपनीय प्रतिवेदन नहीं है। इस मामले ने लोगों के विश्वास को डगमगा दिया है। क्या सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय देने तक इन उच्च सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई अन्तरिम कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**श्री एच० के० एल० भगत :** माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि मामले का अन्तिम रूप से निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना है। मैं आज नहीं कह सकता कि उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय लेती है। अतः क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से मामला निपटाये जाने के पूर्व सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करना उचित होगा ? मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह उचित नहीं होगा । परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती ?

## खाद्यान्नों का उत्पादन और आयात

*171. **श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) विदेशों से (एक) चावल तथा (दो) गेहूं खाद्यान्न का कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है ; और

(ग) चालू वर्ष के लिए केन्द्र सरकार के पास कुल कितनी मात्रा में खाद्यानों का बफर स्टाक है और 'आमन' खरीफ, गेहूं आदि की कितनी वास्तविक मात्रा सरकारी गोदाम में है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) 1975–76 के खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान की अभी भी जांच की जा रही है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 1975–76 के दौरान खाद्यान्नों का 1180 लाख मीटरी टन से अधिक उत्पादन होने की आशा है। जहां तक चालू फसल वर्ष (1976–77) का सम्बन्ध है, खाद्यान्न फसलों के सम्भावी उत्पादन के बारे में अभी कोई विचार प्रकट करना जल्दबाजी होगी।

(ख) भारत सरकार खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता के बारे में स्थिति की बराबर समीक्षा करती रहती है और फ़सल; सम्भावनाओं, आन्तरिक उपलब्धता, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता में अन्तर, उचित आकार का बफर स्टाक बनाने की आवश्यकता, विदेशी मुद्रा के साधन, अन्तर्राष्ट्रीय मंडी के मूल्य का स्टाक और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जितनी मात्रा की आवश्यकता समझी जाती है उतनी मात्रा विदेशों से खरीदली है । चालू वर्ष के दौरान गेहूं और चावल की आयात की जाने वाली मात्रा के बारे में बतलाना न तो सम्भव है और न ही जनहित में है ।

(ग) जून, 1976 के अन्त में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों का कुलस्टाक (बफर तथा परिचालन स्टाक) लगभग 170 लाख मीटरी टन का था जब कि जून, 1975 के अन्त में 57 लाख मीटरी टन स्टाक था ।

**सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** भाग (क) के उत्तर में वक्तव्य में कहा गया है : "1975–76 के खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान की अभी भी जांच की जा रही है।" मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक इसकी जांच क्यों नहीं की गई है और पूरे आंकड़े कब उपलब्ध होंगे ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** माननीय सदस्य ने आगे वक्तव्य नहीं पढ़ा है । अगले वाक्य में कहा गया है कि खाद्यान्नों का उत्पादन 1180 लाख मीटरी टन से अधिक होने की आशा है । इस फसल संगणना में मई आदि में काटी गई ग्रीष्म फसल अभी आनी है । अतः अन्तिम आंकड़े अभी संकलित किये जा रहे हैं । परन्तु मोटे तौर पर यह देश के इतिहास में रिकार्ड फसल होगी और यह 1180 और 1190 लाख माटरी टन के बीच होगा ।

**सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** खाद्यान्नों का अद्यतन स्टाक क्या है ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** 170 लाख मीटरी टन ।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** वर्तमान के 170 लाख मीटरी टन के बफर स्टाक में से कितना गोदामों के अन्दर पड़ा है और कितना बाहर पड़ा है, उचित रूप से ढका हुआ नहीं है ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** लगभग 120––130 लाख मीटरी टन पक्के गोदामों में है । शेष 40 या 50 लाख मीटरी टन पक्के गोदामों में तो नहीं परन्तु भूमि से ऊंचे उठाये गये ढके हुये स्थानों पर है ।

**Shri Bhibhuti Mishra :** Whether it is a fact that Govgrnment have not purchased more foodgrains this year due to shortage of storage capacity and it is lying covered with tarpaulins at Kanpur and Muzaffarpur stations and is exposed to raises ? I want to know the storage capacity Government propose to build next year ? What is the amount given to each state by Government and how much money is proposed to be spent in Central sector so as to ensure adequate storage capacity ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** योजना आयोग ने हाल ही में भारतीय खाद्य निगम को उन 16–17 करोड़ रुपये के अलावा, जो इस वर्ष खर्च किये जा रहे हैं, 30 करोड़ रुपये देने के लिये सहमत हो गया है । स्टोर करने की क्षमता बनाने के लिये हम विश्व बैंक से ऋण लेने का भी प्रयास कर रहे हैं । यद्यपि यह चर्चा के प्रारम्भिक चरण में, तथापि हम विश्व बैंक से 130 करोड़ रुपये की आशा कर रहे हैं । इस योजना के दौरान हम प्रति वर्ष 10 लाख मीटरी टन बढाने की आशा करते हैं । अस्थायी स्टोरेज क्षमता को मिलाकर इस योजना के दौरान 50–60 लाख मीटरी टन तक की क्षमता बढाई जाएगी ।

**Shri K. M. Madhukar :** Government have claimed that there has been record production of foodgrains this year. They also claim that they have procured huge stock. It has been rightly said that the foodgrains purchased by Government have been stored in

railway godowns and private godowns instead of their own godowns. What is the guarantee that the foodgrains stored in private godowns are protected from insects and other ill-effects? What arrangements have been made by Government to keep these foodgrains safe?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : जब हम प्राइवेट गोदाम किराये पर लेते हैं तो उन पर हमारा नियंत्रण होता है, हमारे सुरक्षा और आरक्षागण कर्मचारी वहां रहते हैं। जहां तक अनाज को सुरक्षित रखने का सम्बन्ध है, उसके लिये सिद्धान्त तथा मानक निर्धारित हैं। हमारे पास विशिष्ट स्टोरेज सेक्शन है और निपुण तथा कुशल व्यक्तियों को उसका इन्चार्ज बनाया जाता है। अनाज को कीड़े-मकोड़ों तथा सीलन से बचाने के लिये आवश्यक सावधानी बरती जाती है।

**Shri Narsingh Narain Pandey:** The hon. Minister has stated that 118 million tonnes of foodgrains have been produced in the country and Government are in their possession 17 million tonnes in the form of buffer stock and operation stock. Whether it is a fact that wheat and rice are available cheaper in open market? Whether it is also a fact that the quantity of foodgrains supplied to various sources through consumer shops and fair price shops is less and the buffer and operational stock of government are not bring exhausted to the extent to which it should be? This year kharif crop is good and rabi crop is also expected to be good due to good monsoons. Government have established international contacts to import foodgrains. Whether keeping in view the present position Government propose to revise the quantity of foodgrains to be imported?

**Mr. Speaker:** The hon. Minister will tell this. He has already stated that it will be not in the public interest.

**Shri Narsingh Narain Pandey:** What policy Government propose to frame to keep their buffer stock and the market in proper order?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : गत जून से हमने तय किया है कि हम अभी कोई आयात नहीं करेंगे। जहां तक खरीद का सम्बन्ध है, बाजार में सुगम उपलब्धता के कारण खरीद कम हो रही है, और उपभोक्ताओं को खुले बाजार में उसी मूल्य पर अनाज उपलब्ध हो रहा है। यह बहुत अच्छी बात है परन्तु जैसे ही हमें पता चलता है कि देश के किसी भाग में सूखा है या कीमतें बढ़ रही हैं, तो तुरन्त वहां अनाज भेजा जाता है और इस स्टॉक का उपयोग उपभोक्ता के हित में किया जाता है।

**Shri Narsingh Narain Pandey:** Sir, my question has not been replied to. Whether Government propose to reduce the price of farmers? Whether they have appointed any committee?

**Mr. Speaker:** It is a separate question.

## पंजाब से गेहूं और चावल का उठाया जाना

*173. **चौधरी राम प्रकाश** :
**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह भारतीय खाद्य निगम को प्रत्येक महीने 325,000 टन गेहूं तथा चावल उठाने के लिए कहे या अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाने में राज्य की सहायता की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : (क) और (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) पंजाब राज्य सरकार ने खाद्य विभाग (भारत सरकार) से अनुरोध किया है कि अक्तूबर, 1976 के शुरू से पहले चावल तथा कपास--मिलों की परिसरों और कुछ गोदामों, जो कि अब सुरक्षित नहीं समझे जाते हैं, में उनके तथा उनकी वसूली एजेंसियों द्वारा भण्डारित लगभग 3.6 लाख मीटरी टन गेहूं के संचलन की व्यवस्था की जाए। पंजाब राज्य सरकार ने यह भी लिखा है है कि प्रत्येक माह पंजाब से लगभग 4 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भेजा जाना चाहिए ताकि 1976 की खरीफ फसल से चावल और 1977 की रबी फसल से गेहूं की अधिप्राप्ति, भण्डारण और संचलन में कोई कठिनाई पैदा न हो। विकल्प के तौर पर, पर्याप्त अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

(ख) अक्तूबर, 1976 के शुरू तक लगभग 3.6 लाख मीटरी टन गेहूं की निकासी करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए गए हैं। पंजाब से खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय संचलन की इस प्रकार व्यवस्था की जा रही है जिससे इस वर्ष के खरीफ वसूली सम्बन्धी कार्य में भण्डारण विषयक कोई कठिनाई न हो और पंजाब सरकार और उसकी वसूली एजेंसियों द्वारा रखे गए 1976 की रबी फसल का बहुत काफी गेहूं-स्टाक भी उसमें आ जाए। पंजाब राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है। उन्हें यह भी कहा गया है कि यदि 1977 की फसल से गेहूं की उतनी ही वसूली हो, जितनी चालू वर्ष के दौरान हुई है तो किराये और नई बनवाई गयी लगभग 3 से 5 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता आवश्यक होगी। इसके प्रति भारतीय खाद्य निगम द्वारा अप्रैल, 1977 तक लगभग 3 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता बनाए जाने की आशा है।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : इस वर्ष पंजाब में भरपूर फसल हुई है और हमने 29 लाख टन गेहूं की खरीद की है। पंजाब सरकार ने उन्हें चावल और कपास मिलों के परिसरों में स्टोर किया है। यह तय किया गया था कि भारत सरकार अक्तूबर से पहले राज्य से 3.6 लाख टन गेहूं उठायेगी ताकि हमारी कपास और चावल मिलें अपनी जगह वापस ले सकें। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उसके अनुसार सरकार ने पंजाब से गेहूं का इतना स्टाक उठाया है या नहीं, यदि नहीं, तो गोदामों से बाहर वर्षा में कितना गेहूं बाहर पड़ा है और क्या कुछ क्षति हुई है और क्या यह हानि भारत सरकार की होगी या पंजाब सरकार की ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : जहां तक पंजाब से गेहूं उठाने का सम्बन्ध है, यह गत तीन महीनों कुछ धीमा रहा परन्तु अब हमने लगभग 3 लाख टन प्रति माह उठाने की योजना बनाई है और इससे पंजाब सरकार के लिये स्थिति ठीक हो जायेगी। हमने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां तक वर्षा से क्षति आदि का सम्बन्ध है, हमें अभी रिपोर्ट मिलनी है। हम इसकी जांच कर रहे हैं।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : उन्होंने मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया है। क्या गेहूं और चावल के खराब हो जाने से कुछ हानि हुई है और यदि हां, तो क्या यह हानि पंजाब सरकार की होगी या भारत सरकार की ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह उस सरकार की हानि होगी जिसके खाते में यह पड़ी है।

## विद्यार्थियों/युवकों के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम

*174. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के एक वर्ष में विद्यार्थियों/युवकों के लिये बनाये गये 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी राज्यवार रूपरेखा क्या है; और

(ग) जहां इस कार्यक्रम को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया वहां इसे क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रो० एस० नूरुल हसन)** : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 11180/76]

(ग) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर दिया है। तथापि अप्रैल और मई, 1976 में उनसे यह अनुरोध किया गया था कि जहां यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया है, वहां इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : विवरण में सरकार ने बताया है कि योजना के अधीन 4,057 होस्टल लिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत 3,41,257 छात्र लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार पुस्तक बैंकों के बारे में सूचित किया गया है कि 1,01,440 स्कूलों तथा 2;026 कालेजों ने ऐसे बैंकों की स्थापना की है। यदि मन्त्री महोदय यह बतायें कि इस योजना से लाभान्वित कुल कितने छात्रों के लाभान्वित होने की योजना है तथा कुल कितने स्कूलों तथा कालेजों में पुस्तकें बैंकों की स्थापना की जानी है तो बात अधिक स्पष्ट हो पाती।

**प्रो० एस० नूरुल हसन** : खेद है कि मैं अभी तक होस्टलों में रहने वाले छात्रों की संख्या के बारे में राज्य सरकारों से वास्तविक आंकड़े प्राप्त नहीं कर पाया। हम उनसे इन आंकड़ों को शीघ्रातिशीघ्र तैयार करने का आग्रह करते रहे हैं।

जहां तक कालेजों की कुल संख्या का प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अनुसार जिन कालेजों में 100 या इससे अधिक छात्र पंजीकृत हैं वे ऐसे पुस्तक बैंक स्थापित कर सकते हैं। मेरे पास सही आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु अनुमान है कि कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के 3,000 कालेज हैं जिनमें ऐसे बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। परन्तु अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 2,026 कालेजों के बारे में जानकारी मिल पाई है। मुझे पता चला है कि अधिक कालेज ऐसे बैंकों की स्थापना करने जा रहे हैं। जैसे ही मुझे और जानकारी मिलेगी मैं माननीय सदस्य को इस कार्य में हुई प्रगति के बारे में पता दूंगा। स्कूलों के बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : इस योजना की कार्यान्विति के लिये छात्रों का सहयोग प्राप्त करने हेतु स्कूलों तथा कालेजों में इस योजना के समर्थन के लिये छात्र संगठनों को इससे सम्बद्ध करने के लिये सरकार ने क्या आवश्यक कार्यवाही की है और क्या राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी गई हैं ?

**प्रो० एस० नूरुल हसन** : हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि इस विशेष कार्यक्रम की क्रियान्विति में शिक्षकों तथा छात्रों को सम्बद्ध किया जाये।

**Shri Sarjoo Pandey :** On the one hand the facilities are being provided to the students under 20 point programme where as on the other hand the Uttar Pradesh Government has increased the fees from primary school to college level. Is it in the notice of the Government and if so what action the government has taken in the matter?

**Mr. Speaker :** This question does not arise out of the main question. The original question does not relate to primary schools.

**Shri Sarjoo Pandey :** In U.P. fees have been doubled from primary school to college level.

**Shri K. M. Madhukar :** It has been said that efforts are being made to involve students in the implementation of 20 point programme. But the supporters of J. P. movement have entered the student movements and are trying to create hindrances and want to sabotage it.

**Mr. Speaker :** This has nothing to do with the main question.

**Shri K. M. Madhukar :** This is actually happening.

**Mr. Speaker :** But it is not relevant.

## उर्वरक के प्रयोग में कमी

*175. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक के प्रयोग में, विशेषकर निर्धन वर्ग द्वारा उर्वरक के प्रयोग में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च-अप्रैल, 1976 में मूल्य में की गई कमी और फास्फेट युक्त उर्वरकों के लिए राज सहायता देने की योजना शुरू करने के बाद देश में उर्वरकों की खपत काफी बढ़ गई है। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कमजोर वर्ग के किसानों द्वारा उर्वरकों की खपत में गिरावट आई है। इस समय देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हैं। उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए देश के कतिपय चुने हुए जिलों में एक संघन संवर्धन योजना शुरू की गई है। खास तौर पर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक खुदरा दुकानें खोली जा रही हैं, जिसमें चलती-फिरती दुकानें भी शामिल हैं। उर्वरकों की कीमतें घटा दी गई हैं और वितरण का लाभ बढा दिया गया है। लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसी जैसी विशेष योजनाएं और ब्याज के विभेदक दर की योजना चल रही है, जिनके अन्तर्गत कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने के लिए सहायता सुलभ होती है। उर्वरकों के मूल्य कम करने से पहले सामान्य उर्वरकों की खपत को कुछ धक्का पहुंचा था। किन्तु, विभिन्न श्रेणी के किसानों में उर्वरकों की खपत के स्तर के बारे में अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**श्री नवल किशोर सिंह** : उत्तर लम्बा है और मैं प्रत्येक वाक्य को समझ नहीं पाया। फिर भी मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आई है अथवा नहीं ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : यह अच्छा सुझाव है हम इस पर ध्यान देंगे।

**Patna-Flood-Safety Embankment Scheme**

*177. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the engineers of Government of India and Bihar Government had jointly prepared the 'Patna-flood-safety-embankment scheme';

(b) if so, the estimated expenditure thereon and the amount, out of it, paid to Bihar Government by Government of India;

(c) whether Bihar Government have raised the amount of the estimates; and

(d) if so, the facts thereof and the reasons for this increase?

**ANSWER**

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) :** (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) The Patna Flood Protection Scheme had been prepared by the Government of Bihar based on the recommendations of the report of the High Level Expert Committee on Patna floods of August, 1975. This Committee constituted by the Government of Bihar had Members from the Centre and State Government and also public-men from Bihar.

(b) In the absence of detailed schemes having been prepared after collecting all the technical data, Expert Committee had merely indicated in their Interim Report an approximate cost of the works to be Rs. 10.68 crores.

For Patna Flood Protection works, an advance Plan Assistance of Rs. 2·65 crores was sanctioned by the Government of India during 1975-76 only. An outlay of Rs. 8 crores had been provided in the State's annual plan for 1976-77, for this purpose.

(c) & (d). As per detailed estimates prepared by the Bihar Government for works which have been taken up for execution, the cost of Patna Protection Scheme works out to Rs. 17·2 crores. The detailed estimates are based on actual field conditions and have been prepared after collecting all the relevant technical data, subsequent to the submission of the report of the High Level Expert Committee.

The requirement of additional amount is attributable *inter alia* to the realistic and detailed cost estimate and also to the further modifications recommended by the High Level Committee in their final report, increase in length and height of Masonary protection works and revetment, increase in number and length of drainage channels, provision of more pumping stations, etc.

**Shri Ramavatar Shastri :** The information given in the reply in regard to Patna Flood Protection Scheme it has been revealed that originally Rs. 11 crores were to be spent on it. But the revised estimate prepared by that Government with the help of engineers is estimated to be over Rs. 17 crores. I have myself seen this Dam on various occasions. It is situated in your territory as well. There are a number of instances of consumption in regard to the Dam. Cement is being sold in black market. If he has any such information the House may please be informed about the steps taken to check it. What would be the cost if the Pacca Dam is constructed in place of Kaccha Dam which is estimated to cost Rs. 17 crores.

**Shri Kedar Nath Singh :** Firstly there is a misunderstanding that the Engineers of Bihar Government have raised the estimated cost of the Dam. The original estimate prepared on the basis of Interim Report of the committee formed by the Bihar Government was Rs. 10 crores. But when the final report of that committee was received a revised estimate of Rs. 17.2 crores was prepared.

So far as the consumption is concerned, I have received a letter from the hon. Member which is being examined by the officials.

**अध्यक्ष महोदय :** अब प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### प्याज उत्पादकों की सुरक्षा के बारे में ज्ञापन

*165. **श्री समर मुकर्जी** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज उत्पादकों की सुरक्षा के बारे में सरकार को नासिक डिस्ट्रिक्ट किसान सभा नासिक–1 (माहाराष्ट्र) की ओर से दिनांक 13 अप्रैल, 1976 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) नासिक जिला किसान सभा का ज्ञापन कृषि और सिंचाई मंत्रालय में दिनांक 19 अगस्त, 1976 को प्राप्त हुआ ।

(ख) प्याज के विपणन तथा निर्यात की समग्र नीति को दृष्टिगत रखते हुए ज्ञापन में उठाई गई मुद्दों की जांच की जायेगी ।

### 23 अगस्त, 1976 के लिए प्रश्न

### भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1976–77 के दौरान गोदामों के लिए धनराशि का नियतन

*168. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1976-77 में नये गोदामों का निर्माण करने के लिए पृथक धनराशि का नियतन किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ; और

(ग) गोदामों के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) . 1976-77 के दौरान भारतीय खादय निगम द्वारा गोदाम बनवाए जाने के लिए 16.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम व खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए गोदाम तथा पिल्थ निर्माण करने का कार्य शुरु कर दिया है ।

### तमिलनाडु में सूखा

*170. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि तमिलनाडु को गंभीर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सुखे से पीड़ित लोगों की किस हद तक सहायता कर सकती है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)**: (क) तमिल नाडु में पिछले उत्तर-पूर्वी मानसून की कमी के कारण, जो उस राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत है, कुछ जिलों में सूखे की स्थिति की सूचना मिली थी। इसके अतिरिक्त, दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान पश्चिमी घाटों के स्रवण क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण जलाशय पानी से नहीं भरे थे, जिसके फलस्वरूप, सिंचाई के लिये जल की सप्लाई करने में देरी हुई।

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये 7.50 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता का आवंटन किया है। स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिये शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल राज्य में भेजने का बिचार है।

## केरल को चीनी का आवंटन

*172. **श्री वयालार रवि : श्री ए० के० गोपालन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जनवरी, 1976 से केरल को 'लेवी चीनी' के आवंटन में कटौती करने के कारण राज्य में चीनी के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने आवंटन में की गई कटौती को समाप्त करने के बारे में अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जनवरी, 1976 से आगे लेवी चीनी की कुल मासिक निर्मुक्ति को घटाकर 2.05 लाख मीटरी टन करना पड़ा था जबकि अगस्त से दिसम्बर, 1975 के दौरान 2.25 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की जा रही थी। ऐसा उत्पादन मौसम में खंडसारी चीनी की उपलब्धता, 1975-76 मौसम के दौरान उत्पादन में गिरावट और समुचित स्तर पर चीनी का निर्यात बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया था। इसके फलस्वरूप, केरल समेत सभी राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटों में जनवरी, 1976 से कमी करनी पड़ी थी।

जून, 1976 के मध्य तक खुली बिक्री की चीनी से दाम उचित सीमा के अन्दर रहे और इसके बाद देश भर में बढ़ौतरी का रुख आया। अगस्त और सितम्बर, 1976 के महीनों का खुली बिक्री को चीनी का कोटा 1.10 लाख मीटरी टन प्रति माह तक बढ़ाने समेत कई पग उठाए गए हैं। यह वर्ष 1976 के दौरान खुली बिक्री की चीनी का सबसे अधिक मासिक कोटा है और जुलाई, 1976 के लिए खुली बिक्री के कोटे से 30,000 मीटरी टन अधिक है।

(ख) और ग). केरल शासन ने कहा था कि उनकी जनवरी, 1976 का लेवी चीनी का 7109 मीटरी टन का कोटा 8689 मीटरी टन के पूर्व स्तर पर बहाल किया जाए या बढ़ाकर कम से कम 7600 मीटरी टन किया जाए। उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से कोटे में वृद्धि करना स्वीकार नहीं किया गया।

**कृषि मूल्य आयोग द्वारा खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारित किया जाना**

*176. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले मौसम में कृषि मूल्य आयोग द्वारा खाद्यान्नों के नये वसूली-मूल्य निर्धारित किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख). कृषि मूल्य आयोग इस समय 1976-77 मौसम के खरिफ के अनाजो की मूल्य नीति संबंधी प्रश्न पर विचार कर रहा है और आशा है कि वह सरकार को अपनी सिफारिशें शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा । आयोग अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन-लागत के उपलब्ध आंकड़े, उत्पादन की संभावनाओं और खुले बाजारों के मूल्यों के संभावी रुख को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों के बारे में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है । कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श करके अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करती है । मूल्य-नीति का उद्देश्य जहां किसानों को लाभकारी मूल्य के बारे में आश्वासित करना है वहां सामान्य मूल्य-स्थिति तथा समूची अर्थ-व्यवस्था पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना होता है ।

**रामायण के इतिहास से सम्बद्ध स्थलों का पता लगाना**

*178. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामायण के इतिहास से संबद्ध स्थलों का पता लगाने के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार का अयोध्या, फैजाबाद तथा उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में खुदाई कराने का विचार थां ;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है, और

(ग) अयोध्या, फैजाबाद तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर रामायण के इतिहास से संबद्ध स्थलों का पता लगाने तथा उनका विकास करने के लिये क्या भावी कार्यक्रम बनाया गया है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन )** :

(क) जी हाँ, 1974-75 के दौरान जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण की कथा से संबद्ध स्थलों पर उत्खनन के कार्य में सहयोग दिया था ।

(ख) पांच स्थलों पर खुदाई की गयी । उपलब्ध साक्ष्यों से पुरातात्विक अनुक्रम मोटु-धूसरित-मृदभांडो के प्रयोग से, जो कहीं-कहीं पर चित्रित भी है, लगभग 7वीं ईसा पूर्व से आरम्भ

हुआ लगता है और वह अनुक्रम उत्तरी काली ओपदार मृदभांड कला में होकर कुषाण और उसके उत्तरकाल तक चलता है।

(ग) इस वर्ष अयोध्या, नंदीग्राम और श्रृंगवेरपुर में उत्खनन कार्यों की योजना बनाई है।

**वन तथा वन्य पशु विषयों का समवर्ती सूची में रखा जाना**

*179. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशु संबंधी भारतीय बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि 'वन' तथा 'वन्य पशुओं की सुरक्षा' को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) भारतीय वन्य प्राणि मंडल ने अपनी 27 जुलाई 1974 की बैठक में सिफारिश की कि वनों तथा वन्य प्राणियों को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

**गुजरात में बीजों और उर्वरकों का वितरण**

*180. **श्री एन० आर० बेकारिया :**
**श्री अरबिन्द एम० पटेल :**

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य के आदिवासियों को बीज और उर्वरक आधे मूल्य पर देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) तथा (ख). गुजरात राज्य के आदिवासियों को बीज तथा उर्वरक आधे मूल्य पर देने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

**ब्रिटेन में अध्ययन कर रहे राष्ट्रमण्डलीय देशों के छात्रों की फीस में वृद्धि**

1179. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :**
**श्री भागीरथ भंवर :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में अध्ययन करने वाले राष्ट्रमण्डलीय देशों के छात्रों, विशेषकर भारतीय छात्रों की फीस में वृद्धि के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या उस देश के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख). 1977–78 के सत्र से शिक्षा शुल्क बढ़ाने के निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 5 जुलाई, 1976 को की गई थी। यह वृद्धि ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी छात्रों के लिये समान रूप से लागू होगी, जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अलावा सभी उच्च स्तर के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के लिये 650 पौंड तथा सस्नातकोत्तर अध्ययन के लिये 750 पौंड की गई है।

पूर्णकालिक गैर-उच्च शिक्षा के मामले में देशी तथा समुद्रपार छात्रों के बीच यह फर्क अभी रखा गया है। शुल्क की नयी राशि समुद्रपार छात्रों के लिये 325 पौण्ड तथा देशी छात्रों के लिए 125 पौण्ड होगी। ब्रिटिश सरकार के अनुसार शिक्षा शुल्क में की गई वृद्धि, समुद्रपार छात्रों की शिक्षा के खर्चे के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

शिक्षा शुल्क में की गई इस वृद्धि का असर व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के उन छात्रों पर नहीं पड़ेगा जो विदेश में अध्ययनार्थ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका शिक्षा शुल्क भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से जो छात्र राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजना के अन्तर्गत अध्ययन कर रहे हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका शिक्षा शुल्क राष्ट्रमण्डल शिक्षा परिषद्, लन्दन द्वारा वहन किया जाता है। तथापि इसका असर उन भारतीय छात्रों पर गम्भीर रूप से पड़ सकता है, जो ब्रिटेन में अपने खर्चे पर अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय उच्चायोग ने और अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के उच्चायोगों ने यह मामला राष्ट्रमण्डल शिक्षा परिषद् के साथ उठाया है।

## शिक्षा के विस्तर पर रोक

1180. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी बढ़ने को रोकने की दृष्टि से नये प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय और कालेज न खोलने के बारे में राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री एस० नुरुल हसन)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने और इस प्रयोजन के लिये यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि प्रत्येक 1.5 किलो मीटर की परिधि में 6—11 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल अवश्य होना चाहिये।

2. 11—14 वर्ष के आयु वर्ग के बारे में राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि इस वर्ग के बच्चों के लिये सुविधाओं में वृद्धि की जाए ताकि 6—8 कक्षाओं में मौजूदा 42.2 प्रतिशत दाखिले को पांचवीं योजना के अन्त तक बढ़ा कर 47 प्रतिशत किया जा सके।

इसके अतिरिक्त उन बच्चों के लिये गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध किये जाने चाहियें जो पूर्णकालिक आधार पर स्कूल नहीं जा पाते अथवा जाने में असमर्थ रहे हैं ।

3. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस बात पर बल दिया है कि माध्यमिक शिक्षा का जो अब अव्यवस्थित तथा बिना योजना के विस्तार हो रहा है उस पर उपयुक्त योजना बनाकर तथा ठीक स्थानों पर माध्यमिक स्कूल खोलकर नियंत्रण करना चाहिये तथा मौजूदा संस्थाओं को युक्तियुक्त बनाना और उनमें उपयुक्त स्तरों का अनुरक्षण किया जाना चाहिये ।

4. उच्च शिक्षा में दाखिले को नियमित बनाने के लिए और अधिक कठोर कदम उठाने चाहियें । नये विश्वविद्यालयों की स्थापना पर पर्याप्त रोक लगा दी जानी चाहिये और यदि कोई निर्णय अनिवार्य बन जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिये । बहुत ही अविकसित क्षेत्रों को छोड़कर नये कालेज खोले नहीं जाने चाहिये । स्तरों को बनाए रखने के लिये जोर दिया जाना चाहिये । मौजूदा संस्थाओं तथा गैर-औपचारिक माध्यमों के जरिये ही शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिये, महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के अवसरों में भी वृद्धि करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिये । माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करने के लिये रखी गई मौजूदा धनराशि में भी इन उपायों से पर्याप्त बचत होगी । इसका उपयोग व्यावसायीकरण, नई शिक्षा पद्धति को अपनाने तथा कोटि-सुधार कार्यक्रमों के लिये किया जा सकता है ।

5. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने जुलाई, 1976 में हुई अपनी बैठक में, खास करके लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति तथा भूमिहीन श्रमिकों और शहरी गन्दी बस्तियों के निवासियों जैसे समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के महत्व पर जोर दिया । उन्होंने इस बात की भी सिफारिश की है—कि जहां जरूरी हो लड़कियों के लिये अलग प्रारम्भिक स्कूल खोले जाने चाहियें यद्यपि आम नीति सहशिक्षा के पक्ष में होनी चाहिये । समिति ने यह भी सिफारिश की कि आदिवासी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल अध्यापक स्कूलों, उप स्कूलों, विचरण-स्कूलों तथा आवासीय स्कूलों जैसे शैक्षणिक संस्थायों का एक जाल बिछा दिया जाये ।

## सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रों में चावल का उत्पादन

1181. **डा० के० एल० राव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल के वार्षिक उत्पादन का अनुमान कैसे लगाया जाता है ;

(ख) क्या सिंचित और असिंचित, दोनों प्रकार की भूमि में नमूना सर्वेक्षणों द्वारा ऐसा किया जाता है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में सिंचित भूमि और असिंचित भूमि में, अलग-अलग कितना चावल कितना पैदा होता है और चावल को खेतों के अधीन क्षेत्र कितना है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) से (ग). वार्षिक चावल उत्पादन का क्षेत्र के उत्पाद तथा प्रति हैक्टयर उपज के रूप में अनुमान लगाया जाता है ।

देश के बड़े भागों में क्षेत्रीय अनुमान पूर्णतः क्षेत्रीय परिगणना के आधार पर लगाये जाते हैं, किन्तु कुछ भागों में वे नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। प्रति हैक्टेयर उपज अनियमित नमूना सम्बन्धी तकनीक द्वारा फसल की कटाई के परीक्षणों पर आधारित होते हैं। चावल की फसल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र के लगभग 97 प्रतिशत क्षेत्र के बारे में उत्पादन के अनुमान फसल की कटाई के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित हैं। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिंचित और गैर-सिंचित क्षेत्रों के लिये अलग-अलग नमूने चुने जाते हैं तथा अन्य राज्यों में एक मिश्रित नमूना चुना जाता है।

चावल के उत्पादन के वर्तमान अनुमान समस्त फसल से सम्बन्धित है तथा सिंचित और गैर सिंचित क्षेत्रों के लिये अलग से अनुमान तैयार नहीं किये गये हैं। विभिन्न राज्यों में 1974–75 के दौरान कुल क्षेत्र तथा चावल के उत्पादन और 1972–73 के दौरान चावल को फसल के अन्तर्गत सिंचित और गैर सिंचित क्षेत्रों के अनुमानों को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11181/76]।

**Tribunal Award on Narmada Project**

†1182. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the time by which the Narmada Water Disputes Tribunal is expected to announce its final award; and

(b) whether some work is being done on the proposed projects?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh):** (a). While every effort is being made by the Tribunal to complete its work as expeditiously as possible, it would not be possible to indicate when the adjudication proceedings will be completed and report given.

(b) Pending the report of the Tribunal and without prejudice to their claims before the Tribunal, the concerned States had agreed in March, 1975 that Gujarat may go ahead with the construction of Karjan, Heran, Rami and Sukhi projects and Madhya Pradesh Government may go ahead with Kolar, Bichia, Sukta and Bichhua-Latia Projects in the Narmada Basin, subject to the usual scrutiny and approval of the Government of India. Rami project in Gujarat and Bichia and Sukta projects in Madhya Pradesh have since been accepted by the Central Government for implementation.

**बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात् सिंचाई योजनायें**

1183. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों में अनेक नई सिंचाई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुये ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) और (ख). 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजना के अन्तिम चार वर्षों में वृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीमों से 5 मिलियन हैक्टेयर की जिस अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की परिकल्पना की गई है वह अधिकांशतः उन स्कीमों से प्राप्त की जाएगी, जिन पर पहले से काम चल रहा है।

जुलाई, 1975 में इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद से 31 मई, 1976 तक 1.24 मिलियन की सिंचाई क्षमता वाली 14 वृहत् और 49 मध्यम सिंचाई स्कीमों को अनुमोदित/स्वीकृत किया गया है। लेकिन इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के पास संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

**Underground Water in M.P.**

1184. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) quantity of underground water resource available in Madhya Pradesh for irrigation purpose;

(b) the estimated quantity of water utilised out of it; and

(c) the scheme to utilise underground water for irrigation purpose in this State during 1976-77.

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan)**:(a) The groundwater resources of Madhya Pradesh available for irrigation have been tentatively estimated at about 30 milliard cubic metres.

(b) The quantity of groundwater utilised by the end of year 1973-74 is estimated at about 5 milliard cubic metres.

(c) The following groundwater schemes are proposed to be implemented during 1976-77:—

| | Nos. |
|---|---|
| (i) New Dugwells | 50,000 |
| (ii) Electric Pumps | 20,000 |
| (iii) Diesel Pumps | 8,000 |
| (iv) Persian Wheels | 5,000 |
| (v) Boring of wells | 100 |
| (vi) Deepening of wells | 6,300 |
| (vii) Shallow tubewells | 1,000 |

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की ग्रुपिंग सोसाइटियों को बने-बनाये मकानों का आवंटन**

1185. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मकानों का निर्माण करने के लिए भूमि के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत कुछ ग्रुपिंग सोसाइटियों ने बने-बनाये मकानों का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी समितियों को भूमि के बजाय मकानों का आवंटन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

## केरल की मिट्टी तथा जल प्रबंध परियोजना

1186. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टियाडी और मुरूनुपजा सिंचाई परियोजनाओं के आयाकट में मिट्टी और जल प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शी परियोजना को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को तत्काल मंजूरी देने के बारे में याद दिलाया गया है, क्योंकि उक्त योजना को वर्ष 1976–77 से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) केरल के नय्यर परियोजना के कमांड में जल प्रबन्ध की एक मार्गदशी परियोजना को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में नई मार्गदर्शी परियोजनाएं स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है, जो समेकित विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल की गई है चूंकि कुट्टियाडी और मुरानुपज्हु की परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र के कमांड क्षेत्र विकास में शामिल नहीं की गई है, अतः मार्गदर्शी परियोजनाओं की मंजूरी देने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा सकता।

## वर्ष 1975–76 में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता की गई आवास योजनायें

1187. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष 1975–76 में केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे शुरू की गई अथवा सहायता की गई आवास योजनाओं का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) विभिन्न शहरी क्षेत्रों में (एक) शहरी योजनाओ (दो) ग्रामीण योजनाओं तथा (तीन) गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना ही एक ऐसी योजना है जो केन्द्रीय क्षेत्र में है । यह योजना असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिये वर्ष 1975–76 के दौरान 80.00 लाख रुपये की राशि इस प्रकार दी गई थी :—

| | लाख रुपयों में |
|---|---|
| (1) असम | 18.00 |
| (2) त्रिपुरा | 0.50 |
| (3) पश्चिम बंगाल | 43.40 |
| (4) कर्नाटक | कुछ नहीं |
| (5) केरल | 14.00 |
| (6) तमिलनाडु | 4.10 |
| कुल | 80.00 |

(ग) उपर्युक्त केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अतिरिक्त, निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं तथा राज्य सरकारें इनका कार्यान्वयन करती हैं :—

(1) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना;

(2) निम्न आय वर्ग आवास योजना;

(3) मध्यम आय वर्ग आवास योजना;

(4) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना;

(5) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना;

(6) भूमि अर्जन और विकास योजना;

(7) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम; और

(8) ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना ।

विभिन्न, नगरों की गन्दी बस्तियों की जनसंख्या के कोई सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1972 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए गन्दी बस्तियों के लिए कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया था कि नगरों की लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रह रही होगी ।

**Old Sugar Mills in M.P. and Rajasthan**

1188. **Dr. Laxminarayan Pandey:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the sugar mills of Madhya Pradesh and Rajasthan are old mills and the machinery installed in them is also not modern;

(b) whether the required percentage of the sugar content is not recovered from the sugarcane as a result thereof;

(c) whether the farmers receive low price of their sugarcane on account of the low percentage of sugar recovery; and

(d) if so, remedial measures taken by Government in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan)**: (a) Yes Sir. Except one factory each in Madhya Pradesh and Rajasthan all the other sugar factories in the two States were established prior to 1950 and are having old plant & machinery.

(b) Machinery being old is one of the factors affecting recovery of sugar from sugarcane.

(c) No. All the sugar factories in Madhya Pradesh and Rajasthan had paid a higher sugarcane price to the gorwers than the notified minimum price based on recovery.

(d) A scheme to forestall sickness in selected industries, including, the sugar industry and competitiveness by modernisation and rehabilitation has been formulated and announced.

## स्लम प्रगृहों के मूल्य

1189. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री स्लम प्रगृहों के रख-रखाव के लिये निर्धारित राशि के बारे में 24 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4560 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्लम प्रगृहो के ल्य के मूबारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक प्रगृह का मंजिल और कालोनीवार कितना मूल्य निर्धारित किया गया है ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) तथा (ख). स्लम टेनमैन्टों का मूल्य वसूल करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

## पश्चिम बंगाल में सूदखोरी

1190. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत एक नोट के अनुसार ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके पास कतई भूमि नहीं है अथवा 3.75 एकड़ से कम भूमि है, "अब भी अत्यधिक ऊंची ब्याज की दरों पर ऋण लेने, 'नेक-रेन्टिंग' और मजबूरी में सम्पत्ति बेचने के शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त नोट का सारांश क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## अल्जीरिया के साथ सांस्कृतिक समझौता

1191. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अल्जीरिया के साथ कोई सांस्कृतिक समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) और (ख) अल्जीरिया सरकार के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर 1 जून, 1976 को हस्ताक्षर किए गए थे। उसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, खेल, जन स्वास्थ्य और सूचना तथा शिक्षा के जन-साधनों के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यकलापों सहित कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई है। समझौते की प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

## ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार

1192. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में कोई अनुमान लगाये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस सतत समस्या को हल करने के लिए क्या तात्कालिक कार्यवाही की जा रही है;

(ख) बेरोजगार व्यक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में प्रस्तावित प्रमुख रोजगार के अवसर किस प्रकार के और किस सीमा तक उत्पन्न किए जाएंगे; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के सन्तुलित विकास और उद्योगों को समान रूप से स्थापित करने की प्रक्रिया में श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में कहां तक अनुमान लगाया गया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 27वें दौरे के दौरान भारत में रोजगार/अल्प बेरोजगार का सर्वेक्षण किया था। अक्तूबर, 1972 से मार्च 1973 तक की अवधि में किए गए पहले दो उप-दौरों पर आधारित कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 2.0 मिलियन ग्रामीण श्रमिक दल लगातार बेरोजगार हैं (ग्रामीण श्रमिक दल का एक प्रतिशत)। आकस्मिक निर्माण कार्यों पर नियोजित ग्रामीण श्रमिक दल 62.2 मिलियन है (31.2 प्रतिशत)। लगभग 135.3 मिलियन ग्रामीण श्रमिक दल (67.8 प्रतिशत) फार्म अथवा नान फार्म विजनेस पर स्वयं नियोजित हैं और नियमित वेतन/मजदूरी ले रहे हैं। चालू गतिविधि स्थिति के आधार पर अनुमान है कि औसतन प्रत्येक सप्ताह ग्रामीण इलाको में लगभग 7.0 मिलियन लोगों के बेरोजगार होने की सूचना है। लघु किसान विकास एजेंसी। सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पशुपालन कार्यक्रम और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र विकास जैसे ग्रामीण विकास के बहुत से विशेष कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए पहले से ही चालू हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा, ग्रामीण श्रमिक दल के लिए चल रहे कृषि प्रचालनों, सामान्य निर्माण गतिविधियों, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों और

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में रोजगार के अवसर हैं। समन्वित ग्राम विकास की नवीनतम नीति का उद्देश्य भी बेरोजगारी की समस्या को हल करना है। ग्राम रोजगार सम्बन्धी अध्ययन दल, जो इस समस्या की जांच करने के लिए हाल ही में गठित किया गया था, ने अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह निर्णय किया गया है कि, शुरू में, चलाये जाने वाले रोजगार कार्यक्रमों का समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए।

**दिल्ली की कालोनियों में बरसातियों से संलग्न अतिरिक्त ढके हुए क्षेत्र की अनुमति का प्रस्ताव**

1193. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम का विचार दिल्ली की कालोनियों में बरसातियों से संलग्न ढके हुये शौच घर, स्नानगृह और किचन का निर्माण उपलब्ध कराने के लिये इमारत उप-नियमों के अन्तर्गत अतिरिक्त ढके हुये क्षेत्र की अनुमति देने का है जिससे ये बरसातियां पूर्ण आवास यूनिट बन सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की आशा है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) से (ग). नगर निगम के वर्तमान भवन उप-नियमों के अधीन अनुमेय निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत बरसाती से संलग्न आच्छादित शौचघर के निर्माण की अनुमति थी। हाल ही में दिल्ली नगर निगम ने अनुमेय निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत बरसाती का विभाजन करने तथा बरसाती में रसोई घर बनाने की भी अनुमति दे दी है। इस छूट के अतिरिक्त, दिल्ली नगर निगम अब, बरसाती के आच्छादित क्षेत्र को 500 वर्ग फुट तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है चाहे प्लाट का आकार कुछ भी क्यों न हो। इस निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ इस विषय में कार्यवाही करने के लिए सम्पर्क किया।

**कर्नाटक के मत्स्य क्षेत्रों में सड़कों का अधिग्रहण**

1194. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मत्स्य-क्षेत्रों में सभी सड़कों का केन्द्र द्वारा अधिग्रहण किये जाने की मांग की गई है ताकि इन सड़कों का समुचित रख-रखाव किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) तथा (ख). जी नहीं।

**बधवा सिंचाई परियोजना**

1195. श्री डी० के० पंडा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा दी गई स्वीकृति को ध्यान में रखते हुये बधवा सिंचाई परियोजना के द्वितीय चरण के लिये एक बांध का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केवार नाथ सिंह) (क) और (ख) . बधवा परियोजना (चरण–ii) का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, क्योंकि योजना आयोग द्वारा इसे अभी तक मंजूर नहीं किया गया है । योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा इसे स्वीकार्य समझा गया है बशर्ते कि इसे राज्य सरकार के वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो जाये, जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

**खानपान प्रौद्योगिकी तथा व्यवहारिक पोषाहार संस्थान, कलकत्ता के विरुद्ध शिकायतें**

1196. श्री के० लकप्पा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान पान प्रौद्योगिकी तथा व्यवहारिक पोषाहार संस्था के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है और उनकी जांच कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या संस्थान के वित्तीय ढांचे में केन्द्रीय सरकार का काफी बड़ा पूंजीनिवेश है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कुछ समय पहले, इस विभाग में इंस्टीटयूट के विरुद्ध एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिससे उस पर कुछ आरोप लगाये गये थे । इस मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) इंस्टीटयूट का समूचा पूंजी निवेश गत खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जब कि निवल संचालन खर्च में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार का हिस्सा 50 : 50 के आधार पर होता है ।

**सब्जी तथा सब्जी के बीजों का निर्यात**

1197. श्री डी० डी ० देसाई : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम यूरोप को सब्जी के बीजों का निर्यात कर रहा है ;

(ख) क्या वह सब्जियों का निर्यात कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । निगम के कार्यकलाप बीजों तक ही सीमित हैं ।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा यूरोप के देशों को साग-सब्जियों के बीजों के निर्यात का एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

| | वर्ष | देश | बीजों के नाम | मात्रा | मूल्य रु० में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1970–71 | तुर्की | बन्द गोभी | 50 ग्राम | 67.50 |
| | | | फूल गोभी | 150 ग्राम | |
| | | | मिर्चें | 50 ग्राम | |
| | | | बैंगन | 150 ग्राम | |
| | | | भिंडी | 1 किलोग्राम | |
| | | | टमाटर | 150 ग्राम | |
| 2. | 1971–72 | इटली | फूल गोभी | 10 किलोग्राम | 1052.22 |
| 3. | 1972–73 | इटली | ग्वार | 1 किलोग्राम | 53 |
| | | | सेम | 1 किलोग्राम | |
| | | | लोभिया | 3 किलोग्राम | |
| 4. | 1973–74 | इटली | ग्वार | 5 किलोग्राम | 1011.93 |
| | | | सेम | 5 किलोग्राम | |
| | | | लोभिया | 6 किलोग्राम | |
| | | | मेथी | 1 किलोग्राम | |
| | | | भिंडी | 50 किलोग्राम | |
| 5. | 1974–75 | इंग्लैण्ड | भिंडी | 70 किलोग्राम | 840 |
| 6. | 1975–76 | कोई निर्यात नहीं । | | | |

**दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध टोकन का जारी किया जाना**

1198. श्री राम सहाय पांडे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना से दुग्ध टोकन प्राप्त करने के लिये वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1976 को अति विशिष्ट व्यक्ति तथा अन्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूचियों में कुल कितने व्यक्ति थे ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा रखी गई प्रतीक्षा सूची में बड़ी संख्या में आवेदकों को दूध के टोकन जारी करना सम्भव नहीं हो सका है। प्रति दिन 3.42 लाख लिटर दूध बेचने के लिए इस समय योजना की अधिष्ठापित सम्भाल क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है। आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह क्षमता बढ़ा कर 3.75 लाख लिटर कर दी जाएगी। तत्पश्चात दिल्ली दुग्ध योजना के लिए योजना में पंजीकृत व्यक्ति को काफी बड़ी संख्या में नये दूध के टोकन जारी करना सम्भव हो सकेगा।

(ख) 30 जून, 1976 को प्रतीक्ष-सूची में विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

| क्रम सं० | श्रेणी | प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | महत्वपूर्ण व्यक्ति . . . . | 11,764 |
| 2. | चिकित्सा . . . . . | 8,161 |
| 3. | रक्षा सेवाओं के व्यक्ति . . . . | 6,219 |
| 4. | सरकारी अधिकारी . . . . | 5,064 |
| 5. | सरकारी कर्मचारी . . . . | 16,510 |
| 6. | विशेष तथा जारी मामले . . . | 3,388 |
| 7. | सामान्य . . . . . | 71,629 |
| | कुल . . . | 1,21,735 |

## दिल्ली के चिड़ियाघर में रेलगाड़ी

1199. **श्री डी० पी० चन्द्र गौडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चिड़ियाघर में तीन किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के बारे में प्रस्ताव पर वास्तुविदों तथा पशु प्रेमियों ने यह आवाज उठाई है कि इससे चिड़ियाघर में पशु पक्षियों की शान्ति में बाधा पड़ेगी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में नगरीय कला आयोग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वास्तुविदों से विचार विमर्श किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या विचार हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ आलोचनाओं की ओर सरकार का ध्यान गया है।

(ख) तथा (ग). 12 जुलाई, 1976 को जो बैठक हुई थी, उसमें रेलवे, दिल्ली नगर कला आयोग, केन्द्रीय लोक निर्माण, नगर तथा ग्राम योजना संगठन और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में रेल मार्ग में सुधार सुरंग के भू-दृश्य में सुधार, और स्टेशनो के डिजाइन तैयार करने में सुधार की कुछ सम्भावनाओं पर विचार किया गया था।

## रोम में 36 राष्ट्रों का अधिवेशन

1200. श्री विभूति मिश्र : कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के रोम स्थित खाद्य तथा कृषि संगठन मुख्यालय में विश्व खाद्य परिषद् के त्रिद्विसीय अधिवेशन में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए 36 राष्ट्रों के मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निर्णय लिये गये हैं; और

(ग) भारत को इससे कितना लाभ मिला है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) विश्व खाद्य परिषद् द्वारा 14 से 17 जून, 1976 तक रोम में हुए अपने दूसरे अधिवेशन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय नीचे दिए गए हैं :—

(1) परिषद् ने कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोष के महत्व पर जोर दिया, जिससे कि कृषि के लिए संसाधनों के अन्तरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सके। परिषद् ने सारे इच्छुक देशों से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तथा विश्व खाद्य परिषद् के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक को पूरा सहयोग देने की जोरदार अपील की, ताकि करार पर हस्ताक्षर के लिए अपेक्षित और धनराशि जुटाई जा सके और यह यथाशीघ्र लागू किया जा सके।

(2) परिषद् ने चालू वर्ष के दौरान खाद्य सहायता के रूप में रोकड़ और जिस से 100 लाख टन धान्यों का प्रस्तावित न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और सहायता देने वाले देशों से इस लक्ष्य को सामने रखने का अनुरोध किया।

(3) 'खाद्यान्नों से सम्बन्धित प्रार्थिकता वाले देशों' का गठन करने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी। इस बात पर सहमति हुई कि सचिवालय के दस्तावेज में दी गई ऐसे देशों की सूची को इन देशों का पता लगाने के लिए स्वीकृत मानदण्ड लागू करने का प्रारम्भिक दृष्टांत मानना चाहिए, जिसकी अतिरिक्त सूचना के आधार पर बाद में समीक्षा करनी होगी।

(4) परिषद् ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन के लिए बाहरी सहायता में भारी वृद्धि की जरूरत है, हालांकि कुछ देशों ने यह महसूस किया कि इसकी ठीक ठीक मात्रा निर्धारित करना उचित नहीं होगा ।

(5) आगे चलकर पोषण में सुधार, अधिक खाद्य उत्पादन तथा बेहतर खाद्य और आय के वितरण पर निर्भर करता है । किन्तु फिलहाल सचिवालय को सम्बन्धित एजेंसियों के निकट सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पोषाहार सम्बन्धी योजनाओं के बीच आपसी सम्बन्धों की जांच करनी चाहिए और पोषण के सम्बन्ध में एक समग्र कार्य योजना तैयार करने में उनकी सहायता करनी चाहिए ।

(6) परिषद् ने समग्र खाद्य समस्या के हल के लिए खाद्य व्यापार का महत्व और संगति स्वीकार किया तथा इस बात को स्वीकार किया कि इसे विश्व खाद्य सम्मेलन के अनुसार, अंकटाड, अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् तथा जी ए टी टी जैसे अन्य संगठनों के सलाह मशविरे और बातचीत (अर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की भूमिका को ध्यान में रखा जाए) के अनुसार खाद्य व्यापार के मुद्दों पर हुई प्रगति का अनुसरण करना चाहिए ।

(7) परिषद् ने 10 से 15 मई, 1976 तक हुई प्रारम्भिक बैठक की रिपोर्ट पृष्ठांकित कर दी और इस रिपोर्ट में स्वीकार की गई सिफारिशों को संयुक्त राष्ट्र की सम्बन्धित निकायों और एजेंसियों तथा सदस्य राज्यों की सरकारों को विचारार्थ भेज दिया ।

(8) परिषद् ने 77 सदस्यों के समूह द्वारा पेश किए गए छह संकल्पों और अफ्रीकी अन्तः मन्त्रालय द्वारा खाद्य समिति के एक संकल्प पर भी विचार किया और उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् को विचारार्थ भेज दिया ।

(ग) आशा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद परिषद् की सिफारिशों से विकासशील देशों को खादय उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने, आयात करने वाले विकासशील देशों की खाद्य की आवश्यकतायें पूरी करने तथा बढ़े हुए उत्पादन के जरिए और राष्ट्रीय स्टाक सम्बन्धी नीतियां अपना कर विश्व की सप्लाई स्थिति को स्थिर करने में सहायता मिलेगी । प्रस्तावित उपायों से सम्पूर्ण विश्व, विशेषकर विकासशील देशों को, जिसमें भारत भी शामिल है, लाभ पहुंचेगा ।

## बिहार में गेहूं के लिए भण्डारण सुविधाएं

1201. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार सरकार और भारतीय खाद्य निगम के पास वसूल किए गए गेहू के भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** भारतीय खाद्य निगम ने बिहार में अपनी भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए काफी उपाय किया है । यह क्षमता 30–4–1976 के 2.95 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1–8–1976 को 4.26 लाख मीटरी टन हो गई है । भण्डारण स्थान की कमी के कारण राज्य में कोई विशेष कठिनाई अनुभव नहीं की गई है ।

## आदिवासी क्षेत्रों में भूमि सुधार

1202. श्री रानेन सेन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में भूमि सुधार लागू करने के लियें सरकार ने कदम है; और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) : भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में आदिवासी क्षेत्रों तथा आदिवासी व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। विशेष आधार के अलावा, आदिवासियों द्वारा गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण करने पर रोक लगाने तथा हस्तांतरण के लिये समुचित प्राधिकारी की अनुमति लेने के लिये अधिकांश राज्यों के कानूनों में उचित व्यवस्था की गई है ? कई राज्यों में, जहां आदिवासियों की संख्या अधिक है, गैर आदिवासियों को अवैधानिक रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को वापिस दिलाने के लिये भी कदम उठाये गये हैं। सब राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा के कानून आदिवासी तथा गैर आदिवासी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होते हैं। फालतू भूमि के विवरण में भूमिहीन कृषि मजदूरों विशेष कर जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं, को प्राथमिकता दी जाती है। बंजर तथा अन्य भूमि के वितरण में भी जो सरकार के पास वितरण के लिये उपलब्ध होती है, सामान्य रूप से कृषि मजदूरों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

## पंजाब में बाढ़ नियन्त्रण परियोजना के बारे में "डू नथिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

1203. श्री के० एम० मवुकर :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब में बाढ़ नियन्त्रण परियोजना के बारे में 31 जुलाई, 1976 को एक अंग्रेजी साप्ताहिक में 'डू नथिंग' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) 31 जुलाई, 1976 के साप्ताहिक ब्लिटस में प्रकाशित समाचार में बताया गया है कि यद्यपि गत दो दशाब्दियों में लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ नियन्त्रण और जल-निकास कार्य कार्यान्वित किये गए हैं तथापि राज्यों के क्षेत्र बाढ़ तथा जल-निकास अवरोध से प्रभावित होते र । स समाचार में स्कीमों की कार्यान्विति में कुछ अनियमितताओं का भी हवाला दिया गया है और कथित अनियमितताओं तथा कार्यों के निष्पादन के सम्बन्ध में जांच करने के बारे में राज्य विधान मण्डल की लोक-लेखा समिति के सुझाव का भी उल्लेख किया गया है।

(ख) बाढ तथा जल-निकास परियोजनाओं का आयोजन कुछ विशिष्ट आवृत्ति की बाढ़ों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है और इसलिए इस प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र हर समय अप्रभावित नहीं रह सकता। पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में व्यापक जल-निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण उपायों के करने से पहले, सिंचित तथा कृषि क्षेत्रों में बाढ़ों तथा जल-निकास अवरोध से भारी क्षति हुआ करती थी। दूसरी योजना से 22.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनेक बाढ़ नियन्त्रण तथा जल-निकास कार्यों को कार्यान्वित किया गया है जिसमें 750 किलोमीटर के तटबन्धों तथा 5200 किलोमीटर जल-निकास चैनलों का निर्माण शामिल है। मार्च, 1976 के अन्त तक बाढ़ नियन्त्रण तथा जल-निकास कार्यों पर कुल परिव्यय 50 करोड़ रुपए का हुआ था।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ नियन्त्रण तथा जल-निकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से, उन कृषि क्षेत्रों को जो लगभग प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त होते रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में राहत मिली है। जल-निकास कार्यक्रम से भू-जल स्तर को बढ़ने से रोकने में भी सहायता मिली है। जिससे लगातार जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। चूंकि बाढ़ नियन्त्रण तथा जल-निकास स्कीमों का आयोजन सभी संभाव्य घटनाओं का सामना करने के लिए नहीं किया जाता इसलिए जब भी बाढ़ों तथा जल-निकास प्रवाह में अभिकथित क्षमता से अधिक वृद्धि होती है, किसी न किसी क्षेत्र में क्षति हो जाती है।

(ग) और (घ) बाढ़ नियन्त्रण तथा जल-निकास कार्य राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। अतः इस कार्य के आयोजन तथा कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। इसलिए परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनियमितताओं, कमियों और निष्पादन के बारे में जो सुझाव हैं उनकी जांच करने और उस पर भी उपयुक्त कार्यवाही करने का काम राज्य सरकार का है।

**फसलों की संकट के कारण बिक्री**

1204. **श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री सरोज मुकर्जी :**

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसानों से इस आशय की बहुत शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि फ़सल की कटाई के तत्काल बाद सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर जूट, कपास, आलू, प्याज, गेहूं, धान जैसी फ़सलों को संकट के कारण बेचने पर मजबूर होना पड़ा है;

(ख) क्या उक्त फ़सलों की कीमतों में बाद में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे निर्धन और मध्यवर्ग के किसानों और शहरी उपभोक्ताओं के हितों को आघात पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो फ़सल की कटाई के तत्काल बाद की कीमतों और वर्तमान कीमतों में क्या अन्तर है और इसके क्या कारण हैं तथा मूल्यों में आगे बढ़ोत्तरी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) संकट के कारण कम कीमत पर बिक्री करने वाले किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने और अगली फ़सलों से वर्षा भर मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) से (घ) तक : अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--11182/76]**

**Dissemination of Education in Adivasi Areas**

1205. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a comprehensive scheme has been prepared by the Central Government for dissemination of education in Adivasi areas;

(b) whether the areas predominantly inhabited by adivasis like Udaipur, Banswara, Dungarpur, Chittorgarh, etc. are proposed to be covered by this scheme; and

(c) if so, full facts in this regard?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan):** (a) to (c) : Sub-Plans for areas predominantly inhabited by Scheduled Tribes have been prepared by 18 States/Union Territories. These, *inter-alia*, include schemes for the educational development of these areas.

In case of Rajasthan, the Sub-Plan covers areas predominantly inhabited by Adivasis like Udaipur, Banswara, Dungarpur, Chittorgarh, etc. An outlay of about Rs. 7 crores has been included in the Sub-Plan of Rajasthan on educational programmes.

**शिशु श्रम के बारे में अध्ययन**

1206. **श्री शशि भूषण :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में शिशु श्रम के बारे में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन नगरों में शिशु श्रम की क्या स्थिति है; और

(ग) इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) से (ग) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुरोध पर बम्बई में बाल श्रमिकों के बारे में फ़रवरी, 1976 से एक अध्ययन शुरू किया है। यह अध्ययन मार्च, 1977 तक पूरा हो जाएगा।

2. "दिल्ली के शहरी इलाके में श्रमजीवी बाल जनसंख्या" के बारे में एक और अध्ययन 15 मार्च, 1975 को भारतीय बाल कल्याण परिषद् को सौंपा गया था। अन्तिम रिपोर्ट नवम्बर, 1976 तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

**सम्पर्क नहर का निर्माण**

1207. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी-व्यास जल के हरियाणा के भाग का जल ले जाने के लिये सम्पर्क नहर बनाने हेतु कुल कितनी धन राशि की आवश्यकता है और चालू वर्ष में योजना सहायता के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) हरियाणा राज्य द्वारा अपने भाग का तेज गति से उपयोग सुनिश्चित कराने के लिये पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच रावी-व्यास जल विवाद संबंधी पंचाट के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह)** : (क) सतलुज-यमुना लिंक की संशोधित परियोजना पर 55.33 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और यह परियोजना हरियाणा राज्य द्वारा पिछले महीने के अंत में प्रस्तुत की गई थी। परियोजना की जांच की जा रही है। बहरहाल, चालू वर्ष में इस परियोजना के लिए राज्य को योजना में 4 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों के आयोजन और कियान्वयन और उनसे जल के उपयोग संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। पता चला है कि हरियाणा सरकार इस मामले पर पंजाब सरकार के साथ विचार विमर्श करने जा रही है।

## ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा

**1208. श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा पर मूल अनुसंधान तथा विकास कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ चार व्यापार गृह सम्मिलित हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भी सौर उपकरण के लिये एक मूल आवश्यकता संग्रह प्रणाली है जो कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा एकत्र कर सके और पारेषित कर सके;

(ग) यदि हां, तो क्या संस्थान में इस पहलू को उच्च प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) क्या कृषि पम्पिंग के लिये इसका उपभोग करने हेतु इसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए सौर पम्प विकसित करने को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) जहां तक हमें जानकारी है, सौर ऊर्जा अनुसंधान में निम्नलिखित चार व्यापार गृह सम्मिलित हैं :—

(1) टाटाज :—टाटाज ने 'टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान' को प्रयोजित किया तथा उसकी नींव डाली और यह संस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रयोजित कर रहा है।

(2) मीटल बाक्स इण्डिया लिमिटेड, बम्बई।

(3) ज्योति लिमिटेड, बड़ौदा।

(4) बिन्नी एण्ड कम्पनी, मद्रास।

अब भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० पम्पों के क्षेत्रीय परीक्षण के लिए उत्पादनमुखी तथा आद्यरूपी (प्रोटोटाइप) नमूने विकसित करने के कार्य में इनके साथ सहयोग कर रहा है। इनके इस वर्ष तक पूर्ण होने की संभावना है।

सौर ऊर्जा के उपयोग की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सौर पम्पों के नमूनों के लिए एक पुरस्कार योजना स्वीकृत की है जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000/- रुपये का तथा द्वितीय पुरस्कार 15,000/- रुपये का है। उन्नीस आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं

तथा इसके विकास पर अन्तिम तथा सम्पूर्ण कागजात प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 1976 है। पुरस्कार प्रदान करने के लिए इन पम्पों के निष्पादन के मूल्यांकन तथा परीक्षण के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक निर्णायक समिति गठित की जायेगी।

## किसानों को धान के खेतों में प्रशिक्षण

1209. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में अपनायी जा रही पद्धति के आधार पर किसानों को धान की खेती में प्रशिक्षण देने की योजना प्रारम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान, राज्यवार, कितने किसानों को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान जिन किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है, उनके राज्य-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| असम . . . . | 46 |
| बिहार . . . | 296 |
| उड़ीसा . . . | 42 |
| उत्तर प्रदेश . . | 56 |
| कुल . . . | 440 किसान |

## सिंचाई दर ढांचे पर विचार करने के लिये उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति

1210. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई दर ढांचे पर विचार करने और विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों के लिये न्यायोचित आधार पर उचित संशोधन का सुझाव देने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने के लिये सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार करने को राजी है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** सिंचाई राज्य विषय है और इसलिए जल-दरों का निर्धारण राज्य विधान मंडलों द्वारा किया जाता है।

सिंचाई परियोजनाओं से राजकोष में कम प्राप्ति हो रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि ली जा रही जल दरें परिचालन-खर्च एवं ब्याज-व्यय को संयुक्त रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जल-दरों को युक्तियुक्त करने के प्रश्न पर राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों, राष्ट्रीय विकास परिषद् आदि के विभिन्न सम्मेलनों में पहले कई बार विचार किया जा चुका है। इस प्रश्न की निजलिंगप्पा समिति (1964) और सिंचाई आयोग (1972) ने भी विस्तृत रूप से जांच की थी।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर हमेशा यह जोर डालती रही है कि वे अपने साधनों को बढ़ाने के लिए जल-दरों को बढ़ाएं और जहां संभव हो, विकास शुल्क वसूल करें। जल-दरों और विकास-शुल्क का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन अभी हाल में सिंचाई विभाग में किया गया था और इसे मार्ग-दर्शन के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। जुलाई, 1975 में राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन ने भी जल-दरों में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करने की तथा सतत आधार पर दर-ढांचे के पुनरावलोकन के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थायी अन्तर्विभागीय जल-दर पुनरावलोकन बोर्डों की स्थापना किये जाने की सिफारिश की थी।

1974 से बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों ने पहले ही उच्च संशोधित जल-दरें अधिसूचित कर दी हैं।

इस समय केन्द्रीय स्तर पर और किसी समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

**दिल्ली प्रशासन द्वारा अतिरिक्त नियतन का दिल्ली में आवास परियोजनाओं के लिए उपयोग**

1211. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने योजना आयोग की ओर से किये गये अतिरिक्त नियतन के कुछ भाग का उपयोग निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवास परियोजनाओं के लिए करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि खर्च की जायेगी और परियोजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया):** (क) दिल्ली प्रशासन ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**राष्ट्रीय राजधानी से केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना**

1212. **श्री के० मालन्ना:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी से केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को अन्यत्र ले जाने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समिति की नियुक्ति को दृष्टि में रखते हुए भी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो उसका सारांश क्या है?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) तथा (ख) जी, नहीं।

**Full Ration Quota to persons belonging to S.C./S.T. and Weaker Section under 20 Point Programme**

1213. **Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken under 20-Point Programme that persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and weaker sections in villages should get full quota of ration;

(b) if so, whether some guidelines have been issued to States in this regard and if so, the gist thereof; and

(c) the names of the States which have accepted these guidelines and the names of those States which have not accpeted them?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigarion (Shri Annasaheb P. Shinde)** : (a) The 20-Point Programme envisages streamlining of production, procurement and distribution of essential commodities and not provision of full quota of ration to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and weaker sections in the villages as such, However, the public distribution system in vogue throughout the country is primarily intended to cater the requirements of the vulnerable sections of the population, including Scheduled Castes/Scheduled Tribes etc. by making foodgrains available to them at reasonable prices.

(b) & (c) Do not arise.

**राजस्थान नहर के निर्माण के लिए सऊदी अरब की ओर से सहायता**

1214. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने सऊदी अरब से सहायता पाने हेतु 1975 में राजस्थान नहर के दूसरे चरण का परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) यह परियोजना सऊदी अरब से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी।

**Jayanti Villages, Bihar**

1215. **Shri Chiranjib Jha** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3119 on the 3rd May, 1976 rearding Jayanti villages and state whether the information has been collected from the Bihar Government?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan)** : Yes Sir. A statement showing the progress made in the development of Jayanti villages selected in Saharsa District in Bihar is being separately laid on the Table of the House

**चीनी का उत्पादन**

1216. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष चीनी का कुल कितना उत्पादन होने की आशा है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि निर्यात से कमी की स्थिति उत्पन्न न हो और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य न बढ़ें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चीनी वर्ष 1975-76 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का कुल उत्पादन लगभग 42.5 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) निर्यात के लिए चीनी की और निर्मुक्ति को, जहाज पर लदान के कार्यक्रम में कुछ अन्तर देकर, स्थगित कर दिया गया है ताकि देश में जब भी मूल्यो में वृद्धि होती है खपत के लिए अतिरिक्त मात्रा में चीनी की निर्मुक्ति कर, ज्यादा चीनी उपलब्ध की जा सके।

## दूध की डेरियों का डेरी कालोनी में भेजा जाना

1217. श्री झारखंडे राय : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डेरी मालिक अपनी डेरियां शहर से लक्ष्मी नगर जे-एक्सटेंशन तथा लक्ष्मी नगर, दिल्ली-51 के अन्य भागों में ले गए हैं ;

(ख) क्या डेरी मालिकों ने पानी के ताल में कूड़ा-करकट फेंक कर समूचे क्षेत्र को गन्दा कर दिया है जिसके कारण वहां मच्छर पैदा हो रहे हैं और स्वास्थ्य के लिये खतरा बना रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें डेरी कालोनी में भेजने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

## केरल में काजू के गैर-सरकारी बागान

1218. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री केरल में गैर-सरकारी काजू बागान के बारे में 10 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3696 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि सरकार ने केरल सरकार के अनुरोध पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : योजना के लिए वित्त मन्त्रालय की मंजूरी की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

## सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित ए व्यक्तियों का पुनर्वास

1219. श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा केन्द्र की सहायता से आरम्भ की गई सिंचाई तथा विद्युत् प्रजनन की विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियो के पुनर्वास के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के काम का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" है तो काली पन-बिजली के निर्माण कार्यों के पुनर्वास के काम के बारे में उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) से (ग). वृहत् जल संसाधन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने और इन परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों के लिए किए जाने वाले पुनर्वास उपायों के मानकों (नार्मों) की जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति सितम्बर, 1975 में गठित की गयी थी। केन्द्रीय कृषि और सिंचाई उप-मन्त्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों के सिंचाई मन्त्री एवं कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राजस्व मन्त्री इसके सदस्य हैं। इस समिति ने 12 चुनी हुई परियोजनाओं पर अपनाए गए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास उपायो के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित करने का फैसला किया है। आवश्यक आंकड़े राज्य सरकारों से एकत्र किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में काली जल-विद्युत् परियोजना शामिल नही है।

## दिल्ली में निजी मकान रखने वाले आबंटियों से बाजार दर पर किराया

1220. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी होस्टल तथा "एपार्टमेंट" भवनों में रहने वाली अविवाहित महिलाओं ने अपील की है कि दिल्ली क्षेत्र में अन्य मकानों में उनके आंशिक स्वामित्व के बावजूद उन्हे ऐसे स्थानों में रहने दिया जाये ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में और जिन व्यक्तियों से बाजार-दर पर किराया वसूल किया जाता है उन्हें मकान किराया भत्ते की अदायगी के बारे में भी कोई निर्णय किया है ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) तथा (ख). कोई सामान्य अपील प्राप्त नहीं हुई है। वैसे, इसमें छुट देने के बारे में कुछ व्यक्तिगत अनुरोध प्राप्त हुए थे जो कर्मचारी हिन्दू अविभाजित परिवार/संयुक्त सम्पत्ति में भागीदार हैं, छूट के लिए उनसे व्यक्तिगत अनुरोध प्राप्त हुए थे तथा उनके मामलों पर गुणो वगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

जिन कर्मचारियों के अपने मकान हैं, यदि वे बाजार दर पर लाइसेंस फीस देने पर सरकारी आवास रखते हैं तो इस समय वे मकान किराया भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं।

## Scheme for Five-Day Week in Schools/Colleges

1221. **Shri Mohan Swarup** : Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme under consideration under which schools and colleges would have only a five-day week;

(b) if so, the date from which the scheme is likely to be introduced; and

(c) the reaction in this regard?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurul Hasan)** : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

## गुजरात राज्य में उर्वरकों की कमी

1222. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों से गुजरात राज्य में उर्वरकों की अत्यधिक कमी बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों के बारे में राज्य सरकार की आधी मांग केन्द्रीय सरकार ने पूरी नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो उवरकों की कम सप्लाई के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या हाल के समुद्री तूफान के कारण गुजरात राज्य ने उर्वरकों की अधिक सप्लाई के लिये अनुरोध किया था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की थी; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार की वास्तविक मांग क्या थी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) देश में इस समय उर्वरक काफी मात्रा में उपलब्ध हैं तथा गुजरात राज्य में उर्वरकों की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) तथा (ग). खरीफ 1976 के मौसम के लिये नाईट्रोजन की 82,000 मीटरी टन तथा फोसफेट की 48,000 मीटरी टन की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले 47,081 मीटरी टन नाइट्रोजन और 21658 $पी_2ओ_5$ की सप्लाई की गई है। कम सप्लाई मांग की कमी के कारण की गई थी।

(घ) गुजरात ने हाल के समुद्री तूफान के पश्चात् उर्वरको की अधिक सप्लाई के लिये नहीं कहा है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## Proposal to Increase the pay and allowances of scavenging Staff in the Country

1223. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Central and the State Governments have formulated or propose to formulate any scheme to increase the salary and allowances of the scavenging staff working in the various regions in the country ;

(b) whether this scheme has also been considered with a view to raise the standard of living of the scavenging staff particularly that of the Harijan workers ; and

(c) whether any thought has been given to the effect that scavenging jobs are undertaken by other communities other than Harijan also ?

**The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri H. K. L. Bhagat)** : (a) to (c). Information is being collected from the concerned authorities and will be laid on the Table of the Sabha shortly.

## ग्रामीण ऋण देने के लिए प्रक्रिया में संशोधन

1224. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता यूनियन ने भारतीय रिजर्व बैंक को अनुरोध किया है कि ग्रामीण ऋण देने की प्रक्रिया में संशोधन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने भारतीय रिजर्व बैंक को ग्रामीण ऋण देने की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान

1225. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने गत एक वर्ष के दौरान राज्यों में राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता कायम करने के विचार से उनमें नियमित रूप से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत में विभिन्न राज्यों के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) आपात स्थिति के गत एक वर्ष में इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई और न राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बन्धी ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) मन्त्रालय ने अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक मण्डली विनियम योजना को फिर से चालू कर दिया है और इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों के लोगों को विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति से और अधिक जानकारी कराना तथा इस प्रकार देश की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन करने वाले कलाकारों की चुनी हुई मण्डलियां अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों का दौरा करती हैं।

(ख) वर्ष 1975–76 के दौरान 9 सांस्कृतिक मण्डलियों ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। इस योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार मण्डलियां भेजने वाले राज्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, पोशाक तथा उपस्कर सम्बन्धी आवश्यक चीजें खरीदने, जेब खर्च के भत्ते, कलाकारों को पारिश्रमिकों का भुगतान करने इत्यादि पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति करती है, जो दौरा किये गये प्रति राज्य के हिसाब से प्रति मण्डली के लिये अधिकतम 5 हजार रुपये होता है। अभिग्राही राज्य को भोजन और आवास तथा प्रदर्शनों की व्यवस्था करने पर हुये खर्च के भाग को पूरा करने के लिये अनुदान दिया जाता है, जो कि स्वीकार की गई प्रतिमण्डली अधिकतम 4 हजार रुपये होता है। वर्ष 1975–76 के दौरान मण्डली भेजने वाले राज्यों को कुल 1.76 लाख रुपये का अनुदान दिया गया और अभिग्राही राज्यों को 16 हजार रुपये का अनुदान दिया गया। इस प्रकार कुल 1.92 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। विभिन्न राज्य सरकारों से अभी अन्तिम लेखों का निपटारा किया जाना है।

## Cheap Food to Common People

1226. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether any scheme is under consideration for providing cheap and cooked food to the common people in big cities and towns of the country ;

(b) whether any orders/instructions have been issued to the State Governments for providing cheap food to the common people ; and

(c) if so, the salient features thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) & (b). There is no specific scheme under consideration for providing cheap and cooked food to the common people in cities and towns nor have any orders/instructions been issued to the State Governments in this regard. However, Modern Bakeries (India) Ltd., a public sector undertaking has taken up pilot studies for production of Nans, Kulchas and Roties through mechanised process at Delhi. There are also proposals to set up units for production of ready-to-eat foods for meeting requirements of supplementary feeding programmes for children, pregnant and lactating mothers.

(c) Does not arise.

## नई शिक्षा प्रणाली को क्रियान्विति के लिए निधि

1227. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
सरदार मोहन्दर सिंह गिल :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उक्त राज्यों ने शिक्षा की 10+2+3 पद्धति क्रियान्वित करने के लिये अतिरिक्त धनराशि की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) से (ग): जिन राज्यों ने अभी तक 10+2+3 की शिक्षा पद्धति को लागू नहीं किया है उनकी स्थिति अनुबन्ध में दी गई है। नई पद्धति को लागू करने तथा उसके फलस्वरूप नई पाठ्यचर्या, नए पाठ्य-विवरण तथा शिक्षा के कार्यक्रमों को अपनाने के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी। इस योजना को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तथा उनसे अपेक्षित धन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार 10+2+3 की पद्धति को लागू करने के लिये अलग से कोई अनुदान नहीं देती है। केन्द्रीय सहायता को राज्य पंचवर्षीय योजनाओं के एक मुश्त अनुदान में शामिल किया गया है। व्यावसायीकरण की केन्द्रीय योजना, जिसमें राज्य सरकारों को कुछ सहायता देने की व्यवस्था है, अभी तक विचाराधीन है।

विवरण

निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने शिक्षा की इस नई पद्धति को पहले ही अपना लिया है :—

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. जम्मू व काश्मीर
6. कर्नाटक
7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. सिक्किम
10. त्रिपुरा
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल
13. अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
14. अरुणांचल प्रदेश
15. चण्डीगढ़
16. दादरा और नागर हवेली
17. दिल्ली
18. गोआ, दमन व दीव
19. लक्षद्वीप

नीचे लिखे राज्यों का 1977–78 / 1978–79 से इस नई पद्धति को अपनाने का विचार है :—

1. हरियाणा
2. हिमाचल प्रदेश
3. मणिपुर
4. नागालैण्ड
5. उड़ीसा
6. राजस्थान
7. तमिलनाडु

यह मामला निम्नलिखित राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के विचाराधीन है :—

1. मध्य प्रदेश
2. मेघालय
3. पंजाब
4. मिजोरम
5. पांडिचेरी

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे तैयार किया जाना**

1228. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को क्रेता द्वारा सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद तथा प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान करने के बाद तथा क्रेता को प्लाट का कब्जा देने के बाद आवंटित भूमि के प्लाट का पट्टा तैयार करने में कितना समय लगता है ;

(ख) पूरी राशि लेने तथा कब्जा देने के बाद इतना अधिक समय लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) प्लाट का पूरा भुगतान करने के बाद 60 दिनों के अन्दर पट्टा शीघ्र तैयार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे भूमि के प्लाटों के पट्टे जिनका भुगतान फरवरी/मार्च, 1976 में किया जा चुका है, 31 अगस्त, 1976 तक तैयार करके वितरित कर दिए जाएंगे ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) तथा (ख) इसमें लगभग एक मास का समय लगता है ।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुये इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) ऐसे मामलों में, जहां पूर्ण रूप से भुगतान किया गया हो तथा बैंकों से प्रमाणित किया गया हो और नगर-भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारियों से अन्तिम स्वीकृति जहां कहीं आवश्यक हो, प्राप्त की गई हो, दिल्ली विकास प्राधिकरण एक महीने के अन्दर पट्टा विलेख तैयार करने के लिये सभी प्रयास करेगा ।

**केरल में तेल ताड़ की खेती के लिए सहायक कम्पनी**

1229. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री 5 अप्रैल, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 399 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल ताड़ की खेती आरम्भ करने के लिये प्लांटेशन कारपोरेशन आफ केरल के अधीन सहायक कम्पनी बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) कोई अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

(ख) परियोजना रिपोर्ट वास्तव में 1973 में तैयार की गई थी जिसे वित्तीय अनुकरण क्षमता सम्बन्धी अध्ययनों के लिए प्रस्तुत किया गया था । विभिन्न मदों के मूल्यों में उतार चढ़ाव होने के कारण यह इच्छा व्यक्त की गई है कि परियोजना रिपोर्ट अद्यतन तैयार कर ली जाये । तदनुसार रिपोर्ट में संशोधन करने के लिये प्लांटेशन कारपोरेशन आफ केरल को कहा गया है ।

**निर्धन वर्ग के लिए निर्माण कार्य**

1230. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्ती हटाओ योजनाओं के संदर्भ में निर्धन वर्ग द्वारा स्वयं अपने मकान बनाने या सरकारी प्राधिकरणों द्वारा उनके द्वारा मकान बनाने के मार्ग में अव्यावहारिक भवन मानक, महंगे भाव से भूमि का अर्जन और नौकरशाही द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियायें अवरोधक हैं; और

(ख) यदि हां, तो निर्धनों के लिये मकान बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिये क्या बेहतर तरीके अपनाये जा रहे हैं ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) यह कुछ सीमा तक ठीक है।

(ख) (i) भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता में अधिक व्यावहारिक भवन निर्माण मानक हैं और विभिन्न नगर पालिका उप-नियमों का संहिता के अनुसार बनाया जा रहा है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(iii) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन में कम लागत वाले मकानों के विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार किये हैं जिन्हें विभिन्न लोक निर्माण अभिकरण अपना सकते हैं।

(iv) आवास तथा नगर विकास निगम आवास योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था उन भवन निर्माण मानकों के आधार पर करता है जो विशेषकर कम आय वर्गों के लिये बनाए जाते हैं। सरकार के आदेशानुसार निगम के निधियों के देने के अपने इस कार्य को इस प्रकार नियंत्रित करना है कि दी गई निधियों के मुख्य भाग का उपयोग निम्न आय वर्ग तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास के लिये हो जाये।

(v) गन्दी बस्तियों उन्मूलन/सुधार योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मकानों के लिये निर्धारित सुविधाओं के मानकों, वास के मानकों और उच्चतम लागतों की आवधिक समीक्षा भी की जाती है।

## राम नगर पर बांध और सिंचाई योजना

1231. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राम नगर में प्रस्तावित बराज और तत्सम्बन्धी सिंचाई योजनाओं की रूप रेखाएं क्या हैं; और

(ख) क्या बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई परियोजनाओं को एक साथ मिलाने का विचार है, ताकि भविष्य में कठिनाइयां पैदा न हों ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) बिहार सरकार ने बागमती नदी पर रामनगर में, जो भारत-नेपाल सीमा से 5 किलोमीटर नीचे है, 22.55 करोड़ रुपए की लागत से एक बांध के निर्माण की स्कीम प्रस्तुत की है। इस स्कीम में प्रतिवर्ष लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में नहर प्रणालियों के जल पहुंचाने के लिए बांए और दाएं किनारे पर क्रमश: 65 और 40 क्यूसेक्स की क्षमता वाले मुख्य नियामकों, दोनों किनारों पर गाइड बन्धों और दोनों किनारों पर कुल 90 किलोमीटर लम्बे चढ़ाव बन्धों का निर्माण किया जाना है।

(ख) इस परियोजना के प्रस्तावों के अन्तर्गत सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण दोनों पहलू शामिल हैं। लेकिन पहले चरण में बाढ़ सुरक्षा तटबन्धों और चढ़ाव बांधों के निर्माण का प्रस्ताव है और बाढ़ में नदी के प्रवाह की प्रवृत्तियों का और अध्ययन करने और बराज के लिए माडल परीक्षण करने के बाद बराज और सम्बद्ध सिंचाई सुविधाओं के निर्माता का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

**कमलाबालान तटबन्धों का विस्तार करने की योजना**

1232. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री बिहार में बाढ़ नियन्त्रण एवं सिंचाई योजनाओं के लिये प्लान के बारे में 29 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1531 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान काढ़े तटबन्धों के साथ जोड़ने के लिये डारजिया से परे 40 किलोमीटर तक कमलाबालान तटबन्धों का विस्तार करने सम्बन्धी योजना पर विचार कर लिया गया है तथा कमला नदी के दोनों ओर 16 किलोमीटर की लम्बाई तक तटबन्धों का विस्तार करने के लिये वर्ष 1975 में तैयार की गई योजना का अध्ययन इस बीच पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो लागत सहित तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और काम पूरा होने का कार्यक्रम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) से (ग) डारजिया के परे कमलाबालान तटबन्ध के विस्तार के लिए अपेक्षित अध्ययन अभी राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, इन अध्ययनों के अन्तर्गत व्यापक सर्वेक्षण किए जाने तथा जल-वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त, कारह कमलाबालान दोआब में बाढ़ नियन्त्रण की एक व्यापक योजना की भी जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने यह नहीं बताया है कि इस पर कितनी लागत आएगी और यह भी नहीं बताया है कि वह कब तक अध्ययन पूरे कर सकेगी।

**व्यास नदी के जल के बंटवारे के बारे में हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद**

1233. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास नदी के जल के बंटवारे के बारे में हरियाणा और पंजाब के बीच लम्बे अर्से से चले आ रहे विवाद को इस बीच हल कर लिया गया है और राज्य सरकारों ने निर्णय स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) और (ख) जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अन्तर्गत जरूरी था, पंजाब और हरियाणा व्यास परियोजना के संबंध में अपने अधिकारों और देनदारियों के बारे में समझौता नहीं कर सके। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की लेकिन इसका भी कोई फल नहीं निकला। परिणामत केन्द्रीय सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 78 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जरूरी फैसला कर दिया जो 24-3-1976 को अधिसूचित किया गया था और 8 मई 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस अधिसूचना की प्रति, जिसमें इस फैसले का ब्यौरा दिया गया था, 25 मार्च 1976 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

## झांसी में केन्द्रीय विद्यालय

1234. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय के अतिरिक्त झांसी में एक और केन्द्रीय विद्यालय की मंजूरी दी गई है ; और

(ख) इसके किस तारीख तक खोले जाने की संभावना है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## Benefits of Research Publications

1235. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of research book-lets published so far by the Government in the field of agriculture as also their names ;

(b) the position of Literature available in Hindi and other Indian languages ;

(c) whether this literature does not reach the rural areas and they are deprived of the benefits of researches made in the field of agriculture ; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) :** (a) & (b) The number of Research publications published in English/Hindi other Indian languages during the period 1973-74 to 1976-77 (upto 30-7-76) in the field of agriculture and their names are indicated in the statements placed on the table of the Sabha [Placed in library. *See* No. L.T. 11183/76 ,

(c) The Research literature published by I.C.A.R. are primarily meant for research workers / teachers and students of Agriculture and Agricultural Officers of the State departments of Agriculture and others engaged in research and teaching activities. These publications, being highly scientific and technical in nature, are not meant for rural people. However, the information contained in these publications is circulated among the rural people by the Extension Directorate of the Department of Agriculture and the State Departments of Agriculture.

(d) The Directorate of Extension of Ministry of Agriculture issue journals, text books, bulletins, leaflets, visual aids etc. in English/ Hindi based on the information contained in the research publications of the Council. These publications are circulated among the extension workers, farmers training centres and extension training centres. Further these are sold to the farmers in the rural areas.

The Extension Directorate also release Farm News and Features in English, Hindi, Kannad, Punjabi etc. based on the latest development in research, to rural newspapers throughut the country which, in turn, publish the same for the benefit of the rural population.

The Farm Information Bureaus of the State Departments of Agriculture also bring out periodicals, leaflets, pamphlets and other literature in regional languages for the benefit of the farmers in their respective States.

## Design of a House by N.B.O.

1236. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the National Building Organisation has prepared design of a house to be constructed in rural area with the cost of Rs. 1500/- only ;

(b) if, so the facts thereof ; and

(c) whether Government propose to encourage landless persons to construct such houses by giving them grants on the land allotted to them for the purpose ?

**The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri H.K.L. Bhagat):**

(a) yes Sir.

(b) The houses are to be built by villagers through self-help employing improved use of local materials like sundried brick walls with waterproof mud plaster, thatch treated for resistance to fire and decay.

(c) Some State Governments *e.g.* TamilNadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, etc., have already taken initiative for construction of houses on the house-sites allotted to landless workers in rural areas. Other State Governments have been requested to follow suit.

## केरल में विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना

1237. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री केरल में विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना के बारे में 3 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में दो स्नातकोत्तर केन्द्र एक कालीकट विश्वविद्यालय और दूसरा केरल विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित करने के मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार आयोग द्वारा नये उत्तर स्नातक केन्द्र स्थापित करने के लिये मार्गदर्शी रूप रेखाओं से संबंधित सुझाव देने हेतु नियुक्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है । इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने पर केरल विश्वविद्यालय के अधीन काट्टयम में उत्तर स्नातक केन्द्र खोलने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जायगा ।

कालीकट विश्वविद्यालय के अधीन तेलीचेरी में उत्तर स्नातक केन्द्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का मूल्यांकन करने के लिये विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का प्रश्न आयोग के विचाराधीन है ।

## मछली पालन उद्योग में बहुराष्ट्रीय निगम

1238. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली पालन उद्योग में बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनकी इक्विटी शेयर पूंजी कितनी है ; और

(ग) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 में लाभ के रूप में उन्हें कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) से (ग), जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

### आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य ग्रहण पत्तन

1239. श्री के० सूर्यनारायण : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में नये मत्स्य ग्रहण पत्तनों का विकास करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) काकिनाडा में 94.77 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मत्स्य की बंदरगाह का विकास करने का प्रस्ताव है जिसमें 77.20 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। बंदरगाह का ड्राफ्ट 2 मीटर और जहाज के ठहरने के स्थान की कुल लम्बाई 640 मीटर होगी। इससे छोटी तथा मध्यम यंत्र चालित नावें चलाई जा सकेंगी। 10 मीटर लम्बी 107 यंत्र चालित नावों और 16 मीटर लम्बे 11 मध्यम आकार के जलयानो के संचालन के लिये यह बंदरगाह बनाया गयी है। इस बंदरगाह में जहाजों के कने तथा ठहराने की सुविधायों के अतिरिक्त नीलाम हाल, स्लिप, परिसंस्करण के लिये स्थान और संचयन एकक आदि जैसी सुविधायें होंगी। इस योजना पर सरकार विचार कर रही है।

### गुजरात में जंगली जीवों का विकास

1240. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में जंगली जीवों के विकास के लिये कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो उनमें से कौन सी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की संभावना है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित योजनायें केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही हैं :-

(i) कच्छ की छोटी खाडी के चारों ओर जंगली गर्दभों के लिये आश्रय स्थल तथा भाल (वेल्वादार) में काले मृगों के लिये आश्रय स्थल के विकास की योजना और,

(ii) गिर-शेर आश्रय स्थल परियोजना के विकास के लिये योजना।

गिर जंगलों में मगरमच्छ प्रजनन योजना को भी इस वर्ष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की आशा है।

(ग) इन योजनाओं की मुख्य विशेषतायें हैं :-

(i) जंगली गर्दभों और काले मृगों के लिये आश्रय-स्थल

(1) जानवरों के लिये वृक्षों का लगाया जाना तथा चारा विकास।

(2) जानवरों के पीने के लिये जल संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराना।

(3) पशुओं के आवास स्थल में सुधार।

(4) उनकी सुरक्षा के लिये गाड़ियों तथा हथियारों की खरीद।

(5) स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।

(ii) गिर-शेरों के लिए आश्रय-स्थल

(1) मालधारिस की अंतरण तथा पुनर्बन्दोबस्त।

(2) क्षेत्र के घिराव के लिये नुकीले पत्थरों की दीवार का निर्माण।

(3) खुरदार जानवरों के लिये घासों का सुधार।

(4) खाद्य संसाधनों को श्रेष्ठतर बनाना।

(5) जल सुविधायें उपलब्ध कराना।

(6) अच्छे मौसम में प्रयोग में लाये जाने वाली सड़कें तथा मार्ग।

(7) अनुसंधान और वन्य प्राणि परिस्थिति विज्ञान।

(8) आग से रक्षा के उपाय।

(9) लुकी छिपी चोरी की रोकथाम करने वाले दल की स्थापना।

(10) स्टाफ आदि के लिये मकानों का निर्माण।

(iii) मगर मच्छ प्रजनन योजना

(1) निर्गमन पुलों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।

(2) समाप्त का प्राय मगरमच्छों के संरक्षण और वर्धन की परिरक्षण योजना

## बाजरे की नई किस्म

1241. श्री पी० गंगादेव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में बाजरे की नई संश्लिष्ट किस्म का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त किस्म फफूंदी के प्रभाव को रोकने में समर्थ हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। हरियाणा विश्वविद्यालय, हिसार में एक संश्लिष्ट किस्म एच एस-1 का विकास किया गया है।

(ख) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट दी है कि अब तक हुये परीक्षणों में एच बी-3 या एन एच बी-3 के मुकाबिले यह संश्लिष्ट किस्म कहीं अधिक फफूंदरोधी साबित हुई है।

## कृत्रिम उर्वरक

1242. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन कृषि अनुसन्धान संस्थाओं के वैज्ञानिक कृत्रिम उर्वरकों पर कम निर्भर करने के बारे में परियोजना आरम्भ करने की योजना बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** (क) और (ख). नहीं, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने कृत्रिम उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिये परियोजनायें आरम्भ करने के लिये किन्हीं तीन कृषि अनुसन्धान संस्थानों का एकीकरण नहीं किया है ।

फिर भी, परिषद् उर्वरकों के अधिक कुशल उपयोग के सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित करने और जैविक सामग्री के पुनरावर्तन और उर्वरकों के अधिक अच्छे उपयोग द्वारा पोषक तत्वों की समन्वित सप्लाई की एक प्रणाली का विकास करने के लिए एक योजना पर कार्य कर रही है । इस कार्य के लिये 70 से अधिक गांव चुने गये हैं जहां परिषद् और राज्यों के कृषि विभागों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से विभिन्न उर्वरक उद्योगों ने पोषक तत्वों की समन्वित सप्लाई सम्बन्धी एक प्रणाली के सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित करने के लिये परियोजनायें आरम्भ कर दी हैं ।

## सरकारी फ्लैटों में अनधिकृत तौर पर ठहरने पर जुर्माना

1243. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी फ्लैटों में अनधिकृत तौर पर ठहरने के लिये जुर्माना लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) तथा (ख). सामान्य पूल वास को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखने के लिये अनुमोदित फार्मूले के अनुसार मार्कीट लाइसेंस फीस ली जा रही थी । 1-8-1976 से इस लाइसेंस की गणना दिल्ली व नई दिल्ली के सामान्य पूल वास के टाइप II से टाईप IV क्वार्टरों के लिये 4.63 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा टाईप V से VIII तक के लिये 5.11 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति मास की पूल यूनिट दरों पर की जानी है । इस आधार पर टाईप II से टाईप IV तक के लिये पूल मार्कीट लाइसेंस फीस, पूल मानक लाइसेंस फीस से 4.66 गुणा होगी तथा टाईप V और उससे ऊपर के टाईप के लिए 6 गुना होगी । जहां तक टाईप I का सम्बन्ध है, मानक किराया तथा मार्कीट लाइसेंस फीस दोनों के मामले में लाइसेंस फीस की गणना करने की वर्तमान पद्धति चालू रहेगी ।

2. सम्पदा अधिकारी द्वारा लोक परिसर (दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन बेदखली के अन्तिम आदेश दिये जाने के बाद 30 दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् अनधिकृत दखलकारों से मकान खाली करने/वास्तविक बेदखली करने की तारीख तक पूल मार्कीट लाइसेंस फीस का तीन गुना प्रतिमास की दर से हर्जाने वसूल किये जायेंगे ।

टाईप I के क्वार्टरों के मामले में हर्जाने, वर्तमान मार्कीट लाइसेंस फीस का तीन गुना होंगे ।

## मोन्ट्रियल के ओलिम्पिक खेलों में खिलाड़ियों का असन्तोषजनक प्रदर्शन

1244. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
**श्री वयालार रवि :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री एस० एम० बनर्जी :**
**श्री राजदेव सिंह :**
**श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
**श्री भागीरथ भंवर :**
**श्री नारायण चन्द पराशर :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोन्ट्रियल के ओलम्पिक खेलों में देश के खिलाड़ियों के असन्तोषजनक प्रदर्शन के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार को उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) और (ख). मंत्रालय ने मोन्ट्रियल खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन से सम्बन्धित सम्पूर्ण मूल्य-निर्धारण रिपोर्ट भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारतीय हाकी संघ से मांगी है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा उपर्युक्त रिपोर्टों पर विचार कर लेने के बाद ही सरकार इस विषय में अगली कार्यवाही कर सकेगी।

## मार्डन बेकरीज द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना करना

1245. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्डन बैकरीज एकक को अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और कानपुर के निर्माताओं से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) सरकारी क्षेत्र में केवल मार्डन बैकरीज ही एक ऐसा एकक है जो डबल रोटी बना रहा है और इसे गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों, जहां कहीं वे कार्य करते हैं, के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कम्पनी को इन चार स्थानों पर भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) कम्पनी स्थिति से पूर्णतया सजग है और इन चार एककों के कार्य-निष्पादन के बारे में विस्तृत अध्ययन किये गये हैं। क्वालिटी, वितरण व्यवस्था और प्रचार सम्बन्धी उपायों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

## विद्युत चालित हल

1246. **श्री म० ई० होरो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों के लिये उचित हस्तचालित विद्युत् हलों के निर्माण के बारे में भी विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) तथा (ख). भारत सरकार ने हस्तचालित पावर टिलरों की आवश्यकता स्वीकार करते हुये देश में इनके निर्माण के लिये देशी उत्पादन क्षमता तैयार की है ।

प्रति वर्ष कुल 40,000 क्षमता के साथ छ: यूनिटों को पावर टिलरों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये गये हैं । देश में उत्पादित पावर टिलरों की अश्व-शक्ति 6 से 12 तक के बीच है ।

पावर टिलर की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

## विवरण

पावर टिलर हाथ से चलाये जाने वाले ट्रैक्टर हैं, जो विशेषकर छोटे तथा मध्यम आकार के फार्मों के उपयोग के लिये बनाये तथा विकसित किये गये हैं । इस मशीन का निर्माण करना अपेक्षतया सरल है और इसका भार 300 से 500 कि० ग्राम तक होता है । पावर टिलर की खेत में काम करने की गति प्रति घंटा 1 से 6 कि० मी० तक भिन्न भिन्न है, ताकि आपरेटर पावर टिलर के पीछे चल सके । पावर टिलर गीली जुताई, अन्य जुताई करने, खेती करने, मेड बांधने, भूमि समतल करने और अन्तरवर्ती खेती, आदि फार्म कार्यों के लिये उपयुक्त हैं । ये अपकेन्द्री पम्पों, छिड़कने के यंत्रों, प्रकीर्णक (डस्टर), थ्रेशर, हलर, आदि के संचालन के उपयोग में भी लिये जा सकते हैं । जब यह ट्रेलर के साथ बांधा जाता है तो प्रति घंटा लगभग 10 से 15 कि० मी० की अधिकतम गति से चल सकता है । ट्रेलर के आकार और सड़क पर निर्भर करते हुये, पावर टिलर 1–2 मीटरी टन भार भी ले जा सकता है ।

## गोदावरी बेसिन परियोजना

1247. **श्री अन्ना साहिब गोटखिंडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच गोदावरी जल के बारे में हुये समझौते के पश्चात् महाराष्ट्र में गोदावरी बेसिन में स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** गोदावरी बेसिन में महाराष्ट्र की 4 बृहत् सिंचाई परियोजनाओं को नामश: अपर वर्धा, जयकवाडी, चरण-दो, अपर पैनगंगा और मंजरा को दिसम्बर 1975 में बेसिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच हुये समझौते के पश्चा-

योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । इन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :—

| | परियोजना का नाम | अनुमानित लागत (लाख रु० में) | लाभ (हजार हैक्टेयर में) |
|---|---|---|---|
| 1. | अपर वर्धा . . | 3988.00 | 75.98 |
| 2. | जयकवाडी चरण–दो . . | 8890.00 | 135.57 |
| 3. | अपर पैनगंगा . . . . | 8448.00 | 111.51 |
| 4. | मंजरा . . . . . | 2019.35 | 27.80 |

**कीड़ों और चूहों एवं अपर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के कारण क्षतिग्रस्त खाद्यान्न**

1248. **श्री एम० कत्तामुत्तु :**
**श्री भान सिंह भौरा :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीड़ों तथा चूहों और अपर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के कारण काफी मात्रा में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1975-76 में क्षतिग्रस्त होने वाले खाद्यान्नों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के भण्डारण के अच्छे प्रबन्ध करने के लिये किसानों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम आदि जैसे सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के गोदामों में स्टाक को अच्छी तरह रखा जाता है और परिरक्षण सम्बन्धी उपयुक्त तकनीक अपनाई जाती है जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की नगण्य क्षति होती है। यह सुनिश्चित करने के लिये भी सावधानी बरती जा रही है कि ऐसे खाद्यान्न जो कि ऊंचे प्लिंथ पर रखे जाते हैं, पर्याप्त निमार के साथ वर्षा से सुरक्षित पोलीथीन से ढक दिये गये हैं । ऐसी क्षति के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ग) इस विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे 'अन्न सुरक्षा अभियान' के अधीन बेहतर भण्डारण के लिये छोटे आकार को धात्विक बिन तैयार करने और आर्थिक सहायता आधार पर किसानों को वितरित करने के लिये राज्य सरकारों को ऋण दिए जाते हैं ।

**तमिलनाडु से चावल**

1249. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु चावल के अपने अधिकांश स्टाक केन्द्र को देगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार ने प्रारम्भ में केन्द्रीय पूल के लिए एक लाख मीटरी टन कुरुवई चावल देने की पेशकश की थी जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तमिलनाडु सरकार अब 1.9 लाख मीटरी टन कुरुवई चावल और 4.64 लाख मीटरी टन साम्बा चावल केन्द्रीय पूल में देना चाहती है और केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की अपनी अपेक्षित मात्रा लेना चाहती है। केन्द्रीय पूल को टन स्टाकों के हस्तांतरण करने सम्बन्धी शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

## गेहूं और धान के लिए नई नीति

1250. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गेहूं तथा धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कृषि वर्ष 1976–77 के लिये नई नीति क्या है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) और (ख). 1976–77 के दौरान गेहुं और चावल का उत्पादन बढ़ाने की नीति में इन फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में काफी बढ़ोत्तरी और बेहतर प्रबन्ध की विधियां शामिल है।

चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र के 1975–76 में 129.7 लाख हैक्टेयर के अनुमानित स्तर से बढ़ कर 1976–77 में 135 लाख हैक्टेयर तथा गेहूं के अन्तर्गत 1975–76 में 136.6 लाख हैक्टेयर से बढ़ कर 1976–77 में 140 लाख हैक्टेयर हो जाने का अनुमान है। 1976–77 के दौरान कुल 36 लाख मीटरी टन रासायनिक उर्वरकों की खपत होने का विचार है, जबकि 1975–76 में सभी फसलों के लिये 28.92 लाख मीटरी टन उर्वरक की खपत हुई थी।

चालू खरीफ मौसम के दौरान सामूहिक नर्सरियों की सहायता से और बेहतर प्रबन्ध की पद्धतियां अपना कर समय पर बुवाई करने विशेषकर पूर्वी राज्यों में चावल की सामान्य उत्पादकता बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया है। उन्नत उत्पादन की तकनीक अपनाने में किसानों को शिक्षित करने के लिये 17 अनुसन्धान केन्द्रों/संस्थाओं में एक सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। गेहूं और चना पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों में गेहूं और चने की उत्पादकता बढ़ाने के लिये 1976–77 के दौरान एक ऐसा ही अभियान चलाने का प्रस्ताव है। किसानों को गहन शिक्षा दी जाएगी ताकि उन्हें विशेषकर कल्याण सोना गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को समय पर बुवाई और खासतौर पर देर से की गई बुवाई की स्थिति में रतुआ निरोधी किस्में अपनाने की आवश्यकता से अवगत कराया जा सके।

## बिहार में गण्डक 'कमाण्ड क्षेत्र'

1251. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गण्डक कमाण्ड क्षेत्र से पानी बाहर निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या यह समयबद्ध है ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह):** (क) और (ख). राज्य सरकार ने गण्डक कमाण्ड क्षेत्र के लिये जल निकास सुविधायें मुहैया करने के लिये 47.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक मास्टर ड्रेनेज स्कीम तैयार की है। इन कार्यों को तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल इन कार्यों में से कुछ कार्यों को जल तालिका को और अधिक नीचा लाने के लिये तथा कमान क्षेत्र में जल निकास में सुधार लाने के लिये हाथ में लिया गया है।

## DDA Scheme for Development of Rural Areas in Delhi

1252. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Delhi Development Authority has formulated a scheme for development of rural areas in Delhi ;

(b) if so, the facts thereof and the amount of expenditure proposed to be incurred by Government thereon ; and

(c) the date from which Government propose to implement this scheme ?

**The Minister of Works and Housing and Department of Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) :** (a) No such scheme has been prepared.

(b) & (c). Question does not arise.

## कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

1253. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कितनी कमी हुई है ; और

(ख) उर्वरक बीज, कृषि उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं के दाम घटाकर किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) उर्वरकों, बीजों, कीटनाशी औषधियों और ट्रैक्टरों, कृषि के लिये मुख्य आदानों के मूल्य जनवरी, 1975 से काफी कम हो गए हैं। जहां तक जल तथा बिजली का सम्बन्ध है, चालू शुल्क में राज सहायता पहले से दी जा रही है। प्रमुख ब्यौरा देते हुये एक विवरण संलग्न है।

(ख) उर्वरक :

उर्वरकों के मूल्य पहले से ही कम हो गये हैं तथा उर्वरकों के मूल्यों में और कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

बीज :

बीजों का मूल्य नीति का यह सुनिश्चित करने के लिये आवधिक पुनरीक्षण किया जाता है कि किसानों को बीज उचित दामों पर उपलब्ध है ।

कीटनाशी औषधियां :

स्वदेशीय उत्पादित कीटनाशी औषधियों के लागत-ढांचे पर निगाह रखने के लिये औद्योगिक लागतों और मूल्यों के ब्यूरो को कहा गया है ।

कृषि उपस्कर :

ट्रैक्टरों के मूल्यों में और कमी की सम्भावनाओं पर लगातार विचार किया जा रहा है ।

विवरण

| आदान का नाम | कुछ प्रमुख किस्में | 1975 में मूल्य | वर्तमान मूल्य |
|---|---|---|---|
| | | (रुपये प्रति मी० टन) | |
| उर्वरक | यूरिया | 2000 | 1750 |
| | डी-अमोनियम फासफेट | 3005 | 2210 |
| | ए० एन० पी० (24-24-0) | 3080 | 2270 |
| | एन० पी० के० (15-15-15) | 1700 | 1570 |
| | एन० पी० के० (17-17-17) | 2590 | 1970 |
| | म्यूरियट आफ पोटाश | 1220 | 900 |
| बीज | मक्का संकर | 4250 | 4000 |
| | बाजरा एच० पी०-3 | 9550 | 8900 |
| | धान (मोटे और मध्यम किस्म के अनाज) | 1900 | 1800 (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश) |
| | धान—फाइन | 2100 | 2000 आंध्र प्रदेश सहित उत्तरी क्षेत्र |
| कीटनाशी | डी० डी० टी० | 12930 | 11930 |
| | बी० एच० सी० | 5500 | 4000 |
| | मालाथियन | 32000 | 28000 |
| ट्रैक्टर | मैसीफरग्यूशन एम एफ-1035 | 43199 | 42729 |
| | एस्कोर्ट—335 | 40135 | 39680 |
| | —3036 | 41332 | 40857 |
| | फोर्ड —3000 | 56838 | 56168 |

ट्रैक्टरों के मूल्य में उत्पाद शुल्क शामिल है ।

## गुजरात में मत्स्य उद्योग का विकास

1254. **श्री एन० आर० वेकारिया :**
**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान गुजरात राज्य में मत्स्य उद्योग के विकास के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) गुजरात के मछुओं को अपनी मत्स्य सम्बन्धी गतिविधियों के विकास तथा विस्तार के लिये क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) पांचवीं योजना दौरान गुजरात में मत्स्यकी के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में मत्स्यकी बीज उत्पादन, यंत्रीकृत नौकाओं का प्रवेश, मत्स्यकी के लिये आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, विपणन संचयन, और परिसंस्करण, अनुसन्धान, शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोगियों की सहायता शामिल है। 700 लाख रुपये के पांचवीं प्लान परिव्यय में से 291 लाख रुपये का प्रथम 3 वर्षों के उपयोग किये जाने की आशा है। इसके अलावा अन्तिम 2 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद कृषि पुनर्वित्त विकास निगम और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के लिये 266.97 लाख रुपये की कुल सहायता के अतिरिक्त 262 लाख रुपये संस्थागत ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है।

(ख) गुजरात में मछुओं को दिये गये प्रोत्साहन नेराइन डीजल इंजनों, आउट-बोर्ड मोटरों, नौकाओं के सुधरे आकार, मात्स्यकी की आवश्यक वस्तुओं, विपण, टैंकों, के सुधारों आदि के लिये ऋणों एवं राज्य सहायता के रूप में है।

## गुजरात के जिलों में सिंचाई सुविधाएं

1255. **श्री एन० आर० वेकारिया :**
**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के जूनागढ़, राजकोट और जामनगर जिलों में सिंचाई सुविधाओं के मुख्य स्रोत क्या हैं ; और

(ख) क्या उन जिलों में सिंचाई कार्यों के लिये खारीपन दूर करने का संयंत्र लगाने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) राज्य के जूनागढ़, राजकोट और जामनगर जिलों में सिंचाई सुविधाओं का मुख्य साधन मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों तथा परम्परागत खुले कुंओं से होने वाली बहाव-सिंचाई है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## गुजरात में मत्स्य ग्रहण पत्तन

1256. **श्री एन० आर० वेकारिया :**
**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में मत्स्य ग्रहण पत्तन के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मछुओं को क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) वेरावल और मंगरोल में स्वःचालित मात्स्यकी बन्दरगाहों का विकास करने का प्रस्ताव किया गया है। इन दोनों स्थलों पर मात्स्यकी बन्दरगाहों, तटवर्तीय सुविधाओं जलयानों आदि के विकास हेतु एक समेकित विकास कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है।

(ख) 4 मीटर तक खींचने वाले जलायानों को चलाने के लिये वैरावल मात्स्याकी की बन्दरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। बंदरगाह की कुल तटीय लम्बाई 1430 मीटर होगी जिस में 14 मीटर की लम्बाई वाली 550 यंत्रीकृत नौकाओं तथा 23 मीटर की लम्बाई वाली 11 गहन समुद्र मात्स्यकी जलयानों को चलाने की व्यवस्था होगी (मंगरोल मात्स्यकी बन्दरगाह 2.5 मीटर की है तथा जहाज उतरने के स्थान की लम्बाई 458 मीटर होगी। यह 11 से 15 मीटर लम्बाई वाली 250 यंत्रीकृत नौकाओं के आपरेशन के योग्य होगी दोनों बन्दरगाहों पर तटवर्ती सुविधाओं में नीलामी हालों वर्कशापों; बर्फ़ संयत्रों शीतागारों हिमीकरण सयंत्रों आदि की सुविधायें शामिल हैं। वेरावल में एक अतिरिक्त पोत निर्माण का कारखाना होगा।

## विश्व सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक में डेरी योजना

1257. **श्री के० लकप्पा** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में विश्व सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक डेरी स्थापित करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या तुमकुर आदि पिछड़े जिलों में डेरी कार्यक्रम को लागू करने के लिए कर्नाटक राज्य में कोई कार्य शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) कर्नाटक में समेकित पशु एवं डेरी परियोजना विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता तथा 50.9 करोड़ रु० के वित्तीय परिव्यय से 6 वर्ष पहले आरम्भ की गई थी। राज्य स्तरीय डेरी विकास निगमों के अतिरिक्त 295 डेरी सहकारी समितियों के गठन से परियोजना के अधीन प्रगति की गई है। उस समय जब परामर्शदाताओं तथा दुग्ध संघों के लिए कुछ स्टाफ़ नियुक्त किया गया, तभी क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए परियोजना के अन्तर्गत प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुग्ध संग्रह का कार्य कुछ क्षेत्रों में काफ़ी सुधर गया है।

(ख) तथा (ग) जी हां। केवल तुमकुर जिले में ही 40 डेरी सहकारी समितियां बनाई गई हैं तथा स्वास्थ्य सुधार जैसे अन्य आदानों सहित मवेशियों के आहार की सप्लाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान का काम पहले से ही आरम्भ किया जा चुका है तथा 20 वीर्योधान कराने वालों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है। किसानों को प्रशिक्षण देना पहले से ही आरम्भ कर दिया गया है।

**सर्कस में पशुओं से काम लिया जाना**

1258. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं पर क्रूरता निवारण समिति या किसी अन्य संस्था ने यह सुझाव दिया है कि पशुओं से सर्कस में काम न लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) और (ख) जी हां। पशु कल्याण मण्डल मद्रास से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

**कृषि उत्पादन के लिए ऋण**

1259. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1976–77 के दौरान देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी राशि के ऋण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं। सरकार का स्वयं वर्ष 1976–77 के दौरान देश में फ़ार्म उत्पादन बढाने के लिए बड़े ऋण देने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्ष 1976–77 में सहकारी ऋण संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों से फ़ार्म उत्पादन के लिए अधिक ऋण प्रदान करने की आशा की जाती है।

(ख) वर्ष 1976–77 के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा फ़ार्म उत्पादन के लिए ऋण दिए जाने के नियत लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

| | |
|---|---|
| अल्प कालीन ऋण . | 1160 करोड़ रुपए |
| मध्य कालीन ऋण . | 82.63 करोड़ रुपए |
| दीर्घ कालीन ऋण . . . . | 284.45 करोड़ रुपए |

तथापि वाणिज्यिक बैंकों के लिए कोई विशेष लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं।

**भारी जल भण्डारों का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सहायता**

1260. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में भारी जल भंडारों का उपयोग करने के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ सिंचाई स्कीमों के लिए केन्द्र से अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ख) 1976–77 के दौरान राज्यों को, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

## सामाजिक सेवा को कालेज शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना

1261. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा सेवाओं के महानिदेशक ने सरकार से आग्रह किया है कि सामाजिक सेवा को कालेज शिक्षा पर एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख) युवक सेवा के महानिदेशक सहित अनेक व्यक्तियों का यह अभिमत है कि राष्ट्रीय सेवा योजना सम्बन्धी कार्यकलापों की विश्वविद्यालयों और कालेजों के पाठ्यचर्या अध्ययन के कार्यक्रम से समाकलित कर देना चाहिए। इन सुझावों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में लाया गया है, जो अपने विषय पैनलों के परामर्श से प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

## गुजरत आवास बोर्ड

1262. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धन वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए गुजरात आवास बोर्ड ने अब तक कितने मकान बनाए हैं;

(ख) क्या गुजरात राज्य में गन्दी बस्तियों के निवासियों को आवास के लिए अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है;

(ग) इसकी प्रगति में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात आवास बोर्ड के पुनर्गठन के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) और (ख) गुजरात सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) गुजरात आवास बोर्ड सहित राज्यों के आवास बोर्ड सांविधिक निकाय हैं जो सरकारों द्वारा अपने अधिनियमों के अधीन स्थापित किए गए हैं। उसी तरह इन बोर्डों का कार्यक्षेत्र तथा उनके कार्य राज्य सरकारों की उन सांविधियों द्वारा निधारित किए जाते हैं जिनके अन्तर्गत वे स्थापित किए जाते हैं।

**पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में भ्रष्टाचार कम करने की योजना**

1263. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में भ्रष्टाचार कम करने तथा इसकी कार्यकुशलता एवं कारगरता में समुचे तौर पर सुधार करने के लिये एक पांच-सूत्री योजना पेश की थी ;

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये थे;

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उक्त योजना की क्रियान्विति के बाद इस विभाग में भ्रष्टाचार किस हद तक दूर हुआ है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी)** : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाये रखने के लिये कुछ सिफ़ारिशें की हैं, जिनमें से समाचार पत्रों में निम्नलिखित 5 सिफ़ारिशों को मुख्य रूप से छापा गया है :—

(1) टैण्डरों के बारे में निर्णय निविदा (टैण्डर) समितियों द्वारा ही लिये जायें;

(2) क्रय-स्कंध के साथ जन-सम्पर्क को कम किया जाये;

(3) निरीक्षण में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये दोहरी निरीक्षण पद्धति शुरू की जाय;

(4) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों को निरीक्षण-दौरों के अवसर पर ठेकेदारों द्वारा दिये गये वाहनों तथा अन्य मुफ्त निवास तथा भोजन आदि सुविधाओं के उपयोग से दूर रहना चाहिये;

(5) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में सतर्कता और संगठन को मजबूत बनाया जाये।

(ख) से (घ) इस विभाग में रिपोर्ट की जांच-पड़ताल करके निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये हैं :

भाग (क) के अन्तर्गत मद (2), (3), (4) और (5) को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। और सतर्कता संगठन को मजबूत करने के लिये कुछ अतिरिक्त मदों की मंजूरी भी दे दी गई है। कुछ अन्य व्यावहारिक प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तनों को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस संगठन में कार्य में उत्तरोत्तर सुधार के बारे में परिकल्पना की जा रही है और उस पर निगरानी रखी जा रही है।

**गुजरात में समुद्री तूफान के कारण बेघर हुए व्यक्ति**

1264. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जून, 1976 में गुजरात में आए समुद्री तूफ़ान तथा भारी वर्षा के कारण बहुत से लोग बेघर हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे लोग फ़िर से अपने घर नहीं बना सके हैं और अभी तक बेघर हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन लोगों को आश्रय प्रदान करने का काम अपने हाथ में लिया है ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)**:(क)गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार समुद्री तूफ़ान तथा भारी वर्षा के कारण सम्भवत: 12,827 मकान तथा 19,592 झोंपड़ियां गिर गई तथा 48084 मकान और 82,205 झोंपड़ियों को क्षति पहुंची। राज्य सरकार के पास इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है कि कितने आदमी बेघर हो गए हैं।

(ख) तथा (ग) गुजरात सरकार प्रभावित व्यक्तियों को पुन: झोंपड़ी बनाने के लिए 700 रुपये तथा मरम्मत करने के लिए 250 रुपये तक की दर से सहायता अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त मकान के पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत के लिए 5,000/- रुपये प्रति मकान के हिसाब से ऋण उपलब्ध है।

**भूमिगत और सतही पानी वाले क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन परियोजनाएं**

1265. **डा० के० एल० राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई कार्यों तथा उर्वरकों और खाद्यान्नों के आयात पर प्रतिवर्ष औसतन कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(ख) गत 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने खाद्यान्न की कमी रही ; और

(ग) क्या जिन क्षेत्रो में भूमिगत और सतही पानी बहुतायत में उपलब्ध है और निर्माण लागत बहुत कम है,उन क्षेत्रों में परियोजनाएं आरम्भ करके इस कमी को दूर किया जा सकता है, विशेषकर जब यह कमी वर्षा न होने के कारण उत्पन्न होती है।

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) तथा (ख) जानकारी संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 11184/76]

(ग) जी हां। निस्सन्देह कृषि उत्पादन बढाने में सिंचाई एक महत्वपूर्ण तत्व है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिये उपलब्ध सतही और भूमिगत जल संसाधनों के विकास के लिये भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

**केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिये स्थानों का चुनाव करने सम्बन्धी मानदण्ड**

1266. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 1976 के एक स्थानीय दैनिक में 16 मोर सेंट्रल स्कूल्स दिस ईयर' (इस वर्ष 16 और केन्द्रीय विद्यालय) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन 16 स्कूलों के लिये स्थानों का चुनाव करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) जी हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन का इस वर्ष निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय स्कूल खोलने का विचार है :—

**रक्षा क्षेत्र में :**

1. डिनजन (असम)

2. जम्मू (जम्मू तथा काश्मीर)
3. हैप्पी वेली (असम)
4. इलाहाबाद, न्यू कैंट (उत्तर प्रदेश)
5. टिबरी, गुरदासपुर कैन्ट (पंजाब)
6. जालन्धर कैन्ट (पंजाब)
7. अरमापुर (कानपुर) (उत्तर प्रदेश)
8. कोचीन (केरल)

**सिविल क्षेत्र में :**

1. गंगटोक (सिक्किम)
2. देवास (मध्य प्रदेश)
3. मुगल सराय (उत्तर प्रदेश)
4. वजीरपुर लारेन्स रोड (दिल्ली)
5. भारतीय विज्ञान संस्थान (कर्नाटक) अथवा करायकडी (तमिलनाडु)
6. कोलोवाडा बम्बई (महाराष्ट्र)

**अर्ध सैनिक स्थानों पर :**

1. जम्मू (सी० आर० पी० एफ़०)
2. लोकरा (असम राइफ़िल्स कैम्पस)

**सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में :**

1. बोगाई गांव (असम) पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड
2. किरोबरू (बिहार) लोहा धात परियोजना-मैघेलातनरू
3. सारनी (मध्य प्रदेश) पश्चिमी कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड

(ख) (I) 1976–77 में 14 नए केन्द्रीय स्कूल खोलने की बजट व्यवस्था है जिनमें से 8 स्कूल रक्षा क्षेत्र में, 2 केन्द्रीय आरक्षण पुलिस फ़ोर्स तथा अन्य अर्ध सैनिक स्थानों में और 4 असैनिक क्षेत्रों में खोले जाने हैं। इसके अलावा, सिविल क्षेत्र में जिन 2 स्कूलों की व्यवस्था 1975–76 के लिए की गई थी उन्हें वास्तव में 1976–77 में खोल दिया गया है।

(II) रक्षा मन्त्रालय ने ऐसे स्थानों की एक वरीयता सूची का सुझाव दिया है जिनमें प्रत्येक वर्ष रक्षा क्षेत्र स्कूल खोले जाते हैं। इस सूची में बताए गए क्रमानुसार स्कूल खोले जाते हैं बशर्ते कि अस्थायी स्थान, आवासीय स्थान जहां जरूरी हो जैसी भौतिक सुविधाएं तथा व्यावहारिक स्कूल के लिये पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध हों।

(III) इसी प्रकार से गृह मन्त्रालय ने दो ऐसे स्थान बताए हैं जहां स्कूल अर्ध सैनिक स्थानों में खोले जाने चाहिएं।

(IV) सिविल क्षेत्र के स्कूलों के लिये स्थान का चयन, केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनका स्थानान्तरण बार बार होता रहता है दाखिला लेने वाले उनके बच्चों की संख्या तथा स्कूल के भवन के लिए भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(V) विद्यालय भारत सरकार के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी खोले जाते हैं जो अखिल भारतीय आधार पर अपना स्टाफ़ भर्ती करते हैं और जो एक कल्याण के उपाय के रूप में अपने कर्मचारियों के बच्चों को समान स्तर के अनुसार शिक्षा देना चाहते हैं ये उद्यम अपने अपने क्षेत्रों में स्कूल खोलने तथा स्थापित स्कूलों को चलाने का सारा खर्च वहन करते हैं।

(ग) जिन स्थानों पर स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं वहां केन्द्रीय स्कूल निर्धारित मानदण्डों और धन की उपलब्धता की शर्त पर ही खोले जायेंगे।

**अनाज वसूली का लक्ष्य कम करने और बोनस व्यवस्था समाप्त करने के लिए पंजाब का अनुरोध**

1267. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में अनाज वसूली के लक्ष्य को कम करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र से यह भी अनुरोध किया गया है कि गेहूं पर बोनस के भुगतान की व्यवस्था समाप्त कर दी जाये; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे)** : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने गेहूं के वसूली लक्ष्य से कटौती करने के लिए अनुरोध किया था। यह भी कहा गया है कि बोनस की हकदारी को केन्द्रीय पूल के लिए वसूली/अंशदान के किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ नहीं जोड़ा जाए। क्योंकि अधिक से अधिक वसूली करने के लिए बोनस की मौजूदा प्रणाली अधिक प्रेरक है इसलिए इस को भी परिवर्तन न करने का निर्णय किया गया।

**पश्चिम बंगाल में मंडेश्वरी नदी के तटबन्धों का निर्माण**

1269. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि निचली दामोदर घाटी योजना के अंग के रूप में पश्चिम बंगाल में मंडेश्वरी नदी के दोनों ओर तटबन्धों के निर्माण से सैकड़ों गांव नष्ट होंगे;

(ख) क्या इन गांवों के प्रभावित लोग किसी मुआवजे के हकदार हैं; और

(ग) क्या सरकार ने दामोदर तथा रूप-नारायण जैसी नदियों को बांधने और मोड़ने तथा डी० बी० सी० क्षेत्र में और अधिक बांधों के निर्माण जैसी वैकल्पिक योजना पर विचार किया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)**: (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने लोअर दामोदर क्षेत्र में जल-विकास व्यवस्था सुधार के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार की है

जिसमें नहरों के निर्माण द्वारा अमता चैनल (दामोदर की लोअर पहुंच) को पुनः चालू करना, इसके दक्षिण तट पर इसकी असुरक्षित लम्बाई में बाढ़ तटबन्ध का निर्माण करना, बर्दवान से नीचे की ओर दामोदर नदी के दक्षिण तट पर बाढ़ तटबन्ध का निर्माण करना, मुन्देश्वरी नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ तटबन्ध का निर्माण करना, द्वारकेश्वर नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ तटबन्ध का निर्माण करना और वर्तमान तटबन्धों को ऊंचा और सुदृढ़ करके रूपनारायण नदी की प्रवाह क्षमता को बढ़ाना शामिल है। इस समग्र स्कीम को गहन अध्ययनों के पश्चात् और सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वे सुझाव भी शामिल हैं जो माननीय सदस्य ने दिए थे, तैयार किया गया है। मुण्डेश्वरी तटबन्ध बड़ी मात्रा में पानी को बाहर आने से रोकेंगे जो नदी के दोनों किनारों से बाहर आ जाता है और बरबादी का कारण बनता है। इसमें शक नहीं है कि उन गांवों में जो नदी और तटबन्धों के बीच में पड़ते हैं, बाढ़ आने की सम्भावना बनी रहेगी। यह फैसला करना राज्य सरकार का काम है कि क्या ये लोग किसी मुआवजे के हकदार हैं या नहीं, क्योंकि बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों का आयोजन करने तथा उनको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

## सिंचाई में पिछड़े हुए राज्य

1270 **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्य निर्धारित सिंचाई लक्ष्य से भी आगे बढ़ जाएंगे;

(ख) कितने राज्य सिंचाई में पिछड़े हुए हैं; और

(ग) विशेषतः पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सन्दर्भ में अभी पूरी की जाने वाली सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) और (ख). सिंचाई के राज्य वार लक्ष्य प्रति वर्ष, पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निर्धारित कुल लक्ष्यों के ढांचे के अन्तर्गत और साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर निर्धारित किए जाते हैं। 1976-77 के वर्ष के लिए बहुत, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए 2 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने राज्य उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों से आगे बढ़ जाएंगे या पिछड़ जाएंगे। फिर भी, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) जैसिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन स्कीमों के लिए, जिन पर काम चल रहा है, आवश्यक धनराशि और अन्य निवेशों की व्यवस्था कर ताकि इन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जा सके। 1975-76 में केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की कुछ ऐसी चुनी हुई परियोजनाओं के लिए, जिन पर पहले से काम चल रहा है, 15 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता की व्यवस्था की गई थी।

## ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम

1271. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) ये योजनाएं कब से लागू हैं;

(ग) अब तक क्या भौतिक और वित्तीय लाभ हुए हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या पर इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) "ग्राम रोजगार की त्वरित योजना" का मुख्य उद्देश्य श्रम प्रधान कार्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रत्येक जिले में 10 महीनों के औसत से 1,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करना था जिसके फलस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन हुआ ।

(ख) यह योजना अप्रैल, 1971 से मार्च, 1974 तक कार्यान्वित की गई थी । इसे 1-4-1974 से बन्द कर दिया गया था ।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 वर्षों (1971–74) मे किया गया कुल व्यय 125.38 करोड़ रुपए था जिससे 31.53 करोड़ श्रम दिनों का रोजगार पैदा किया गया था । रोजगार प्रदान करने के अलावा इस योजना ने विकास हेतु आधारभूत ढांचे का निर्माण किया है । सिंचाई के अन्तर्गत 142,604 हैक्टेयर भूमि लाई गई थी । 18,672 हैक्टयर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया था, वन रोपण के अन्तर्गत 37,095 हैक्टेयर भूमि और भू-संरक्षण के अन्तर्गत 26,228 हैक्टेयर भूमि लाई गई थी । 72,375 किलोमीटर तक सड़को का निर्माण/सुधार किया गया था ।

(घ) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के कार्यान्वयन में किए गए अनुसन्धान अध्ययनो से पता चला कि श्रमिको ने ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के माध्यम से रोजगार तथा आय का वास्तविक स्रोत ढूंढ निकाला ।

## कृषि संबंधों से सम्बन्धित कृतिक बल की सिफारिशें

1272. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के 'कृषि सम्बन्धों से सम्बन्धित कृतिक बल' (टास्क फोर्स) ने मार्च, 1973 की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उस कार्यवाही के क्या वास्तविक परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार भूमि सुधार उपायों की प्रगति से सन्तुष्ट है, और

(घ) यदि नहीं, तो धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) से (घ) :–योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए 'कृषि सम्बन्धों पर कृतिक दल' की रिपोर्ट, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रलेख के मसौदे में शामिल किए गए भूमि सुधार सम्बन्धी नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का आधार है । सारे देश

में पट्टेदारी के कानून अधिकांश रूप से राष्ट्रीय नीति के अनुसार बनाये जा रहे हैं। सभी राज्यों ने इस संबंध में पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार लगान को नियमित करने के लिए कानून बना लिए हैं, अर्थात् लगान में अधिकतम दर कुल उत्पाद के 1/5 से 1/4 तक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्र में लगान की दर कुछ अधिक है। देश के एक दर्जन से अधिक राज्यों ने काश्तकारों का कब्जे की भूमि पर काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए कानूनी उपाय पहले ही पूरे कर लिये हैं। अन्य कई राज्यों में काश्तकारों को अपनी वैयक्तिक खेती के अन्तर्गत की भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकार खरीदने के लिये अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। अधिकांश राज्यों में भूस्वामियों द्वारा वैयक्तिक खेती के लिए भूमि वापिस लेने का अधिकार समाप्त हो गया है। इन कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं।

तदनुसार अब तक देश के सब राज्यों ने, जहां जोत की अधिकतम सीमा के उपायों को शुरू करने की आवश्यकता है, वैधानिक उपबन्ध बना लिए हैं। ये कानून काफी गति से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जोत की अधिकतम सीमा के कानून, जो राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बनाये गये हैं, क्रियान्वय के फलस्वरूप 22 लाख एकड़ से अधिक भूमि फाल्तू घोषित की गई है। इस भूमि में से 13 लाख एकड़ से अधिक भूमि राज्यों ने अपने अधिकार में ले ली है, जिसमें से 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि भूमिहीन कृषि मजदूरों और अन्य पात्र व्यक्तियों को बांटी गई है यह कार्य अभी जारी है।

अधिकारों का रिकार्ड तैयार करने पर पट्टेदारी के सुधार का क्रियान्वयन तेजी से होगा यद्यपि, अधिकारों के रिकार्ड देश के अधिकांश स्थानों में है, परन्तु इनमें काश्तकारों, आसामी काश्तकारों बटाईदारों और भूमि के अन्य असुरक्षित धारकों के अधिकार भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाये गए हैं। इन वर्गों के भूधारियों के हितों के अधिकार रिकार्ड में लिखने के लिए सांविधिक आधार की व्यवस्था करने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई राज्यों में कानूनी उपाय किये गये हैं।

जोत की अधिकतम सीमा के उपायों के क्रियान्वयन में न्यायालय के हस्तक्षेप, क्रिया विधि सम्बन्धी देरी, वित्तीय एवं प्रशासनिक कठिनाइयों ने भी बाधा उत्पन्न की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिक कदम उठाये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले लगभग एक वर्ष से क्रियान्वयन ने काफी गति प्राप्त कर ली है।

**विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान**

1273. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वर्ष-वार कितना अनुदान प्राप्त हुआ ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक विश्वविद्यालय ने उन अनुदानों का किस हद तक उपयोग किया ; और

(ग) कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविक्रालय अनुदान आयोग द्वारा दिय गय अनुदानों का पूरा उपयोग न किय जाने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री ( प्रो० एस० नूरुल हसन)** : (क) विवरण संलग्न है। ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल टी० –11185/76)

(ख) और (ग). प्रारम्भ में, विश्वविद्यालयों को विकासात्मक अनुदानों का विनिधान योजना अवधि के लिए योजनावार दिया जाता है। इसलिये उनका किस हद तक उपयोग किया गया इसका केवल योजना अवधि के पश्चात ही पता चलेगा। इन अनुदानों का सामान्यत : भुगतान विभिन्न संस्वीकृत योजनाओं के संबंध में प्राप्त व्यय की प्रगति के आधार पर समुचित किस्तों में किया जाता है। आयोग द्वारा वास्तविक रूप में ही दी गई राशि में अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये 'उचंती खाता' (ओन एकाउंट) अनुदान तथा कुछ मामलों में पिछली योजनाओं में अनुमोदित योजनाओं पर पहले से किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी शामिल है।

कुछ मामलों में आयोग द्वारा संस्वीकृत विकासात्मक अनुदानों का, योजना-अवधि के दौरान भर्ती प्रक्रियाओं, उपस्कर तथा सामान के अधि ग्रहण निर्माण सामग्रियों आदि का उपलब्ध न होने में देरी होने से विश्वविद्यालयों द्वारा पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदा ों का योजना अवधि में ही पूरा उपयोग न होने का एक कारण राज्य सरकारों से बराबर का योगदान न प्राप्त होना भी है।

**Expenditure on Chambal Command Area**

1274. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Government and U.N.O. on the programme to develop Chambal Command Area in Chambal region of Kota, Rajasthan respectively, so far ; and

(b) the progress of this programme ?

**The State Minister in the Ministry of Agriculture & Irrgigation (Shri Shah Nawaz Khan) :** (a) (i) The expenditure incurred on Chambal Command Area (Rajasthan) by the Rajasthan Government upto April 1976 is Rs. 760 lakhs. World Bank are also providing loan for implementation of this project.

(ii) The UNDP had earlier helped in conducting pilot studies in the Chambal region near Kota (Rajasthan). However, at present, there is only one expert who is advising the Chambal Command Area Authority in carrying out the command area work.

(b) The following progress has been achieved upto April 1976 under this project :

1. *Irrigation & Drainage*

| | |
|---|---|
| (a) Drainage | 11335 ha. |
| (b) Canal Lining | 5.46 km |
| (c) Canal capacity works | 21.02 km |
| (d) Control Structures | 6 Nos. |

2. *On-farm development*

| | |
|---|---|
| (a) Survey | 11688 ha. |
| (b) Planning | 5167 ha. |
| (c) On-farm works | 520 ha. |
| 3. Roads | 15·74 km |
| 4. Afforestation (Plantation) | 250 ha. |

**Survey for Construction of a Dam on the Kunteria Karmoi (Rajasthan).**

*1275. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a survey had been conducted by Government several years ago for construction of a dam on the Kunteria Karmia river in Uadiapur (Rajsthan) ; and

(b) if so, the main facts thereof and the time by which work thereon is likely to be commenced ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) :** (a) & (b) : The Government of Rajasthan have reported that no such project is under their consideration.

## ट्रैक्टर पर लेवी

1276. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने हाल ही में ऐसा संकेत दिया है कि सरकार टैक्टरों पर लेवी में कमी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि कृषि यन्त्रों के अधिक मूल्य होने के बारे में अधिकारियों और निर्माताओं पर लगा व्यापारिक लांछन दूर हो जाये ;

(ख) क्या कृषि भूमि सम्पत्ति के पुनर्वितरण पर जोर देने के कारण अनेक कृषकों के लिए ट्रैक्ट्रों और विद्युत-चालित जुताई-यंत्र खरीदना अलाभकर हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार सामुदायिक विकास खण्ड स्तर पर किसी सरकारी मशीनरी की व्यवस्था करने का है या वह सहकारी संगठनों से ट्रैक्ट्रों और तत्सम्बन्धी सेवा केन्द्रों को खोलने के लिए कहेगी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) हाल ही से ट्रैक्टरों पर लेवी कम करने के मामले पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करती रही है । ट्रैक्ट्रों के उत्पादन में मूल उपस्कर के रूप में काम आने वाले टायरों, ट्यूबों और बैटरियों पर उत्पादन शुल्क में पहले ही छूट दे दी गई है ।

(ख) यदि किसान टैक्ट्रर के इष्टतम उपयोग की दृष्टि से उन्हें भाड़े पर देकर पूरा फायदा न उठाएं तो उनके लाभकर उद्योग पर असर पड़ेगा ।

(ग) किसानों के लिए मशीनरी को भाड़े पर लेने और सर्विस की सुविधाएं देने के लिये सरकार 17 प्रमुख राज्यों में राज्य कृषि प्रयोग निगमों के माध्यम से मशीनरी को भाड़े पर देने और सर्विस केन्द्र स्थापित करने को बढ़ावा दे रही है । इसके अतिरिक्त इंजीनियर उद्यमियों द्वारा कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिये मशीनरी को भाड़े पर देने और सेवा संबंधी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है । अब तक देश के विभिन्न भागों में लगभग 2630 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं । इनके अतिरिक्त अब तक राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने देश के विभिन्न भागों के सहकारी क्षेत्र में 60 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए भी सहायता दी है और इस प्रकार के और अधिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है ।

## हैदराबाद में प्रशिक्षण कालेज

1278. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का विचार हैदराबाद में एक प्रशिक्षण कालेज खोलने का है ; और

(ख) यदि हां; तो प्रस्तावित कालेज के क्या कार्य होंगे ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये प्रस्तावित कृषि कालिज के मुख्य कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

(1) सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिये कृषि विकास, कृषि प्राशासन प्रायोजना नियोजन और मूल्यांकन संबंधी विविध विषयों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संगठन, सम्पर्क, समन्वय, सहयोग और विकास ।

(2) भारत के विभिन्न राज्यों तथा अन्य देशों में कृषि नियोजन तकनीक और विकास प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन सहित कृषि और प्रायोजना नियोजन तथा प्रशासन संबंधी विकास क्रिया पर विशेष बल देते हुए कृषि विकास प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान की व्यवस्था, विस्तार, सहायता, सहयोग और समन्वय ।

(3) कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के विचारों और सूचनाओं के स्रोत के रूप में कार्य करना और इस प्रकार के ज्ञान के प्रसार और उपयोग के लिये वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना ।

(4) राज्य सरकारों, व्यापारिक बैंकों और देश और विदेश में स्थित अन्य एजेंसियों को भी प्रायोजना नियोजन और कृषि विकास प्रशासन के क्षेत्र में परामर्श सेवा की सुविधा प्रदान करना और कृषि संबंधी अनुसंधान विकास की चालू तथा सम्पूरित प्रायोजनाओं के कार्य का मूल्यांकन भी करना ।

(5) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्मिकों के लिये कृषि विकास और प्रायोजना नियोजन के क्षेत्र में प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन आदि के लिये कार्यक्रम बनाना ।

(6) किसी एक या सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक सभी कार्य करना ।

केन्द्रीय कर्मचारी कालिज निम्नलिखित सहायक और पूरक कार्य भी करेगा ।–

(1) कृषि निदेशक, पशु पालन निदेशक, मत्स्यकी निदेशक, अनुसंधान संस्थाओं के अध्यक्ष आदि जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के लिये, अधिमानतः उनके पदभार ग्रहण करने के पूर्व, भारत भर में स्थित विशिष्ठ संस्थाओं को दिखाने की व्यवस्था करना और वैयक्तिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करना ।

(2) कृषि और संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख अधिकारियों और प्रशासकीय व्यक्तियों के लिये कृषि विकास से संबंधित नीतियों के संबंध में उच्च स्तरीय नवीकरण पाठ्यक्रम पुनश्चर्याओं, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्य शिविरों का आयोजन करना ।

(3) राज्य और केन्द्र दोनों की संगठित कार्मिक सेवाओं में नवागतों के लिये--जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवा अधिकारियों, राज्य कृषि सेवा कार्मिकों, कृषि अनुसंधान सेवा कार्मिकों आदि के लिये बुनियादी पाठ्यक्रमों का आयोजन ।

(4) प्रायोजना नियोजन और कृषि विकास अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों का आयोजन, सम्पर्क कार्य और समन्वय करना ।

(5) वास्तविक क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर कृषि संबंधी प्रायोजना नियोजन और विकास प्रशासन के संबंध में उच्च कोटि की साधन सामग्री तैयार करना ।

(6) उच्च कोटि की प्रशिक्षण सामग्री और संबंधित साहित्य के प्रकाशन का कार्यक्रम चलाना ।

(7) कृषि के क्षेत्र में कार्मिकों की भर्ती और प्रशासन के लिये उपयुक्त प्रणाली सहित अनुसंधान और विकास के सर्वोत्तम विधि के निर्धारण के लिये अनुसंधान और अध्ययन का प्रवर्तन, प्रवर्धन और समर्थन करना ।

**छात्रों की छात्रवृत्ति का देर से भुगतान किया जाना**

1279. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां बहुत देर से दी जाती हैं और कभी कभी शिक्षा वर्ष की लगभग समाप्ति पर दी जाती हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के जरिये कार्यान्वित की जाती है । उनसे प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि आमतौर पर भुगतान समय पर किया जाता है । लेकिन कभी कभी निम्नलिखित जैसे कुछ अपरिहार्य कारणों से अध्येताओं को भुगतान में विलम्ब हो सकता है :-

(1) अध्येताओं/संस्थाओं से पूरे कागजात के न प्राप्त होने,

(2) चुने हुए अध्येताओं की समय पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होना, तथा

(3) छात्रों द्वारा राज्य सरकारों की पूर्व-अनुमति बिना संस्था/पाठ्यक्रम को बदलना ।

राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया गया है कि वे भुगतान समय पर करें ताकि अध्येताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

**दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करने सम्बन्धी समिति**

1280. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करने के बारे में कोई समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार को उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो मुख्य सिफ़ारिशों की रूप-रेखा क्या है ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) से (ग). दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड स्थापित किया है । उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड ने मंत्रालय में राज्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो बोर्ड द्वारा उसे भेजी जाने वाली विशिष्ट समस्याओं की जांच करती है ।

बोर्ड तथा समिति द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं की जानी है लेकिन जब कभी आवश्यक हो उनकी बैठक होती है और उनके सामने रखी गई विभिन्न समस्याओं पर वे विचार करते हैं ।

**Committee on Suratgarh Farm**

*1281. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have constituted a Committee to inquire into the working of Suratgarh farm ;

(b) if so, the facts thereof ; and

(c) the time by which this Committee is likely to submit its report ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :** (a) & (b). Yes Sir. A Three Member Committee known as 'Suratgarh Farm Investment Evaluation Committee' headed by Justice Janki Nath Bhatt, Retired Judge of Jammu & Kashmir High Court has been constituted by Government on 31st July, 1976 with the following terms of reference :—

(i) To assess the value of investment made by the Rajasthan Government in the Suratgarh Farm by way of land.

(ii) To assess the value of investment made by the Government of India in the Suratgarh Farm by way of development, machinery, input services etc.

(iii) To evolve a formula for sharing the profits of the Farm on the basis of the investments made by the two Governments and to suggest the periodicity of review of the formula.

(iv) To suggest arrangements for associating the Rajasthan Government with the running of the Suratgarh Farm.

(c) The Committee is expected to submit its Report within six months from the date of its constitution.

**महाराष्ट्र की रोजगार गारण्टी योजना**

1282. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की रोजगार गारन्टी योजना की इस आशय से जांच की है कि जिससे उसको कुछ सुधारों के साथ देश के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजना हेतु नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और चालू वर्ष में इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) ग्राम रोजगार सम्बन्धी अध्ययन दल ने प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसपर सरकार द्वारा विचार किया गया था । यह निर्णय किया गया है कि सबसे पहले रोजगार कार्यक्रम का एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के साथ सामंजस्य स्थापित किया जानना चाहिये ।

**गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास की समेकित योजना**

1283. **श्री वसन्त साठे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के महत्वपूर्ण नगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये आवास की एक समेकित योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और चालू वर्ष में क्या वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और ऐसी परियोजनाओं पर वास्तव में कितना काम हुआ है ।

**निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना केन्द्रीय क्षेत्र में 1956 में बनाई गई थी । 1-4-1969 से इस योजना को राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

(ख) यह योजना जिन मूल सिद्धान्तों पर आधारित है, वे निम्नलिखित हैं :-

(i) गन्दी बस्ती में रहने वालों का विस्थापन कम से कम होना चाहिये और जहां तक संभव हो उन्हें गन्दी बस्ती के मौजूदा स्थानों पर और/अथवा निकटवर्ती स्थानों पर पुन: बसाने के प्रयत्न किये जाने चाहियें, ताकि वे अपने रोजगार के साधनों से वंचित न हों ।

(ii) गन्दी बस्ती में रहने वालों की देय क्षमता के अन्तर्गत किराया कम करने के लिये सुपरिष्कृत संरचना के निर्माण की बजाय पर्यावरणीय स्वास्थ्य के न्यूनतम मानकों तथा आवश्यक सेवाओं पर अनिवार्य रूप से अधिक बल देना चाहिए ।

इस योजना में विभिन्न प्रकार के आवासों लिये न्यूनतम मानक और अधिकतम लागत प्लाटों/टैनीमेंट्स के आवंटन हेतु गन्दी बस्ती में रहने वालों की पात्रता के बारे में उनके मापदण्ड निर्धारित हैं ।

क्योंकि यह योजना राज्य क्षेत्र में है अत: इस योजना के लिये वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ।

**राजनीतिक पीड़ितों/अध्यापकों को सेवा में वृद्धि देना**

1284. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन तथा अन्य राज्य सरकारों ने माध्यमिक स्कूलों के राजनीतिक पीड़ित अध्यापकों को सेवा निवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात् सेवा में दो वर्ष की वृद्धि का लाभ दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विश्वविद्यालय कर्मचारियों को, शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक दोनो क्षेत्रों में, जो राजनीतिक पीडित रह चुके हैं, यह लाभ देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि वे माध्यमिक स्कूलों के उन आध्यापकों को सेवा निवृत्ति के बाद सेवा में एक वर्ष की वृद्धि का लाभ देते हैं, जो स्वतन्त्रता सैनानी रहे हों तथा जिन्होंने ताम्र प्राप्त किये हों। राज्यो के बारे में यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**जंगली पौधों को संरक्षण**

1285. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक उपज देने वाली किस्मों के तेजी से प्रसार के कारण परम्परागत खेती और जंगली पौधों की किस्में समाप्त होती जा रही हैं, जिससे भविष्य में कृषि को हानि पहुंचने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो जंगली पौधों और आदिकालीन फसलों को बनाये रखने के लिए, जिनमें ऐसे लाभदायक तत्वों का होना बताया जाता है, जो खेती की जाने वाली फसलों की उन्नति के लिए अति आवश्यक है और जिनमें भूमि के अनुकूल बनने की विशेषता है, क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के अन्तर्गत स्थापित नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लान्ट इंट्रोडक्शन और विभिन्न कृषि-जलवायु जोनों में स्थित क्षेत्रीय केन्द्र आदिक कालीन फसलों को एकत्र करने और उन्हें बनाये रखने में सहायक होंगे ताकि उनका प्रयोग देश में खेती सुधार कार्यक्रम के लिये किया जा सके ?

**कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, श्रीमान, आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के फैलने से, परम्परा से उगाई जा रही किस्मों की खेती बन्द हो जायेगी । परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इस स्थिति को पूरी तरह से जानती है और परिषद् ने परम्परा से उगाई जाने वाली किस्मों और पादप-प्रजनन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से महत्व-पूर्ण जंगली पौधों को एकत्र करने और सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए हैं ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जंगली पौधों को एकत्र करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर पौधों की खोज करने वाले वैज्ञानिक दल भेजती रही है और उसने विभिन्न केन्द्रों में उगाई जाने वाली विभिन्न किस्में भी संकलित की हैं । अनेक फसलों के आदिकालीन उगाए जाने वाले रूपों के अनेक संकलन पहले ही तैयार किए जा चुके हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमान । पौधों के प्रचलन का राष्ट्रीय ब्यूरो (नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट इंट्रोडक्शन) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, के पूर्वकालिक पादप प्रचलन प्रभाग के पौधों की खोज सम्बन्धी कार्यों को बड़े पैमाने पर करेगा । शिमला, जोधपुर और अमरावती में वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्रों के अलावा त्रिचूर (केरल) और शिलांग (मेघालय) में भी इसके केन्द्र होंगे । ब्यूरो आदिकालीन उगाई जाने वाली किस्मों और जंगली पौधों के संकलन में सहायता करेगा और विभिन्न फसलों से संबंधित सुधार कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए एक बीज बैंक भी बनाएगा ।

**दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र का खराब हो जाना**

**1286. श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का संयंत्र प्रायः खराब हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 में तथा 1976 में आज तक यह कितनी बार खराब हुआ है;

(ग) क्या फिलरों में बोतलें टूट जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार टूटी बोतलों की प्रतिशतता क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र में कभी-कभार की संचलन सम्बन्धी खराबियों को छोड़कर कोई बड़ी खराबी नहीं हुई है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फिलरों में आमतौर पर बोतलें नहीं टूटती हैं। कभी-कभी कोई बेमेल बोतल फंस जाती है या फिलर रन में कोई असामान्य बात हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

**संसद् सदस्यों के लिए वेस्टन कोर्ट होस्टल में व्यापक कुप्रबन्ध**

1287. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको संसद् सदस्यों के लिए वैस्टर्न कोर्ट होस्टल में व्यापक कुप्रबन्ध के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं;

(ग) क्या उनकी जांच की गई है और यदि हां, तो मदवार उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) तथा (ख). वैस्टर्न कोर्ट होस्टल में एक सूट से किसी गैर-सरकारी व्यक्ति, जिसे संसद सदस्य ने अपने अतिथि के रूप में एक सप्ताह के लिए ठहराया था, को बेदखल न करने के बारे में शिकायत एक संसद् सदस्य से प्राप्त हुई थी। संसद सदस्य ने अधिक किराया लेने तथा वैस्टर्न कोर्ट के कर्मचारियों और अतिथि के बीच मिली भगत के विभिन्न आरोप भी लगाए गए थे।

(ग) शिकायतें निराधार पाई गई हैं। कोई मिली भगत न थी अथवा संसद् सदस्य से अतिभार नहीं लिया गया था जैसा कि आरोप लगाया गया है। अतिथि के लिए प्रभार देना तथा उससे वास भी खाली करवाने का उत्तरदायित्व उसका था। तो भी गैर-सरकारी आदमी को निकालने के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा लोक परिसर (अनधिकृत बेदखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्यवाही की गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**आम लोगों को शिक्षा (लिबरल एजुकेशन)**

1288. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम शिक्षा की निरर्थकता को जिसमें प्रत्येक वर्ष नौकरी के लिए बेरोजगार युवकों का एक-एक नया बैच बाजार में आ जाता है अब स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस देश में दी जा रही आम शिक्षा में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या आम शिक्षा पर खर्च की जाने वाली धनराशि को बेरोजगार लोगों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जायेगा ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : (क) से (ग) तक. राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प में यह बताया गया है कि हमारी शिक्षा पद्धत्ति का पुनर्गठन किस प्रकार किया जायेगा । संकल्प में बताया गया है :

> "भारत सरकार का यह विश्वास है कि देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता तथा समाजवादी समाज के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा आयोग द्वारा बताई गई स्थल रूपरेखाओं के आधार पर शिक्षा का आमूल पुनर्निर्माण आवश्यक है । इस हेतु शिक्षा को लोगों के जीवन के अधिक निकट लाने के लिए शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण, शैक्षिक अवसरों के विस्तार के लिए लगातार प्रयत्न, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणता में सुधार करने के लिए लगातार और व्यापक प्रयत्न, विज्ञान और शिल्पविज्ञान के विकास पर विशेष बल, तथा नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्माण करना होगा । शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय सेवा और विकास के लिए कृतसंकल्प, चरित्र-संम्पन्न और योग्य युवक और युवतियों का निर्माण हो । तभी शिक्षा राष्ट्रीय विकास कर सकती है, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना पैदा कर सकती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना सकती है । विश्व के राष्ट्रों में इस देश को उसकी महान सांस्कृतिक विरासत और असामान्य सामर्थ्य के अनुरूप योग्य स्थान दिलाने के लिए यह आवश्यक है ।"

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 5 जनवरी, 1973 को गान्धीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम के 13वें दीक्षान्त समारोह के अपने अभिभाषण में यह कहा था," सबसे पहले हमने यह देखना है कि शिक्षा क्या है तथा शिक्षा से हम क्या अपेक्षा करते हैं । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के 37वें अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने यह कहा :

> "शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बौद्धिक क्षेत्र तथा भावात्मक कार्यकलापों का विस्तार करना है ताकि हमारे यहां केवल अच्छे कार्य कर्त्ता ही नहीं बल्कि अच्छे व्यक्ति भी हो जो समझदार हो तथा बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर सकें ।"

समस्त शिक्षा का मूल उद्देश्य चाहे वह उदारता, वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यावसायिक हो, नयी जानकारी का पता लगाना तथा उसकी वृद्धि करना है । वैज्ञानिक तथा युक्ति-युक्त दृष्टिकोण तथा स्वभाव को विकसित करना और सच्चाई व श्रेष्ठता के अनुसरण में निष्ठापूर्वक लगना, मानव मूल्यों, सामाजिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय विकास के प्रति बचनबद्धता सहित सक्षम पुरुषो और महिलाओ को प्रशिक्षण देना तथा संस्कृति के प्रसार, राष्ट्रीय एकता और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अध्ययन का अनुप्रयोग करके समस्या के समाधान के माध्यम से समाज के जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास करना है ।

रोजगार अवसरो का सृजन आर्थिक कार्यकलाप में निवेश की मात्रा, कृषि तथा उद्योग में अपनायी गई प्रौद्योगिकी की किस्म तथा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सामाजिक सेवाओं की सीमा पर निर्भर होता है । रोजगार के सृजन में शिक्षा कोई सीधी भूमिका नहीं निभाती है। किन्तु आर्थिक विकास की गति को तेज करके, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास करके, व्यक्तियों में निपुणताओं के सामान्य स्तर को सुधारकर, यह प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है, ताकि उन्हें रोजगार के लिये बेहतर तथा अधिक उत्पादन-कारी बनाया जा सके और विकास के लिए अपेक्षित निपुण कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा जा सके । तथापि यह नहीं भूल जाना चाहिए कि जो शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास में वृद्धि करती है, वह स्वयं में ही परिपूर्ण है । किसी भी व्यक्ति को रोजगार की स्थिति के मुताबिक शिक्षा नहीं दी जाती है । बल्कि उसे ऐसी अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह रोजगार के जिस पद पर भी कार्य करता है, वहां वह अधिक दक्षता तथा उत्पादकता ला सके ।

शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ने, लोगों की तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी दक्षताओं को सुधारने तथा शारीरिक श्रम के महत्व जैसे आवश्यक मूल्य उत्पन्न करने की दृष्टि से पांचवीं पंच वर्षीय योजना में प्रयास किये जा रहे हैं । पांचवीं पंचम वर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा तथा रोजगार में घनिष्ठतर सम्बन्ध स्थापित करना है। इस प्रयोजन के लिए, यह निर्णय किया गया है कि सम्पूर्ण शिक्षा पद्धत्ति को, शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश की गई 10+2+3 की शिक्षा पद्धत्ति के आधार पर, मान्यता दे दी जाए । इस पद्धत्ति में, कार्य अनुभव शिक्षा के दस वर्षों में शिक्षा का एक अभिन्न अंग रहेगा। कक्षा 9 और 10 में, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा स्कूलो में शुरू की जायेगी । 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम के बाद 2 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम तथा 3–वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम होगा । 2 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम या तो रोजगार पूर्व का होगा या विश्व विद्यालय पूर्व का होगा । आशा है कि कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यथासमय दाखिल किया जायेगा । नए अनुस्थापन से छात्र बड़ी संख्या में केवल रोजगार के योग्य ही नहीं बनेंगे बल्कि इससे उच्च शिक्षा पर पड़ रहा दबाव भी काफी कम हो जायेगा ।

**राज्यों द्वारा अनाज का भण्डार**

1289. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्यवार अनाज का भण्डार बनाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) अनाज के भण्डार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों से अनाज के आयात को बन्द करने का है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) खाद्यान्नो के स्टाक के राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं । खाद्यान्नों का स्टाक अखिल भारतीय आधार पर रखा जाता है ।

(ख) जून, 1976 के अन्त में सरकारो (केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ) के पास खाद्यान्नो का कुल प्रत्यक्ष स्टाक (परिचालन स्टाक समेत) लगभग 170 लाख मीटरी टन था ।

(ग) इस वर्ष देश की सुगम खाद्य स्थिति के संदर्भ में सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है और जून के अन्त से और वाणिज्यिक खरीदारी बन्द कर दी है ।

## ऐतिहासिक स्मारक के लिये प्रवेश शुल्क

1290. **श्री नरेन्द्र कुमार सौंधी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारको के लिये प्रवेश शुल्क भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा नियंत्रित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग से परामर्श किये बिना ताजमहल के लिये प्रवेश शुल्क 50 पैसे से बढ़ाकर 2 रु० कर दिया है; और

(ग) क्या ताजमहल के पूर्वोदाहरण की तरह अन्य राज्य सरकारों को भी अपने वित्तीय संसाधनो के बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : (क) जी हां, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को संरक्षित स्मारको पर प्रवेश शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है ।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल के लिए प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया है । फिर भी यह मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ अन्य प्रकार का उद्ग्रहण (उगाही) एकत्र कर रही है, जिसके वास्तविक स्वरूप का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया गया है कि केवल वही, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर पर्यवेक्षकों से प्रवेश शुल्क लेने के लिए सक्षम है । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि किसी प्रान्तीय सरकार को ऐसा शुल्क लगाने के लिए आज्ञा दी जाये।

**तमिलनाडु के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए बैंक ऋण**

1291. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब ऐसे प्रबन्ध कर दिए गए हैं जिनके अनुसार तमिलनाडु के विद्यार्थियों को अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विदेश अध्ययनों को जारी रखने के लिए बैंकों से ऋण दिए जाऐंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ये सुविधायें अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को कब उपलब्ध की जाएंगी ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) :** (क) से (ग). सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भारत तथा विदेशों में कुछ चुने हुए विषयों में स्नातक और उत्तर-स्नातक अध्ययन के लिए योग्य किन्तु अभावग्रस्त छात्रों को वित्तीय सहायता करने के उद्देश्य से शैक्षिक ऋण योजनाएं चालू की हैं । ये योजनाएं न केवल तमिलनाड में बल्कि अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित की गई हैं । ऋण, ब्याज की उदार दरों पर दिए जाते हैं और उनका पुनः भुगतान आसान किस्तों में किया जाता है । 5 हजार रुपए से लेकर 15 हजार रुपये की सीमा तक भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तथा भिन्न-भिन्न बैंकों की ऋण की राशि भिन्न-भिन्न होती हैं ।

**कान्डला बन्दरगाह पर खाद्यान्न तथा उर्वरकों को उठाया जाना**

1292. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1976 के एक दैनिक समाचार पत्र में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न एवं उर्वरकों को कान्डला बन्दरगाह से हटाने में असफलता के कारण 26 जून, 1976 को बन्दरगाह इनसे भरा पड़ा था ;

(ख) क्या बन्दरगाह अधिकारियों का इस कारण से "विफल घाट शुल्क" लेने का विचार है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं, ये स्टाक कब उठाये गये थे और बन्दरगाह अधिकारियों को उपरोक्त (ख) के अन्तर्गत कितनी राशि अदा की गई ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :** (क) और (ख). जी हां ।

(ग) : उत्तरी जोन के कुछ राज्यों, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश जोकि कांडला बन्दरगाह के समुद्रीतट के पीछे के क्षेत्र हैं, में मई और जून, 1976 के दौरान रबी की वसूली लक्ष्य से लगभग 8 लाख मीटरी टन अधिक हुई थी । इससे भण्डारण सम्बन्धी कठिनाईयां पैदा हो गयी थीं । ढके हुए रुढ़िगत गोदामों में उपलब्ध क्षमता अपर्याप्त थी । दूसरी सूरत में, कवर (कैप) को प्लिंथ पर गेहूं का भण्डारण करना पड़ा था । समुद्री तट के पीछे के प्रदेश में जहां वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, कैप स्टोरेज के लिए कांडला से आयातित गेहूं को भेजने की बजाय कांडला पोर्ट ट्रस्ट एरिया/गांधीधाम में ही आयातित गेहूं के लिए कैप स्टोरेज की व्यवस्था की गई थी । पोर्ट ट्रांजिट शैड में 26 जून, 1976 को 26593 मीटरी टन खाद्यान्न थे जोकि 13 जुलाई, 1976 तक घटाकर केवल 486 मीटरी टन कर दिए गए थे । उर्वरकों के मामले में स्थिति बराबर लगभग सामान्य थी ।

क्योंकि भारतीय खाद्य निगम स्थिति का मुकाबला करने के लिए कांडला/गांधीधाम में भण्डारण और हैण्डलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करता रहा हूं इसलिए कांडला पोर्ट के ट्रस्टी बोर्ड ने 24-6-1976 की बैठक में "विकल घाट शुल्क" को लागू करने के लिए कांडला पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव को अक्तूबर, 1976 तक स्थगित करने का फैसला करने का फैसला किया अतः कांडला पोर्ट पर खाद्यान्नों और उर्वरकों पर न ही 'विकल घाट शुल्क' लगाया गया है और न ही अदा किया गया है ।

**दिल्ली की नई बसाई गई बस्तियों में टेंटों में स्कूल**

1293. **श्री झारखण्डे राय** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की नई बसाई गई बस्तियों में टैन्टों में जो स्कूल खोले गये थे उनमें वर्षा के कारण पढाई नहीं हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख) नई बसाई गई बस्तियों में स्कूल ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं । नई बसाई गई बस्तियों में से कुछ क्षेत्रों में घास उग गई हैं किन्तु घास को काटने तथा भारी वर्षा के कारण जिन स्कूलों के अहातों में पानी भर गया था उसे निकालने के लिए कदम उठा लिए गए हैं ।

**रणजीतनगर जैसी बस्तियों में झुग्गी झोंपड़ियों के निवासियों का अभ्यावेदन**

1294. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री झुग्गी झोंपडियों के निवासियों से अभ्यावेदन के बारे में 24 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4561 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे जरुरतमन्द निवासियों के कितने मामले हैं, जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग ने ऊपरी मंजिल के प्रगृहों के बदले ग्राऊंड फ्लोर प्रगृहों के दावे जून, 1976 तक मंजूर कर लिए थे किन्तु खाली न होने के कारण ऐसे प्रगृहों का कब्जा उन्हें न दिया जा सका था ;

(ख) क्या स्लम विभाग ने रणजीतनगर आदि कालोनियों में हाल ही में ऐसे अनेक प्रगृह खाली कराये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों के दावे स्लम विभाग पहले ही स्वीकार कर चुका है, उन्हें ग्राऊंड फ्लोर प्रगृहों का कब्जा कब तक दिया जाएगा ?

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) तीन ।

(ख) तथा (ग) : जी हां । इनका कब्जा शीघ्र दिया जाएगा ।

**'करन्ट' साप्ताहिक में प्रकाशित एक समाचार के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न**

**QUESTION OF PRIVILEGE RE. NEWS ITEM PUBLISHED IN 'CURRENT' WEEKLY**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नवल किशोर सिंह ।

**श्री नवल किशोर सिंह** (मुजफ्फरपुर) : मैं नियम 222 तथा 223 के अन्तर्गत एक संसद सदस्य के नाते मेरे विशेषाधिकार भंग होने के बारे में प्रश्न उठा रहा हूं ।

बम्बई के साप्ताहिक करेंट ने अपने 21 अगस्त, 1976 के अंक में "करप्ट काट" शीर्षक से एक ओर तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि तथा दूसरी ओर मेरा चित्र प्रकाशित किया है । मेरे चित्र के नीचे "कंन्फयूज्ड आईडेंटिटी" का शीर्षक भी दिया गया था । इस लेख में, श्री नवल किशोर सिंह विधान सभा सदस्य, बिहार के बदले, मुझ पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं । चुंकि ये सब आरोप झूठ तथा निराधार हैं, अतः मैं इन सब आरोपों का खंडन करता हूं । इस समाचार में नगरीय सहकारी बैंक पटना के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, जिसके अध्यक्ष बिहार के वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री नवल किशोर सिंह थे । मेरा इस बैंक के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा हैं । मैं बिहार राज्य सहकारी मार्केटिंग संघ का अध्यक्ष हूं जिसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं ।

इस समाचार से मेरे सम्मान को धक्का लगा है । अतः अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये मैं आपसे रक्षा का अनुरोध करता हूं ।

इस मामले में "करेंट" साप्ताहिक बम्बई ने एक संसद सदस्य के विशेषाधिकार को क्षति पहुंचाई है और संसद की प्रतिष्ठा भंग की है ।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस पत्र के सम्पादक के विरुद्ध संसद के विशेषाधिकार भंग करने का आरोप लगाया जाये ।

प्रक्रिया नियमों तथा प्रचालित प्रथा के अनुसार मैं पहले इस पत्र के मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक को अपना ब्यान अथवा रिपोर्ट देने के लिये कहूंगा और उनकी रिपोर्ट आने के बाद में इस मामले को पुनः सदन के सामने लाऊंगा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** (अलीपुर) : सम्पादक प्रकाशक अथवा मुद्रक आपके आदेशानुसार अपना प्रतिवेदन अवश्य भेजेगा । श्री सिंह का चित्र देश भर में वितरित हजारों प्रतियों में प्रकाशित हुआ है और समाज में उनके सम्मान को धक्का पहुंचा है । सम्पादक केवल इतना ही लिखेगा कि यह सब गलती से छपा है ।

**अध्यक्ष महोदय :** अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

**Shri Shankar Dayal Singh :** I was surprised to see a copy of this paper at Bombay. this matter should be viewed seriously so that the dignity of this house could be protected.

**श्री एस० ए० शमीम :** मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मानहानि तथा विशेषाधिकार के प्रश्न के बीच अन्तर है ।

**अध्यक्ष महोदय :** अभी हमें इस बारे में कोई भी तर्क नहीं देना चाहिए ।

**श्री एस० ए० शमीम :** : इससे आप कोई निश्चय कर पायेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस बार में कोई वाद विवाद नहीं होंना चाहिऐ यह एक गम्भीर मामला है ।

**व्यवधान**

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में किसी भी बात की अनुमति नही दूंगा । कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** : आपने कहा है कि सम्पादक को अपना जवाब देने के लिये कहा जायेगा कि ऐसा क्यों हुआ । सम्पादक द्वारा क्षमा मांगने के बाद यह मामला बन्द कर दिया जायेगा ।

श्री सिंह के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं । आप सम्पादक को पत्र तो जरूर लिखें लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है । इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए ।

**श्री वसंत साठे :** सम्पादक ने माननीय सदस्य का चित्र प्रकाशित किया है । एक माननीय सदस्य को किस प्रकार का सुरक्षण प्राप्त है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप कोई सुझाव नही दे रहे ।

**श्री वसंत साठे :** मेरा सुझाव यह है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक गम्भीर मामला है । मैंने कहा था कि मैं मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक को अपना जबाब देने के लिये कहूंगा और उनका जवाब आने के बाद ही मैं मामले को फिर से सभा के सामने लाउंगा । उस समय हम मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं । यही सामान्य प्रक्रिया है , जिसका पालन हमें करना चाहिये । हम उनसे एक सप्ताह के अन्दर उत्तर देने के लिये कह सकते हैं ।

**श्री नवल किशोर सिंह :** इसका निर्णय इस अधिवेशन के स्थगित होने से पहले होना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं एक सप्ताह के अन्दर कह रहा हूं ।

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, गुजरात नगर आयोजन तथा नगरीय विकास अधिनियम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1971–72 के प्रमाणित लेखे ।

**निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11168/76]

(2) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात नगर आयोजन तथा नगरीय विकास अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 27) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11169/76]

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1971–72 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया **दखिये** संख्या एल० टी० 11170/76]

### तमिलनाड पंचायत (कार्यविधि विस्तारण) अधिनियम तथा तमिलनाड पंचायत संघ परिषद् (कार्यविधि विस्तार) अधिनियम

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):** मैं श्री शाहनवाज खां की ओर से तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु पंचायत (कार्यविधि विस्तारण) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 32) जो दिनांक 29 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(2) तमिलनाडु पंचायत संघ परिषद (कार्यविधि विस्तारण) अधिनियम 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 33) जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिय** संख्या एल० टी० 11171/76]

## राजभाषा (संघ के सरकारी कार्यों के लिये उपयोग) नियम, 1976

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता)** : मैं राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राजभाषा (संघ के सरकारी कार्यों के लिए उपयोग) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1052 में प्रकाशित हुए थे । सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11172/76]

## सीमा शुल्क अधिनियम तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अन्तगत अधिसूचनायें

**राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 494(ङ) से 519(ङ), 521(ङ) से 637(ङ) 639(ङ) से 650(ङ), 652(ङ) से 691(ङ) 693(ङ) से 714(ङ), 716(ङ), 720(ङ) 721(ङ) और 724(ङ) से 740(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन :--

(एक) सीमाशुल्क टैरिफ (यूनाइटिड किंगडम और अन्य अधिमानी क्षेत्रों के मूल का होने का अवधारण) नियम, 1976, जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 717(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमाशुल्क टैरिफ (संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया के मूल का होने का अवधारण) नियम, 1976, जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 716(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) अतिरिक्त शुल्क नियम, 1976 जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 722(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 692(ङ), 715(ङ) और

718(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति, जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11173/76]

## तमिलनाडु अतिरिक्त निर्धारण तथा अतिरिक्त जल उपकर नियम के संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : मैं तमिलनाडु-राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्-घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु अतिरिक्त निर्धारण तथा अतिरिक्त जल उपकर विशेष निर्धारण तथा विशेष जल उपकर अधिनियम, 1963 की धारा 16 की उप धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1258 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु अतिरिक्त निर्धारण तथा अतिरिक्त जल उपकर नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11174/76]

## भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : मैं भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1975–76 वार्षिक प्रतिवेदन, के (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे; सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11175/76]

---

## अतिरिक्त अनुदान की माँग (सामान्य), 1973–74
## DEMAND FOR EXCESS GRANT (GENERAL) 1973-74

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : मैं वर्ष 1973–74 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदान की मांग का एक विवरण प्रस्तुत करती हूं ।

## हिन्दुस्तान पैट्रोलियम में 'ऐसो' के शेष शेयरों के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE. ACQUISITION OF REMAINING SHARES OF ESSO IN HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.

**पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : माननीय सदस्यों को विदित है कि सरकार वर्त-मान परिसम्पत्तियों और सुविधाओं तथा जनता को मिलने वाली सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए तेल उद्योग के पुनर्गठन पर विचार कर रही है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम विदेशी तेल

कंपनियों को अपने हाथ में लेने के लिए चल रहे विचार-विमर्श को पूर्ण करने में सक्रिय रूप से लगे हैं। सदन को इस बात की जानकारी है कि कालटेक्स एवम् असम तेल कम्पनी की परिसम्पत्तियों को अपने अधिकार में लेने के लिए उनके साथ बातचीत चल रही है। इस बीच सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में एक्सोन के 26 प्रतिशत शेयर अपने अधिकार में लेने के लिए एक्सोन से बात की है। मार्च, 1974 में हस्ताक्षर किये गये करार के अनुसार ये शेयर 1981 में सरकार को हस्तान्तरित होंगे किन्तु एक्सोन के साथ हाल ही में विचार-विमर्श पूर्ण हो चुके हैं तथा करों की 3,096,600 डालर राशि के भुगतान पर 1 अक्तूबर, 1976 को इन शेयरों को सौंपने के बारे में एक समझौता हो गया है। इस संबंध में औपचारिक समझौते पर सितम्बर, 1976 में हस्ताक्षर किये जायेंगे। इससे 1974 में एक्सोन के 74 प्रतिशत शेयरों को अपने अधिकार में लेने से संबंधित-मूल तथा ब्याज की राशि के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्व समझौते के अनुसार एक्सोन 1980–81 तक अशोधित तेल की सप्लाई करता रहेगा। इस विचार-विमर्श के दौरान एक्सोन द्वारा प्रदर्शित सहयोग के लिए सरकार की ओर से मैं उनकी सराहना करता हूं।

## कोरबा उर्वरक परियोजना के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE. KORBA FERTILIZER PROJECT

**उर्वरक और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी)** : कोरवा उर्वरक प्रायोजना के बारे में संस समय समय पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते रहे हैं तथा संसद के दोनों सदनों में इस विषय पर अनेक प्रश्न पूछे गये हैं। अत: मैं स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह वक्तव्य दे रहा हूं।

2. कोरबा उर्वरक प्रायोजना को समाप्त नहीं किया गया है। प्रायोजना के कार्य की गति धीमी अवश्य पड़ गई है तथा संसाधनों की कमी के कारण उस पर होने वाला व्यय बिखर गया है। कार्यान्वयन हेतु प्रायोजना को 1974 में आरम्भ किया गया था तथा मार्च, 1976 तक इस पर 11.37 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रायोजना का कार्य 1977–78 से तेजी के साथ पुन: आरम्भ कर दिया जायेगा तथा इस प्रायोजना को यथा-शीघ्र पूरा किया जायेगा।

## तमिलनाडु के सम्बन्ध में जारी की गयी उद्घोषणा के लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

## STATUTORY RESOLUTION RE CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN TAMIL NADU

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा 20 अगस्त, 1976 के श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर और चर्चा करेगी :--

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तमिलनाडु के सम्बन्ध में दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 10 सितम्बर, 1976 से 6 मास की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सरिमपुर) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। जब द्रुमक सरकार को हटाया गया था, उस समय भी हमने अपना विरोध प्रकट किया था। सरकार को प्रजातन्त्र विरोधी कदम उठाने के बजाये वहां चुनाव करा लेने चाहिये थे। तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही चाहते थे। सम्भवत: कांग्रस ही इस चुनाव में जीत जाती। यह प्रजातन्त्र विरोधी नीति को देश भर में चलाने का ही तरीका हो सकता है। हमारे दल ने कांग्रेस दल की इस कार्यवाही का सख्त विरोध किया है।

राष्ट्रपति राज जारी रखने के लिये मंत्री महोदय ने कोई विशेष कारण नहीं दिये है।

मंत्री महोदय ने केवल इतना ही कहा है कि वहां राष्ट्रपति राज जारी रखना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि द्रुमक दल केमंत्री भ्रष्ट थे तथा आप प्रशासन को स्वच्छ बना रहे हैं। यह सब कहने का क्या आधार है ? लेकिन मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार में वृद्धि होती जा रही है। मंत्री महोदय चाहें तो मैं कुछ नाम उन्हें बता सकता हूं। वहां राष्ट्रपति राज जारी रखने के विशेष कारण क्या हैं ? सरकार को इस मामले पर पुन: विचार करना चाहिये और वहां पर चुनाव कराने चाहिये।

आपके मन में भय है कि मतदान होने पर जनता आपको अस्वीकार कर देगी। जनता द्रुमुक को मत न दे, परन्तु कांग्रेस को भी मत नहीं देगी। आपने आई० सी० एस० अधिकारियों को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया है। इन लोगों का जनता से कोई सीधा सम्पर्क नहीं होता। ये जनता का भ ला कैसे कर सकते हैं ?

प्रतिवेदन में प्रत्येक जिले में कुछ समितियों की स्थापना की बात कही गई है। उनके क्रिया कलाप क्या होंगे ?

इस विधेयक का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। मेरा कहना है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सारे देश को केन्द्र के तानाशाही शासन में रखने की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए। आपने लोक-तन्त्री पद्धति का परित्याग कर दिया है। सभी शक्तियों का केन्द्रीयकरण करने की बजाय आपको और अधिक शक्तियां राज्यों को देनी चाहिए।

आप प्रतिवेदन में जो कुछ भी कहें, परन्तु द्रुमुक के हटाये जाने के बाद राज्य की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। प्रतिवेदन में सूखे की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इससे 40 प्रतिशत अनाज के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है और मूल्यों में वृद्धि हो गयी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं।

सूखाग्रस्त 10 जिलों में कम से कम पेय जल की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिए। नये खोदे जाने वाले नलकूपों की देखभाल का प्रबन्ध अत्यन्त असंतोषजनक है।

जो किसान अपनी फ़सलें बिचौलियों को सस्ते दामों में बेचते हैं किन्तु उन्हें वही चीज अधिक दामों पर खरीदनी पड़ती है। कहीं पर भी किसान को निर्धारित न्यूनतम मजूरी नहीं मिल रही। केवल उन्हीं स्थानों पर जहां उनके व्यवस्थित संगठन हैं श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी मिल पाती है।

मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं कि औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है। मजदूरों की आवाज धमकी देकर बन्द कर दी गयी है।

गन्ना उत्पादकों को अपनी फ़सल का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि उन्होंने गन्ना मुहय्या नहीं किया और मिलें काम नहीं कर सकीं।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी कैसे कह सकते हैं कि स्थिति सुधर गई है ? हजारों श्रमिकों की छंटनी कर दी गयी हैं। 50 प्रतिशत चमड़ा शोधन फ़ैक्टरियां काम नहीं कर रहीं। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा। परन्तु यहां कहा गया है कि उनके लिये पर्याप्त कार्य किया गया है।

तमिलनाडु में बुनकरों की स्थिति बंधुआ मजूरों से भी बदतर है। उनके लिये कोई फ़ैक्टरी अधिनियम नहीं है। हथकरघा बुनकरों की स्थिति बहुत विषम है।

तमिलनाडु के 75 इंजीनियरी उद्योगों में छंटनी, जबरी छुट्टी तथा तालाबन्दी की घटनाएं घट रही हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करके छंटनी, तालाबन्दी तथा जबरी छुट्टी पर रोक लगाई गई है, परन्तु तब भी बिना सरकार की अनुमति के छंटनी आदि की घटनाएं हो रही हैं। 300 से अधिक श्रमिकों वाली तथा 50 से अधिक श्रमिकों वाली फ़ैक्टरियों में जबरी छुट्टी की जा रही है।

मदुराई की बहुत सी मिलें अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं देतीं। 50 वर्ष से अधिक के श्रमिकों को सक्षमता परीक्षा देनी पड़ती है तथा 26 वर्ष की सेवा वाले श्रमिक स्वेच्छा सेवा निवृत्ति ले रहे हैं। तमिलनाडु में श्रमिकों की यह स्थिति है।

मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड में 24,000 कर्मचारी फ़ालतू हैं। परन्तु वास्तविक जांच से पता चला है कि फ़ालतू कर्मचारियों की संख्या केवल 3000 है तथा उन्हें भी राज्य बिजली बोर्ड की फ़ालतू परियोजनाओं में खपाया जा सकता है। तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड ने दावा किया है कि उतने कर्मचारी नहीं हैं जितने उनके राज्य में हैं। वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा बताये गये आंकड़ों में अन्तर क्यों है ?

मेरा निवेदन है कि राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों, चीनी मिल कर्मचारियों, हाथकरघा बुनकरों और चमड़ा रंगने वाले कर्मचारियों के मामले में सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिये। इन कर्मचारियों का दमन किया गया है और औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन होने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबरी छुट्टी, छटनी और तालाबन्दी अभी चल रही है। उन पर कोई रोक नहीं हैं।

तमिलनाडु सलाहकार समिति में हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। गिरफ्तार किये गये लोगों को हवालात में ले जाकर पीटा जाता है। क्यों ? आंसुका और भारतीय रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार लोगो के साथ जेल में व्यवहार निन्दनीय है। राजनीतिक कैदियों के साथ वह व्यवहार नहीं किया जाता जो किया जाना चाहिये।

5-7-1976 को सी० आई० टी० यू० के दो कार्यकर्ताओं सुन्दरराजन और बाबू को आवडी टैंक फैक्टरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन्हें आवडी पुलिस स्टेशन में 10 दिन तक रखा गया और सी० आई० डी० इन्सपैक्टर ने हवालदार की मदद से उन्हें यातना पहुंचाई। उनके विरुद्ध

यह आरोप था कि उन्होंने आंसुका के अधीन गिरफ्तार टैंक फैक्टरी के कर्मचारियों को छोड़े जाने की मांग करने वाले पर्चे बांटे थे। क्या यह मांग करना अपराध है ? क्या राजनीतिक और कार्मिक संघ कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिये ?

यहां कहा गया है कि कमजोर वर्ग के लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को आवास के लिये भूमि दी गई जिसके लिये वायदा किया गया था ? क्या यह सच नहीं है कि गांवों के निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति अनुसूचित जातियों का दमन कर रहे हैं और जब उनके विरुद्ध पुलिस से शिकायत की जाती है तो हमेशा यह देखा गया है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को या तो पुलिस हवालात में डाल दिया जाता है या उसे किसी अन्य प्रकार से तंग किया जाता है। लोगो को अपने अधिकार से वंचित किया गया है।

अब समय आ गया है कि गृह मंत्री इस मामले को मानवीय पहलू से देखें और विचार करें कि क्या यह रास्ता सही है अथवा हम अपनी सरकार जनतांत्रिक ढंग से स्वयं चुनें। सरकार कहीं तो रुके और इस रवैये को समाप्त करे तथा जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने और अपनी सरकार बनाने का अधिकार दे।

**श्री के० गोपाल** : (करूर) : मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने सम्बन्धी पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं।

यह कहना कि तमिलनाडु में कुछ नहीं किया जा रहा है, गलत है। मेरे मित्र ने कहा है कि तमिलनाडु में आतंक का साम्राज्य और पुलिस राज चल रहा है। यह ठीक नहीं है। वहां अब चारों ओर अनुशासन है जिसका भूतपूर्व सरकार में अभाव था। उस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था परन्तु अब सब कुछ बदल गया है। वर्तमान प्रशासन के विकास कार्य भी भूतपूर्व सरकार के विकास कार्यों से कहीं अधिक अच्छे हैं।

इस समय वहां केवल दो परामर्शदाता हैं। वे कार्य का भार वहन करने में असमर्थ हैं। अतः गृह मंत्री उनकी संख्या तीन या अधिक किये जाने की आवश्यकता पर विचार करें।

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण मध्याह्न-भोजन के बाद जारी रखेंगे।

---

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 14.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.*

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 14.03 बजे पुनः समवेत हुई।**

*The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past Fourteen of the Clock*

**[(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)]**

**[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]**

## तमिलनाडु के सम्बन्ध में जारी की गयी उद्घोषणा के लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

## STATUTORY RESOLUTION RE. CONTINUENCE IN FORCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF TAMIL NADU—*Contd.*

**श्री के० गोपाल** (जारी) : मैं बता रहा था कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद तमिलनाडु में किस प्रकार हालत में सुधार हुआ है।

औद्योगिक क्षेत्र में 1 फरवरी, 1976 तक 17 बार काम रुका जिससे 2500 कर्मचारी प्रभावित हुए तथा 15 फरवरी तक 15 विवादों को निपटाया गया। 31 जुलाई तक कोई भी विवाद नहीं रहा। केवल तीन हड़तालें हुईं जिनमें 226 कर्मचारियों ने भाग लिया और एक भी तालाबन्दी नहीं हुई। ऐसा इस कारण हुआ कि कर्मचारियों ने समयानुसार काम किया। इस प्रकार इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

छात्र कालेजों में जा रहे हैं। पूरी कक्षाएं लगती हैं। सभी कुछ ठीक चल रहा है। व्यावसायिक कालेजों में, जो भ्रष्टाचार के अड्डे थे तथा जहां सीटों की बिक्री होती थी, इस बार 7 या 8 वर्ष में पहली बार पूर्णतः योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया। अतः यह कहना उचित नहीं है कि राष्ट्रपति के शासन में कुछ नहीं हो रहा है।

कहा गया है कि हाथकरघा कर्मचारियों के लिये कोई श्रमिक कानून नहीं है। यह स्थिति सारे देश में है। केवल तमिलनाडु की बात नहीं है। अतः तमिलनाडु में वर्तमान सरकार की इस आधार पर आलोचना करना ठीक नहीं है। हाथकरघा क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है। हाल में तीन परियोजनाएं चालू की गई हैं। उनमें से एक निर्यात-प्रधान है जिससे 10,000 बुनकरों को लाभ होगा। यह सच नहीं है कि बुनकर बेकार हैं। ये योजनाएं बुनकरों के लिये लाभदायी हैं।

जहां तक राज्य सरकार द्वारा सूखा राहत कार्य किये जाने का सम्बन्ध है मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि जहां स्थायी व्यवस्था की जा सकती है वहां सूखा राहत कार्यों पर पैसा खर्च करते रहना क्या आश्यक है। उदाहरणतः मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में नोयल जलाशय परियोजना है। शुरू में इसकी अनुमानित लागत 2½ करोड़ रुपये थी। परन्तु वर्तमान अनुमान 10 करोड़ रुपये का है। इससे 20,000 एकड़ भूमि का लाभ मिलेगा। यदि इस परियोजना का काम 1957 में, जब यह बनाई गई थी, शुरू कर दिया जाता तो वहां सूखे का स्थायी प्रबन्ध हो जाता और राहत कार्यों पर इतना धन व्यय न करना पड़ता। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस पर विचार करें।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का सम्बन्ध है, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि राज्य में इनका अभाव हो जाता है। तमिलनाडु मूंगफली के तेल की सप्लाई की जानी चाहिये। लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों और उत्पादकों को उचित मूल्य मिले इसके तुरन्त कदम उठाये जाने चाहियें।

जहां तक कृष्णा नदी का पानी मद्रास को देने का सम्बन्ध है, 15 फरवरी को प्रधान मंत्री ने मद्रास में एक आम सभा में घोषणा की थी कि कृष्णा नदी का पानी मद्रास शहर में लाया जायेगा। परन्तु वर्तमान प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं।

मेरे विचार में सरकारी स्तर की वार्ता चल रही है। ये वार्ता पूरी हो जानी चाहिये तथा काम पूरा हो जाना चाहिये। राजस्व की बकाया राशि भी शीघ्र वसूल की जानी चाहिये लेकिन ऐसा करते समय किसानों को तंग नहीं किया जाना चाहिये।

गन्ने की फसल की स्थिति भी ठीक नहीं है। गन्ने के मूल्य जो निश्चित किये जाते हैं वे किसानों के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त नहीं हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त गृह मंत्री के दो अन्य सलाहकारों की नियुक्ति भी करनी चाहिये क्योंकि कार्यभार बढ़ता जा रहा है।

*श्री एम० कत्तामुतु (नागापट्टिनम) : हम सब उन परिस्थितियों से अवगत हैं जिसके अन्तर्गत 31 जनवरी, 1976 को तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई। उस समय की द्रमुक सरकार भारत सरकार द्वारा घोषित आगत स्थिति की उपेक्षा कर रही थी। वह खुले आम पृथक होने का समर्थन कर रही थी। यदि केन्द्र ठीक समय पर कार्यवाही न करता तो तमिलनाडु की समाज विरोधी, राष्ट्रविरोधी और प्रतिक्रियावादी तत्वों के लिए स्वर्ग बन गया होता। उसने प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अतः केन्द्र के सामने राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा।

यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य को शेष भारत के साथ जोड़े जाने के प्रयत्न हो रहे हैं। भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को लागू करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं तथा बन्धक मजदूरी को अवैध घोषित कर दिया गया है तथा उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। ग्रामीण ऋण को समाप्त करने के कार्यक्रम को प्रभावशाली उपाय किए गये हैं। परन्तु गांव के लोगों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकता के लिए ऋण मिलने में कठिनाई हो रही है। इसलिए उसके लिए इन सुविधाओं का बढ़ाया जाना आवश्यक है।

कृषि भूमि की अधिकतम सीमा लागू करना और फालतू जमीन का शीघ्रता से वितरण करना 20 सूत्री कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग है। दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में वह तेजी नहीं दिखाई जा रही जो इस आपातस्थिति में आवश्यक है। यह खेद की बात है कि सरकार ने राष्ट्रीय दिशा दर्शन के अनुरूप तमिलनाडु भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने के लिए कानून को अन्तिम रूप नहीं दिया है। गृह मन्त्री इस ओर ध्यान दें और इस सम्बन्ध में शीघ्रता से काम करें।

जब तक मन्दिरों और धार्मिक संस्थाओं की पांच लाख एकड़ भूमि के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जाता भूमि सुधार अपूर्ण ही रहेगा। इसी प्रकार राज्य में इस समय हो रहे सौ सौदों को रद्द करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।

वसूली मूल्य के निश्चित न होने के कारण किसानों में बड़ा रोष है। धान और चावल की जमाखोरी समाप्त न होना बहुत ही अनुचित है। कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें जब्त किए गए धान की जमाखोरी को वापिस दे दिया गया। इसकी जांच की जानी चाहिए।

गन्ने की खेती का क्षेत्र बहुत कम हो गया है क्योंकि किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है। इसके फलस्वरूप बहुत से चीनी मिलें बन्द हो गई हैं। चीनी उद्योग सम्बन्धी इस गम्भीर स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ ठोस कदम अवश्य उठाये जाने चाहिएं।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

आपात स्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं । लेकिन बाद में इन वस्तुओं के मूल्य फिर बढ़ गये हैं । अतः आवश्यक वस्तुओं के मूल्य घटाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिये ।

तमिलनाडु के 15 जिलों में 10 जिले सूखा से प्रभावित हैं । लेकिन सूखा राहत उपाय पुराने रेपर ही क्रियान्वित किये जा रहे हैं और वर्तमान संकट का मुकाबला करने में ये नितान्त अस्थायी उपाय है । अतः अस्थाई उपाय का यह रवैया खत्म किया जाना चाहिए । तमिलनाडु आवर्ती सूखा संकट का स्थाई हल निकालने के लिए ये उपाय स्थाई बनाये जाने चाहिएं ।

अनैद्योगिक क्षेत्र में कुछ सूती कपड़ा मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं । आर्थिक रूप से रुग्ण मिलों को अपने हाथ में लेने या बन्द एककों को दुबारा खोलने के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं किए हैं । यदि तमिलनाडु सूखाग्रस्त रहा और यह उद्योग आर्थिक संकट में ग्रस्त रहा तो इससे समूचे राष्ट्र पर गम्भीर प्रतिकूल संकट आ जायेगा ।

गम्भीर एवं खेद का विषय तो यह है कि प्रशासन में अब भी कहीं त्रुटि है । भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया है, बल्कि वास्तव में यह निचले स्तर पर बढ़ गया है । प्रतीत होता है कि प्रशासन में कुछ तत्व राष्ट्रपति शासन लाग करने पर तुले हैं । केन्द्रीय सरकार को इस मामले में गम्भीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए और प्रशासन में से अवांछनीय तत्व को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिएं ।

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन** (मदुरै) : आपात स्थिति की घोषणा के बाद तमिलनाडु की जनता को सरकार परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई है । लेकिन राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद ही जनता को आपातस्थिति के वास्तविक लाभ का पता चला । अब लोग यह महसूस करते हैं कि शासन में परिवर्तन बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था ।

राज्यपाल और उसके सलाहकार राज्य में ईमानदार और स्वस्थ प्रशासन लाने और एक नयी व्यवस्था लागू करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं । समस्याओं को गम्भीरता की दृष्टि में रखते हुए क्या सलाहकारों की संख्या बढ़ाकर चार पांच करना वांछनीय नहीं है । इसके अलावा राज्य की समस्याओ पर विचार करने के लिए गैर-सरकारी लोगों एव विशेषज्ञों की सलाहकार समितियां भी गठित की जानी चाहिएं ।

मन्दिरों का कार्यभार देखने के लिए ट्रस्टियों को अथवा मन्दिर समितियों को समाप्त कर इनके स्थान पर कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं । चूंकि इन मन्दिरों से लाखों रुपये प्राप्त होते हैं इसलिए इनका प्रबन्ध केवल कार्यकारी अधिकारियों पर ही नहीं छोड़ना चाहिए । अतः ये मन्दिर समितियां फिर से गठित की जानी चाहिए और इनमें कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए ।

तमिलनाडु का सहकारिता आन्दोलन जो कभी देश में श्रेष्ठ माना जाता था अब लोगों का उपहासपात्र बन कर रह गया है । सरकार ने इन सहकारी संस्थाओं को समाप्त कर

ही दिया है। लेकिन लोगों को कृषि ऋण देने चाहिएं। सहकारी संस्थायें भी फिर से गठित की जानी चाहिए ताकि तमिलनाडु की प्रसिद्धि फिर से होने लगे।

**श्री ओ० वी० अलगेसन** (तिरुतनी) : गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में जो दावे किए हैं वे तथ्यत: यथार्थ है। तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा देने वाली पुस्तिका वस्तुपरक एवं यथार्थ विवरण है। इसमें राज्य में किए गए प्रत्येक कार्य का विवरण है। इस के कार्य सम्पादन के लिए सभी सम्बन्धित व्यक्ति बधाई के पात्र हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बोरिंग किए गए कुएं बनाना एक सराहनीय कार्य है। अत्यन्त अल्पावधि में ही ऐसे लगभग 3000 कुएं बनाये गये हैं। जहां तक सहकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है शीर्षस्थ संस्थाओं में अब भ्रष्टाचार नहीं रहा है। शिवालयों मे छलकपट और अनैतिक कार्य अब नहीं होते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरम्भ करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है और शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी। जनता अब प्रसन्न है क्योंकि उसे द्रमुक के 9 वर्ष के दुशासन से छुटकारा मिल गया है और अब वह स्वच्छ वातावरण में राहत की सांस ले रही है।

तमिलनाडु में अत्यन्त गम्भीर स्थिति जो है अब वह समचे तंजौर के डेल्टा में सूखे की स्थिति है। कावेरी के मुहाने में भी कम वर्षा हुई है। कावेरी डेल्टा देश में अत्यन्त प्राचीन डेल्टा है। कावेरी में जल के अभाव के कारण लगभग 15 लाख एकड़ भूमि सूखी पड़ी है अत: वहां उचित जल की व्यवस्था करने हेतु उपाय किए जाने चाहिए। केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय को यह कार्य अधिक गम्भीरता से आरम्भ करना चाहिए।

कहा गया है कि भूतपूर्व प्रशासकों के कदाचारों के बारे में उनके सम्मुख कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन लोगों की जांच जारी है जिनके विरुद्ध कदाचार का आरोप है। जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गए लोगों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए। कल ही यह तर्क दिया गया है कि नजरबन्दियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये। लेकिन तमिलनाडु के अधिकारी नजरबन्दियों की शिकायतें दूर करने के बहुत इच्छुक हैं। इनकी शिकायतों की अवश्य ही जांच की जानी चाहिए।

मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि प्रशासन को स्वस्थ बनाने और इसमें सुधार करने की दृष्टि से अधिकारी अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किए गए हैं और उनके स्थान पर उपयुक्त अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह कार्यवाही व्यापक रूप से करने के लिए अनुदेश दिए जायें ताकि प्रशासन निर्मल और स्वस्थ बने।

तमिलनाडु में अधिक बिजली पैदा होने लगी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस क्षेत्र में और अधिक कार्य किया जाना है। यदि विद्युत विभाग में किसी सक्षम इंजीनियर को उसका मुखिया बनाया जाये तो बेहतर रहेगा।

कहा गया है कि मंदिरों की भूमि सरकारी अधिकार में की जाये। संबंधित व्यक्तियों से परामर्श किये बिना ऐसा कदम उठाना गलत होगा। ऐसे मामले में बहुत गहराई से विचार करना चाहिये और जल्दबाजी में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

**Shri Swaran Singh Sokhi** (Jamshedpur) : I congratulate the Home Minister for bringing this resolution, which seeks to extend the President's rule in Tamil Nadu for a further period of six months. It is quite well known as to what kind of situation prevails in Tamil Nadu prior to emergency during the DMK rule there. Now it is quite apparant for anybody to see how the emergency has been helpful to remove the causes of mal-administration and corruption. The people in Tamil Nadu now feels that they have no difficulties since the enforcement of Pesident's rule there. They now desire the continuation of the President's rule at least for another two to four years. If the people of Tamil Nadu desires so, the President's rule there would have to be extended still further. Government should take stringent action against those who are found guilty as per findings of Sarkaria Commission that is investigating into the cases of corruption in Tamil Nadu during DMK rule. I support this resolution.

**Shri Hari Singh** (Khurja): I support the resolution which seeks to extend the term of President's rule in Tamil Nadu for a period of further six months. The people of Tamil Nadu now feel greatly relieved from the conditions of lawlessness, corruption and official highhandedness during the DMK rule in Tamilnadu since the imposition of President's rule there had been gradually improving for the better. The food situation there is now under control hnd a reserve stock of 1·5 lakh tonnes of rice has been raised. The prices of all essential commodities there have now been brought down after the President's rule was imposed there. These were commendable gains of President's rule there. It was demand of the people of Tamil Nadu that the period of Presidents rule should be extended. I therefore, support this resolution.

**श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** (सांगली) : हमारी प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में आश्वासन दिया है कि मद्रास शहर की पेय जल की आवश्यकताओं पर विचार किया जायेगा और निकट भविष्य में इसे हल कर लिया जायेगा। कृषि और सिंचाई मंत्री के हस्तक्षेप से तीन राज्यों में अंतर्राज्यीय समझौता हो गया है कि कृष्णा नदी का 15 टी० एम० सी० पानी मद्रास को सप्लाई किया जायेगा। यह मद्रास शहर की जनता के लिए वरदान है। यह समझौता क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रोत्साहन बन गया है। महाराष्ट्र भ्रातृत्व की भावना से मद्रास शहर में पानी की कमी को कुछ सीमा तक दूर करने के लिए कृष्णा नदी के जल के अपने हिस्से में से मद्रास को 5 टी० एम० सी० सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास में पेय जल की भारी कमी को दूर करने के लिए वहां कृष्णा नदी का कितना जल देने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं।

अतः मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

**डा० हेनरी आस्टिन** (एरणाकुलम) : जब तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था देश को प्रसन्नता हुई थी क्योंकि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से वहां 9 वर्ष से बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो रही थी। यह स्थिति कुछ सीमा तक सुधर गई है और सरकार अब कुछ कदम उठाने की स्थिति में है जिससे वहां की जनता कुछ संतुष्ट है। अब चूंकि राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ाई जा रही है इसलिए समिति प्रणाली के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर लोगों को सम्मिलित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

तमिलनाडु में सुखे की गंभीर स्थिति है। बड़ी विचित्र बात है कि सरकार कोई समेकित जलसाधन नीति नहीं बना सकी है। सरकार को इस मुद्दे पर अपना ध्यान देना चाहिए और समेकित नीति बनाने के लिए प्रयास करने चाहिएं। जिससे किसी को नदी तट संबंधी अधिकारों के बारे में कोई शिकायत न हो। इस पर यथाशीघ्र विचार किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में द्रमुक के कुप्रशासन के नौ वर्षों के दौरान, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिला । अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद स्थिति में सुधार करने के लिए काफी कार्य हुआ है । अब भाषाई अल्पसंख्यकों को काफी राहत मिली है फिर भी विभिन्न भाषायी क्षेत्रों के लोगों के विरुद्ध बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े हैं। उनकी जांच की जानी चाहिए । जिससे वास्तविक मामलों में ही कार्यवाही की जा सके । इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रो में रहने वाले लोगों की बड़ी शोचनीय स्थिति है । तटवर्ती क्षेत्रों में मछेरे बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं । अब चूंकि पुरानी सहकारी समितियों को विघटित कर दिया गया है नई सहकारी समितियों का कार्य ईमानदार व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए ताकि वे लोगों के कष्टों को दूर कर सकें । इससे न केवल तमिलनाडु के लिए ही पौषक आहार उपलब्ध होगा अपितु हम देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बनाने में भी समर्थ होंगें ।

काजू उद्योग केरल से हटकर तमिलनाडु में जा रहा है । अतः इसका लाभ उठाते हुए हमें उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो कि वहां जा रहे हैं तथा इस उद्योग की सहायता भी की जानी चाहिए । तमिलनाडु में काजू के अधिक पौधे लगाने के प्रयास किए जाने चाहिएं तथा सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ।

तमिलनाडु में राष्ट्रपति के शासन की अवधि को और छह महीने तक बढ़ाने के लिए जो सांविधिक संकल्प लाया गया है हम उसका पूरा पूरा समर्थन करते हैं । इस अवधि विस्तारण द्वारा गृह मन्त्रालय को तमिलनाडु की स्थिति को समेकित बनाने तथा वहां सामान्य स्थिति लाने में सहायता मिलेगी ।

**Swami Brahmanand** (Hamirpur) : This resolution seeks to extend the term of President's rule in Tamilnadu. We should welcome and support this resolution. It is said that Government indulged into all sorts of repression against those who are detained under MISA, but the fact is that all detenus are being looked after carefully and they have been comfortably placed in detention.

It is commendable that our Government has distributed land among the landless and taken up various welfare programmes. Our Prime Minister has insisted upon providing food and medicines to everyone. She has also laid emphasis on narrowing the gap between the rich and the poor.

The elected representatives have today no authority as compared to Government officials. It is due to our faulty constitution which should be changed at the earliest with a view to setting up democratic rule. There is no necessity of any High Court or Supreme Court and the village panchayats should be able to administer justice.

**श्री ओ० वी० अलगेसन** (तिरुत्तनी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस संकल्प के लिये तीन घण्टे का समय रखा गया है । क्या आप मन्त्री महोदय को 40 मिनट का समय दे रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब किसी भी वक्ता का नाम सूची पर नहीं है । अतः मैं गृह मन्त्री को बुला रहा हूं ।

**श्री ओ० वी० अलगेसन** : हम बहुत सी बातें कहना चाहते थे । अब आप चर्चा को नियत समय से पहले समाप्त करने जा रहे हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस तरह सदन के अन्दर व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है । मैंने आपको 10 के बजाये 20 मिनट का समय दिया है। फिर भी आप आपत्ति कर रहे हैं।

**श्री ओ० वी० अलगेसन :** मुझे खेद है कि आप चर्चा को इस ढंग से विनियमित करते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जायें।

गृह मन्त्री।

**गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी) :** मैं उन सब माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस संकल्प की चर्चा में भाग लिया है।

तमिलनाडु सरकार के हटाये जाने के बाद जब पहली बार यहां संकल्प लाया गया था, उस समय यह बताया गया था कि ऐसा क्यों किया गया। इस पर पूर्णतः चर्चा की गयी। वास्तव में तमिलनाडु के लोगों के द्रमुक सरकार के हटाये जाने पर चैन की सांस ली थी।

कहा गया है कि तमिलनाडु में आपातकालीन स्थिति वास्तव में राष्ट्रपति राज लागू करने के बाद ही आयी और उसी के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम भी कार्यान्वित होने लगा।

इन छः महीनों के अंदर प्रशासनिक रवैये में भी बहुत अंतर आया है। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। पहले जैसा राजनैतिक भ्रष्टाचार अब नहीं है। सरकारी स्तर के प्रष्टाचार को भी हम समाप्त करने जा रहे हैं।

तमिलनाडु के लिये लगभग 60 संसद सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रपति राज लागू होने के बाद इस समिति की दो बैठकें हुई हैं। मैं सभा को यह बात बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के बारे में इससे अधिक प्रभावशाली संस्था कोई और नहीं हो सकती। राज्यपाल के सलाहकार प्रतिदिन अधिक से अधिक गैर-सरकारी लोगों से मिलकर जनमत मालूम करते रहते हैं।

**श्री ओ० वी० अलगेसन :** क्या मंत्री महोदय इस समिति के गठन के बारे कुछ बतायेंगे?

**श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी :** इसमें गैर-सरकारी सदस्य भी होंगे और इनकी संख्या पर्याप्त होगी।

**श्री जी० मुवाराहन (मदूर) :** इसका अध्यक्ष सरकारी होगा या कि गैर-सरकारी ?

**श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी :** कोई भी हो सकता है।

माननीय सदस्यों ने कावेरी जल के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को कुछ जल देने के लिये धन्यवाद करता हूं।

**[श्री पी० पार्थासारथी पीठासीन हुए]**

**[Shri P. Parthasarathy *in the Chair*]**

मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय जल विवादों को निपटाना तथा विनियमित करना जरूरी है। इस मामले में कर्नाटक तथा मद्रास सरकार के बीच विवाद रहा है। मैं इस बारे में अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। कर्नाटक सरकार ने जो कुछ भी किया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आशा रखता हूं कि तमिलनाडु को और अधिक जल दिया जाएगा।

कृष्णा जल के बारे में चर्चा हुई है। महाराष्ट्र कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य तमिलनाडु को 15 टी० एम० सी० जल देने के लिये सहमत हो गये थे। अब तमिलनाडु तथा इन तीन राज्यों के अधिकारी इस मामले पर विचार करने के लिये बैठक करने जा रहे हैं।

तमिलनाडु में सूखे की स्थिति बहुत भयंकर रही है। राज्य सरकारें प्रभावित क्षेत्रों को यथासम्भव सहायता प्रदान करने के लिये प्रयत्नशील है। तमिलनाडु सरकार को केन्द्रीय सरकार ने एक टीम की सिफ़ारिश पर इस हेतु 7.5 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। राज्य सरकार ने भी अपने साधन जुटा कर इसके लिये 9 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। अब अगले दो अथवा तीन सप्ताहों के दौरान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये एक केन्द्रीय टीम उधर भेजी जा रही है। जितना भी सम्भव हो इन क्षेत्रों के लिये आवश्यक राहत प्रदान की जायेगी।

केरल, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के सदस्यों का अभारी हूं कि उन्होंने तमिलनाडु की सही स्थिति को चित्रित करने का प्रयत्न करते हुये; वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के पक्ष में मत व्यक्त किया है।

जहां तक मन्दिरों की भूमि का प्रश्न है इस बारे में भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं। जहां तक पट्टे का सम्बन्ध है पट्टेधारियो को राहत देना आवश्यक है। हमें इस बात को देखना है कि देश के प्राचीन ख्याति प्राप्त मन्दिरों को सुरक्षा कैसे की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि तमिलनाडु प्रशासन वहां की जनता के विभिन्न वर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये इस मामले पर सभी दृष्टियों से विचार करेगा।

यह सुझाव भी दिया गया है कि पंचायत संघों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करया जाना चाहिये यह सुझाव विचार योग्य है।

यह आरोप लगाया गया है कि भूतपूर्व तमिलनाडु प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। हमें आशा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान यह बातें दोहराई नहीं जायेंगी और सभी अल्पसंख्यकों जैसे तेलुगू; मलयाली और कन्नड़ियों के साथ उचित और निपक्ष व्यवहार किया जाएगा।

अन्य अनेक मामले भी हैं परन्तु मैं उनके बारे में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं। हथकरघा उद्योग के विकास के लिये भी अनेक कदम उठाये गये हैं। मेरे मित्र श्री भट्टाचार्य ने इस प्रश्न को उठाया था। मैं उन्हें बता दूं कि अब तक लगभग 60,000 रिहायशी प्लाटों का आवंटन किया जा चुका है तथा लगभग 2;500 बन्धुआ मजदूरों को रिहा किया जा चुका है।

तमिलनाडु प्रशासन के बारे में चर्चा में भाग लेकर सदस्यों ने जो रुचि व्यक्त की है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तमिलनाडु के सम्बन्ध में दिनांक 31 जनवरी 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 10 सितम्बर 1976 से 6 मास की अवधि के लिये और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

**संकल्प स्वीकृत हुआ।**

**The Resolution was adopted.**

## अनुदानों की अनुपूरक माँगें (तमिलनाडु), 1976–77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (TAMIL NADU) 1976-77.

**सभापति महोदय :** अब सदन वर्ष 1976–77 के लिये तमिलनाडु राज्य के बजट सम्बन्धी अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान आरम्भ किया जाएगा । इसके लिये एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

तमिलनाडु की वर्ष 1976–77 की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई :—

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि (रुपये) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये |
| 9 | राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय का स्टाफ़ . | 12,97,000 | .. |
| 12 | तमिलनाडु धार्मिक और पूर्त अक्षय निधि अधिनियम, 1959 का प्रशासन . . | 1,50,000 | .. |
| 15 | पुलिस . . . . | 9,09,000 | .. |
| 17 | शिक्षा . . . . | 4,80,000 | .. |
| 18 | चिकित्सा . . . . | 11,27,000 | .. |
| 19 | लोक स्वास्थ्य . . . | 5,07,29,000 | .. |
| 20 | कृषि . . . . | 1,12,37,000 | .. |
| 21 | मीन उद्योग . . . . | 5,00,000 | .. |
| 22 | पशु पालन . . . . | 2,05,000 | .. |
| 23 | सहकारिता . . . . | 5,35,000 | .. |
| 24 | उद्योग . . . . | 44,16,000 | .. |
| 29 | श्रमिक और कारखाने . . . | 11,96,000 | .. |
| 30 | समाज कल्याण . . . . | 12,00,000 | .. |
| 31 | अनुसूचित जन जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण . . . | 4,40,000 | .. |
| 39 | सड़कें और पुल . . . | 1,00,00,000 | .. |
| 41 | दैवी विपत्तियों के कारण सहायता . . | 8,40,000 | .. |
| 43 | विविध . . . . | 6,02,000 | .. |
| 50 | औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय . | .. | 1,44,75,000 |
| 51 | सिंचाई पर पूंजी परिव्यय . . . | .. | 1,000 |
| 52 | लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय इमारतें . | .. | 30,70,000 |
| 56 | विविध पूंजी परिव्यय . . . | .. | 22,79,000 |
| 57 | राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम . | .. | 1,95,93,000 |

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर) : मैं मांगों का विरोध करता हूं । हाल के सूखे के परिणामस्वरूप दस जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं । काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ग्रामीण के पास कोई रोजगार कोई नहीं है । सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उन लोगो के शिये जो भूख से तड़प रहे हैं राहत उपाय गंभीरता से किए जाएं ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस संशोधन कि किसी भी उद्योग में जबरी छुट्टी छंटनी या उसे बन्द करने से पहले सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी, के बाद कितने उद्योगों ने सरकार से कर्मचारियों की जबरी छुट्टी अथवा छंटनी के बारे में अनुमति मांगी है सरकार ने बताया है कि राज्यों में शीर्षस्थ निकाय बनाया गया है । जो भी शीर्षस्थ निकाय बनाया गया है चाहे वह कपड़े के क्षेत्र में अथवा इंजीनियरी चीनी अथवा अन्य किसी उद्योग के संबंध में है उसमें सी. आई. टी. यू. के लोगों को शामिल नहीं किया गया है और न ही औद्योगिक मामलों और औद्योगिक संबंधों के विषय में उन्हें अपने विचार प्रकट करने के लिये कहा गया है । तथ्य तो यह है कि श्रम स्थिति पहले से बिगड़ी ही है । मीसा के अन्तर्गत गिरफ़्तार किए जाने के भय से कर्मचारी अपने वेतन पर होने वाले किसी किस्म के प्रहार अथवा काम की दशाओं के बारे में किसी किस्म की आवाज नहीं उठाते । इससे स्थिति और बदतर हुई है । यदि यही स्थिति बनी रही तो प्रतिक्रिया भयंकर होगी ।

जहां तक राज्य विद्युत बोर्ड का संबंध है इसमें अभी भी काफ़ी कर्मचारियों को नैमत्तिक कर्मचारियों के रूप में रखा हुआ है तथा इन कर्मचारियों को वह सभ लाभ प्राप्त नहीं है जो कि स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त है । मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए ।

पेय जल प्राप्त करने हेतु नगरपालिकाओं को सरकार से अपेक्षित अनुदान प्राप्त हो रहा है । सूखे की स्थिति में पेय जल सप्लाई करने हेतु सरकार द्वारा पूरा धन दिया जाना चाहिए ।

गृह मंत्री महोदय ने जलकूपों की खुदाई का उल्लेख भी किया है। परन्तु यदि भूमि में जल ही नहीं होगा तो भला जलकूपों से क्या लाभ होगा ? फिर जो जलकूप विद्यमान है उन के रख रखाव की ओर भी तो उलित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

**श्री ओ० वी० अलगेसन** (तिरुत्तनी) : एक अधिनियम है जिसका नाम है तमिलनाडु गैर सरकारी स्कूलों को मान्यता (पंजीकरण) अधिनियम । जब यह अधिनियम पास किया गया था तो कुछ अल्पसंख्यक वर्गों के लोग, जोकि शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबन्ध-कार्य देख रहे थे उच्च न्यायालय की शरण में गए और उच्च न्यायालय ने यह फसला किया कि यह उपबंध उसकी संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे । लेकिन अब गैर-अल्पसंख्यक वर्ग के वे कुछ लोग जो कि शक्षणिक संस्थाओं को चला रहे थे उच्च न्यायालय की शरण में गए तो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह उपबंध उन पर लागू होंगे । अत : अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें गैर-अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है । पता चला है कि मद्रास सरकार ने उच्च न्यायालय के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के सम्बन्ध में दिए गए फ़ैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की है । उच्चतम न्यायालय का निर्णय जब तक नहीं आता तब तक इस अधिनियम के उपबंधों को विचाराधीन रखा जाना चाहिये ।

वर्ष 1976–77 से अर्थात् चालू वर्ष से वेल्लोर के पुलिस ट्रेनिंग कालेज को वहां से हटाकर मद्रास में तमिलनाडु पुलिस अकादमी के रूप में चालू करने का प्रस्ताव है । इस जिला मुख्यालय में केवल

यही एक राज्य संस्थान है और इसे वहां से हटाकर मद्रास ले जाना बहुत अनुचित है। कालेज को दूसरी जगह ले जाने पर सरकार को लगभग 20 लाख रुपये व्यय करने पड़ेंगे। वेल्लोर के लोग इस बात से प्रसन्न होंगे यदि इस कालेज को वहां से ले जाने के बजाय वहीं रख कर इसका दर्जा बढ़ा दिया जाएगा।

नैवेली लिगनाइट निगम द्वारा अधिगृहीत भूमि को पुन : खरीदने अथवा पुन : अधिगृहीत करने का एक बड़ा ही विचित्र प्रस्ताव किया जा रहा है।

जिस क्षेत्र को अब पुन : तमिलनाडु सरकार को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है, उसकी शायद स्वयं निगम को आवश्यकता पड़ेगी। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और ऐसे प्रस्ताव पर धन व्यय नहीं करना चाहिए जिससे कि राज्यों के व्यापक हितों पर प्रभाव पड़े। क्योंकि हम केवल इतना चाहते हैं कि निगम अधिक शक्ति का उत्पादन करे। उसके पास अधिक शक्तिशाली तापीय विद्युत केन्द्र होना चाहिए ताकि वह समूचे दक्षिणी क्षेत्र की बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा कर सके।

बसे खरीदने के लिए पोडवान रोडवेज निगम को 45 लाख रुपये का ऋण तथा मिनी बसें खरीदने के लिए पलूलावन परिवहन निगम को 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सड़क परिवहन निगम घाटे में चल रहे हैं, राज्य सरकार तथा सम्बन्धित विभागों का यह प्रयास होना चाहिये कि इससे सम्बद्ध सभी त्रुटियों को दूर किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि ये सड़क परिवहन निगम लाभ कम सके और लोगों को अधिक सेवा कर सकें। अन्यथा इतनी बड़ी धन राशियों का निवेश करना व्यर्थ होगा।

**श्री एम० कतामुतु** (नागापट्टिनम) : *तमिलनाडु में 15 से 10 जिले सूखाग्रस्त हैं। निकट भविष्य में एक और जिला तंजोर भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हो सकता है। इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इन अनुपूरक मांगो में धन का अपर्याप्त प्रावधान किया गया है। दूसरी खेदजनक बात यह है कि सभी राहत कार्य औपचारिक ढंग से किये जा रहेहैं और एक प्रकार का तदर्थ दृष्टि को अपनाया जा रहा है। यदि हम तमिलनाडु में सूखा की स्थिति का हल चाहते हैं तो हमें उसके लिए स्थायी कार्यक्रम बनाना चाहिए।

कई कपड़ा मिलें बंद होने की स्थिति में आ गई हैं। बार-बार यह मांग की जा रही है कि सरकार इन मिलों को अपने हाथ में ले लें। यह भी कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। फिर भी इन अनुपूरक मांगों में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मांग संख्या 21 के अन्तर्गत मछली पकड़ने वालों के लिए मशीनीकृत नावोंहेतु व्यवस्था की गई है किन्तु आश्चर्य की बात है कि इन मशीनयुक्त नावों को ठहराने के लिए घाटों का निर्माण नहीं किया गया है। घाटों के निर्माण के लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए।

मांग संख्या 17 के अन्तर्गत औपचारिक शिक्षा केन्द्रों का उल्लेख किया गया है। इन्हे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बनाया जाना चाहिए। यह योजना तमिलनाडु के सभी जिलों में आरम्भ की जानी चाहिए। हाल ही में विश्वविद्यालय तथा कालेज के अध्यापको के लिए एक आचार संहिता तैयार की गई है जिसमें यह निर्धारित गिया गया है कि उन्हें राजनीतिक गतिविधियो में भाग नहीं लेना चाहिए। यदि वे अपने हितों की रक्षा के लिए कोई ऐसोसियेशन या संघ भी बनाते हैं तो भी वह राजनीतिक गतिविधि समझी जायेगी। संहिता से यह बात हटा दी जानी चाहिए।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतरण।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

अखिल भारतीय छात्र महासंघ के छात्रों को कालेजों में दाखिला नहीं मिला है। इन छात्रों को कालेजों में दाखिला देने से मना करना उचित नहीं है। अधिक क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में मांग की गई है।

इस विषय में संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा नहीं तो क्षतिपूर्ति के भुगतान के इतने मामले न होते। अनेक इंजीनियरी कालिजों का उल्लेख भी किया गया है। इनके लिए जो भूमि अपेक्षित है, उसके लिए सरकार अपनी इच्छानुसार मुआवजा दे सकती है क्योंकि इस स्थान का उपयोग लोकहित के लिए किया जायेगा ।

**श्री आर० वी० स्वामिनाथन** (मदुरै) : कई जिलों में विशेषकर मदुराई, रामनन्द। तिन्नेवेल्ली तथा कन्याकुमारी में पीने के पानी की बड़ी जटिल समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। परिवहन निगमों को भारी घाटा हो रहा है। सरकार को इन सब निगमों के कार्यकरण की जांच करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि घाटा क्यों हो रहा है।

विभिन्न राज्यों में विक्रय कर की दरें भिन्न-भिन्न हैं। समूचे देश में विक्रय कर की दर समान होनी चाहिए। मोटर गाड़ी कर भी समूचे देश में समान होना चाहिए। इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

**श्री अरविन्द बाला पजनौर** (पांडिचेरी) : इन अनुदानों की मांगों के बारे में मैं केवल कुछ एक मामलो का उल्लेख करना चाहता हूं। तमिलनाडु के सम्बंध में कुछ सदस्यों ने कहा है कि वहां सूखे की स्थिति है और वास्तव में स्थिति ऐसी ही है। इस वर्ष तो खेती के लिए वहां जल उपलब्ध होने की कोईसंभावना नहीं है। अतः इस वर्ष वहां चावल का उत्पादन भी नहीं होगा। मात्र दौरे करने और भाषण करने से सूखे की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इसके हल के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जानी चाहिये ।

मेरा सुझाव है कि एक राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना की जाए और इसमें ईमानदार लोगों को रखा जाए ।

मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के मामले में अभी भी पहले ही के समान भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। अब क्योंकि तमिलनाडु में राष्ट्रपति का शासन है इसलिए केन्द्र इस दिशा में कदम उठाए ।

तमिलनाडु में अभी भी उत्साह की कमी का कारणहै, कई महत्वपूर्ण पदों पर श्री करुणानिधि के पिट्ठुओं का होना। अतः एक सतर्कता समिति बनाई जाए जो इन सब पर निगाह रखे। परन्तु इस प्रक्रिया में यह सावधानी बरती जाए कि निरपराध व्यक्तियों को दण्डित न किया जाए।

**Shri Ramavtar Shastri** (Patna): I would like to say only two things about the demands regarding Tamil Nadu. In the first instance, I draw the attention of the Central Government, as under President's rule they are the auhority there, towards the famine situation prevailing in 10—11 districts there. Government should not depend on the bureaucrats, because we all know how these people work.

Secondly more attention should be paid towards handloom weavers. They should be given more assistance.

Lastly the fate of non-teaching employees of Colleges and Universities should be improved. They should be treated at par with the rest of India. They should be treated as workmen so that they can get the benefit under the Industrial Disputes Act.

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : यह कहना सर्वथा गलत है कि सूखा की समस्या के हल के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि प्रत्येक आवश्यक और संभव कदम उठाया जाएगा।

श्री पजनौर ने कुछ बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं तथा उन्हें सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। हमें सामन्य स्थिति की स्थापना के लिए बुरों के स्थान पर अच्छे लोगों को रखना है।

राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत परिव्यय को 177 करोड़ से बढ़ा कर 201 करोड़ कर दिया गया है। इस प्रकार सरकार यह चाहती है तमिल नाडु जैसे ऐतिहासिक राज्य का विकास हो सके।

राज्य में 1976-77 के दौरान योजना के कुछ परिव्यय का 56 प्रतिशत 20 सूत्री कार्यक्रमों पर व्यय होगा। मोटे अनाज के मूल्य गिरे हैं। चावल का 4.78 लाख मी० टन का रिकार्ड स्टाक रखा गया है। इससे स्थिति में काफी सुधार आया है। वितरण व्यवस्था भी सुधरी है। इसको अतिरिक्त ऋण राहत अधिनियम 1976 पास करके निर्धन किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। इस से अनेकों बंधुआं मजदूरों को छुटकारा मिला है। हरिजनों तथा आवास-भूमि विहीन छोटे कारीगरों आदि को आवास स्थल दिए गये हैं। करअपवंचन रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं। प्रशासनिक व्यय में कमी की गई है।

सड़क परिवहन निगम जो अधिकतर घाटे पर चल रहे थे अब एक दो को छोड़ कर सब लाभ पर चल रहे हैं। घाटे पर चल रहे निगमों की ओर भी उचित ध्यान दिया जाएगा।

अखिल भारतीय योजना के आधार पर तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जिले में 100 सांध्य कक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं।

पुलिस अकादमी को वेल्लोर से मद्रास अच्छी भवन–सुविधाओं के कारण स्थानान्तरित किया गया है।

औद्योगिक संबंधों में पर्याप्त सुधार हुआ है। 31 जुलाई, 1976 तक एक भी तालाबंदी, हड़ताल आदि की घटना नहीं हुई। सरकार की नीति कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखने की है।

तमिलनाडु की सबसे बड़ी समस्या सूखा की है। वहां 10–11 जिले सूखा से प्रभावित हैं। आशा है इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी। सूखा राहत कार्य के लिए 7.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नियतन किया गया है। इससे सरकार ने पीने के पानी के लिए वृहत क्रम हाथ में लिया है। इसके अन्तर्गत सितम्बर 76 के अन्त तक 6300 गहरे कुएं गलाए जाएंगे। अब तक 4000 कुएं गलाए जा चुके हैं। पीने के पानी की सुविधा का प्रबंध करने के लिए नगरपालिकाओं और पंचायतों को अनुदान दिए गये हैं। हाथ के पम्पों और बिजली से चलने वाले पम्पों को चालू हालत में रखने के लिए 48 लाख रुपये रखे गये हैं।

इन सब बातों को देख कर सदस्य यह जानेंगे कि तमिलनाडु सरकार ठीक काम कर रही और प्रगति की ओर अग्रसर है।

सभापति महोदय द्वारा तमिलनाडु की वर्ष 1976–77 की निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक माँगें अनुदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

**The following supplementary Demands for Grants in respect of Tamil Nadu for the year 1976-77 were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| 9 | राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय का स्टाफ | 12,97,000 | --- |
| 12 | तमिलनाडु धार्मिक और पूर्त अक्षय निधि अधिनियम 1959 का प्रशासन . . | 1,50,000 | ... |
| 15 | पुलिस . . . | 9,09,000 | ... |
| 17 | शिक्षा . . . | 4,80,000 | ... |
| 18 | चिकित्सा . . . . | 11,27,000 | ... |
| 19 | लोक स्वास्थ्य . . . | 5,07,23,000 | .. |
| 20 | कृषि . . . . | 1,12,37,000 | |
| 21 | मीन उद्योग . . . . | 5,00,000 | ... |
| 22 | पशु पालन . . . . | 2,05,000 | ... |
| 23 | सहकारिता . . . . | 5,45,000 | ... |
| 24 | उद्योग . . . . | 44,16,000 | ... |
| 29 | श्रमिक और कारखाने . . | 11,96,000 | |
| 30 | समाज कल्याण . . . | 12,00,000 | ... |
| 31 | अनुसूचित जन जातियों और अनुसूचित जातियों का कल्याण | 4,40,000 | |
| 39 | सड़कें और पुल . . . | 1,00,00,000 | |
| 41 | देवी विपत्तियों के कारण सहायता . . | 8,48,000 | ... |
| 43 | विविध . . . . | 6,02,000 | ... |
| 50 | औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय | ... | 1,44,75,000 |
| 51 | सिंचाई पर पूंजी परिव्यय . | ... | 1,000 |
| 52 | लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय इमारतें | ... | 30,70,000 |
| 56 | विविध पूंजी परिव्यय . . . | ... | 22,79,000 |
| 57 | राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम | ... | 1,95,93,000 |

## तमिलनाडु विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976

## TAMIL NADU APPROPRIATION (No. 3) BILL, 1976

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**श्रीमती सुशीला रोहतगी** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

मैं प्रस्ताव करती हूं : "कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**सभापति महोदय** : अब हम खंडवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"खंड 2 से 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 2 से 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 2 to 3, the Schedule, Clause I, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.**

**श्रीमती सुशीला रोहतगी** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :" "कि विधेयक पारित किया जाए"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी), 1976–77

## Supplementary Demands for Grants (Pondicherry, 1976-77)

**सभापति महोदय** : अब हम संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के संबंध में वर्ष 1976–77 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेंगे ।

**पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की वर्ष 1976-77 की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की गईं**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि | |
|---|---|---|---|
| | | रुपए | रुपए |
| 6 | राजस्व . . . . | 1,15,000 | ... |
| 16 | सेवा निवृत्ति लाभ . . . | 3,15,000 | ... |
| 18 | शिक्षा . . . . | 15,81,000 | ... |
| 19 | चिकित्सा . . . . | 4,00,000 | ... |
| 23 | सहकारिता . . . . | 1,68,000 | 7,13,000 |
| 25 | कृषि . . . . | 87,000 | ... |

*श्री ए० कतामुतु (नागापट्टिनम) : नसबंदी के व्यय के लिए 4 लाख रुपये रखे गये हैं । मेरा अनुभव है कि बहुत कम लोग अध्यापकों और ग्राम सेवकों के प्रोत्साहित करने पर भी इसके लिए आगे आते हैं ।

पांडेचेरी में लंबे समय से तापीय बिजली केन्द्र की मांग की जा रही है । मैं चाहता हूं इन अनुपूरक मांगों में इसके लिए कुल उपबंध किया जाए ।

**श्री अरविन्द बाला पजनीर** (पांडिचेरी) : नगरपालिकाओं के चुनाव लंबे समय से पता नहीं क्यों टाले जा रहे हैं । ये अनुपूरक मांगें 14 लाख की हैं, जो बहुत ही कम हैं । राज्य में हो रही प्रगति से हम संतोष नहीं । वहां लोग अब भी यही सोचते है कि हम पर फ्रांसीसियों के समान अब भी कोई बाहरी शक्ति राज्य कर रही है । हमें 20 सूत्री कार्यक्रम में उनका सहयोग लेना चाहिए, जिससे उन्हें अनुभव हो कि वे भी इस देश का ही अंग हैं ।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराए जाएं ।

कुछ समय बाद यह समाप्त कर दो गयी और पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई । ये पुराने लोग जो पार्षद, चेयरमेन और सचिवों के पदों पर आसीन थे, उन्होंने नई विचारधारा के बारे में कभी सोचा ही नहीं था । वहां के अधिकारियों को जनता का सहयोग नहीं मिला क्योंकि वे पुरानी विचार धारा के ही लोग थे । पांडिचेरी नगरपालिका के चुनाव 30 या 60 दिन के भीतर कराये जाने चाहिये ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण

Summarised translated version based on English translation of the speed delivered in Tamil.

जहां तक परिवार नियोजन कार्यक्रम का संबंध है, यह एक अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन जबरदस्ती की शिकायतें मिली हैं। हमें सरकारी कर्मचारियों पर लोगों की नसबंदी कराने हेतु लोन के लिये दबाव नहीं डालना चाहिये। वस्तुत: सभी स्कूल अध्यापकों को कहा गया है कि प्रत्येक अध्यापक और आया कम से कम एक व्यक्ति लायें। डाक्टरों से तीन व्यक्ति लाने के लिए कहा गया है। लोगों पर इस प्रकार दबाव डालना उचित नहीं है। हमें लोगों को इस कार्यक्रम की भावना के प्रति जागरूक रखना है कि कहीं पर की गई छोटी सी गलती से समूची व्यवस्था बदनाम हो जाती है। लोग समझते हैं कि समूचा 20 सूत्री कार्यक्रम ही खराब है। अत: मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान दे और स्थिति को सुधारे।

जिस राज्य का मैं रहने वाला हूं वहां केवल एक ही मेडिकल कालेज है। 1954 में जब हमारा विलय हुआ था उस समय हमारे प्रिय प्रधान मंत्री नेहरू ने हमें आश्वासन दिया था कि कम से कम 15 स्थान पांडिचेरी के निवासियों के लिये रखे जायेंगे लेकिन यह आश्वासन पूरा नहीं किया जा रहा है। पांडिचेरी के निवासियों को दाखला नहीं मिल रहा है। पांडिचेरी के निवासियों के बहाने से कुछेक प्रोफेसरों के लड़कों या उनके सम्बन्धियों को दाखले मिलते हैं। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

कुछ समय पहले मैंने उन 30 डाक्टरों का मामला उठाया था जिन्हें अस्पतालों में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। तदनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने अन्य राज्यों से डाक्टरों का चयन किया। अनेकों ने पांडिचेरी अपने से इन्कार कर दिया। मेरे भाषण के बाद कुछ समय के लिये उन डाक्टरों को नौकरी से नहीं हटाया गया। फिर बाद में इन डाक्टरों से कहा गया कि उन्हें इसका मजा चखना होगा क्योंकि उनके प्रतिनिधि ने लोकसभा में मामला उठाया है। उन्होंने 6 डाक्टरों को नौकरी से निकाल दिया जबकि वास्तव में वहां डाक्टरों के तीन स्थान और खाली पड़े थे। ये डाक्टर पांडिचेरी के ही निवासी हैं। यदि हम ही इन योग्य डाक्टरों को नौकरी पर नहीं रखेंगे तो इन्हें और कौन नौकरी देगा? मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये।

पता नहीं इस विश्वविद्यालय का क्या होगा। यहां अब विश्वविद्यालय बनाने का सुअवसर है। पांडिचेरी में भूमि बहुत ही सीमित है। यदि पांडिचेरी के लोगों को भूमि वितरित की जाये तो प्रत्येक व्यक्ति को 10 सेंट भूमि नहीं मिलेगी। अत: हमारे राज्य में कृषि सुधार के लिए वैज्ञानिक ढंग से कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये। कारायकल समूचे पांडिचेरी राज्य का अन्न भण्डार है लेकिन वहां जल का अभाव है। निस्सन्देह सरकार भूमिगत पानी की खोज करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है परन्तु कारायकल में पर्याप्त पानी नहीं है। सरकार इसे गम्भीरता से ले तथा इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करे।

पानी वितरण सम्बन्धी होने वाली वार्ता में पांडेचेरी के प्रतिनिधि को भी रखा जाये। तभी वे अपनी बात आगे रख सकेंगे। पांडिचेरी में कम से कम एक न्यायिक आयुक्त का न्यायालय स्थापित किया जाये। सरकार के सामने उसकी स्थापना के लिये क्या अड़चन है। मंत्री महोदय इसकी जांच करें।

उप-न्यायाधीशों और जिलाधीशों का भी अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण किया जाये। एक न्यायाधीश के एक स्थान पर 20 या 30 वर्ष तक लगातार रहने से लोगों को उचित न्याय नहीं मिल सकता। यदि संविधान में उनका स्थानान्तरण अन्य राज्यों में किए जाने की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाए। इससे समस्या हल हो जायेगी। इस ओर ध्यान दिया जाये।

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : पांडेचेरी के सदस्य द्वारा उठाई गई सभी बातों पर गौर किया जाएगा। हम यथाशक्ति सहायता देने का प्रयत्न करेंगे।

जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध है पांडेचेरी में इसे लागू किया जा रहा है। परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्य विशेष रूप से अच्छा हुआ है। राज्य ने लगभग लक्ष्य से अधिक काम करदिखाया है। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें जबरदस्ती की गई हो। फिर भी सरकार की जबरदस्ती करने की कोई नीति नहीं है। इसमें सफलता भी नहीं मिल सकती क्योंकि यह तो स्वैच्छिक आन्दोलन है।

**सभापति महोदय : पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की वर्ष 1976–77 की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :**

**The following supplementary demands for grants in resepect of the Union Territory of Pondicherry were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्ष | राशि | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| 6. | राजस्व | 1,15,000 | — |
| 16. | सेवा निवृत्ति लाभ | 3,15,000 | — |
| 18. | शिक्षा | 15,81,000 | — |
| 19. | चिकित्सा | 4,00,000 | — |
| 23. | सहकारिता | 1,68,000 | 7,13,000 |
| 25. | कृषि | 87,000 | — |

## पांडिचेरी विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976

## PONDICHERRY APPROPRIATION (No. 3) BILL, 1976

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**श्रीमती सुशीला रोहतगी :** मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**सभापति महोदय :** अब हम खण्डवार चर्चा करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2-3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**खण्ड 2-3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 2-3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.**

**श्रीमती सुशीला रोहतगी :** मैं प्रस्ताव करती हूं ।

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक पारित किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

## बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

## और

## ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

## BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY, (NATIONALISATION) BILL

## and

## BRATHWAITE AND COMPANY (INDIA) LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL.

**निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : मेरा सुझाव है कि मत संख्या 15, 16 को एक साथ ले लिया जाए क्योंकि दोनों का विषय एक प्रकार से समान ही है ।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश की अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्धकरने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि देश की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इन विधेयकों पर चर्चा शुरू किये जाने से पहले मैं संक्षेप में इन उपक्रमों के अर्जन की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहता हूं । राष्ट्रपति ने 23 जून 1976 को बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश 1976 और ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश 1976, नामक दो अध्यादेश जारी किए। इसके द्वारा इन उपक्रमों की तीन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उपक्रमों का कार्यभार संभालने के लिए अभिरक्षक नियुक्त किए गए तथा इनका कार्य चलाने के लिये शीघ्र ही कम्पनियों का गठन किया जाएगा ।

देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लगी बर्न एण्ड कम्पनी लि० 1966–67 तक ठीक प्रकार काम कर रही थी लेकिन बाद में उसमें गिरावट आने लगी। उनका वित्तीय दिवाला निकल गया तथा तुरन्त बन्द किए जाने का खतरा पैदा हो गया। तथा सरकार को संसद के एक अधिनियम के द्वारा 19 दिसम्बर, 1978 को इनका प्रबन्ध अपने हाथ में लेना पड़ा। उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रीयकरण होने तक इनका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जा रहा है। इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण सामान का उत्पादन करने वाली ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी

(इण्डिया) लि० में भी गिरावट आने लगी थी तथा 1971 में उपक्रम बन्द हो गया। शीघ्र जांच के बाद सरकार आगे आई और मार्च, 1971 में इसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत कम्पनियों के कार्यकरण में समुचित सुधार हुआ है किन्तु दुर्भाग्यवश अलाभप्रद आर्डरों के आधार पर सरकार और बैंको द्वारा भारी ब्याज दरों पर जो ऋण दिया गया था उसके कारण वित्तीय व्यवस्था में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में सरकार ने 23 जून, 1976 को एक अध्यादेश जारी किया जिसमें सभी उपक्रमों को 1-4-1975 से अधिगृहीत माना गया।

उपक्रमों की तीनों कम्पनियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार ने पूर्ण और पर्याप्त उपबन्ध किए हैं। कोई भी व्यक्ति जोकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 'कर्मकार' की श्रेणी में आता है तथा किसी उपक्रम में 1-4-1975 से पहले नौकरी कर रहा है उसे इन विधेयकों के अन्तर्गत बनने वाली सरकारी कम्पनी का कर्मचारी माना जाएगा। उसे पेंशन उपदान तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

कोई भी व्यक्ति जोकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत कर्मकार की श्रेणी में नहीं आता लेकिन जो किसी भी उपक्रम में 1-4-75 से पहले नौकरी कर रहा है वह अपने पद पर अथवा सेवा में उसी अवधि के लिए बना रहेगा तथा उसे समान वेतन प्राप्त होगा और उस पर समान शर्तें भी लागू की जाएंगी तथा पेंशन, उपदान और अन्य मामलों के सम्बन्ध में उसें वही अधिकार व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

विधेयक में बर्नआई ०एस ०डब्ल्यू के लिए की गई 25.23 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था तथा ब्रेथवेट को भुगतान के लिए दी जाने वाली 16.25 करोड़ रुपये की राशि के बारे में काफी विचार विमर्श करके ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है। हमने उपक्रमों की आस्तियों और देयताओं और सुधार तथा विकास के लिए उनमें कितनी क्षमता है इन सभी पहलुओं पर विचार किया है। बर्न आई०एस०डब्ल्यू के मामले में सरकार भ्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 वाला ढांचा अपना सकती थी और भुगतान के मामले में प्राथमिकताओं का वही क्रम अपना कर भुगतान आयुक्त से भुगतान करा सकती। थी। ब्रेथवेट के मामले में 16.25 करोड़ रुपये की राशि से सरकारी ऋणों का भी भुगतान होना मुश्किल है जोकि लगभग 22.95 करोड़ रुपये के करीब है। अतः प्राथमिकताओं की योजना थोड़े भिन्न ढंग से तैयार करनी होगी ताकि प्रबन्ध कार्य को हाथ में लेने के बाद श्रमिकों के हितों पर कुप्रभाव न पड़े।

सरकार ने उपक्रमों के दायित्वों तथा उनके सुधार एवं विकास की क्षमता को देखते हुए बहुत उद्देश्यपूर्ण एवं संगत कार्यवाही की है। हर मामले पर विचार किया गया है और यह प्रयास किया गया है कि कर्मचारियों को उनकी देय राशि प्राप्त हो। मैं आशा करता हूं सभी माननीय सदस्य इन विधेयकों का समर्थन करेंगे।

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन

[सभापति महोदय]

कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएं ।"

"कि देश की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरीमपुर)** : मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं। यह सच है कि यह कम्पनियां रेलवे के लिए वैगनों का निर्माण कर रही थी। उनके उत्पादन में भारी गिरावट आ रही थी अतः सरकार को आगे बढ़कर इन कम्पनियों के प्रबन्ध कार्य को अपने हाथ में लेना पड़ा। इन विधेयकों का समर्थन करते हुए मैं मन्त्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। सरकार ने अपने अधिकार में लेने के पश्चात वेतन छुट्टी मंजूरी आदि के भुगतान की जिम्मेदारी ले ली है। किन्तु जहां तक अधिकार में लेने से पूर्व की अवधि का सम्बन्ध है, सरकार श्रमिकों की देय राशियों के भुगतान की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार उन बड़ी राशियों बट्टे खाते में डालने के लिए तैयार है जोकि कम्पनी ने बैंक आदि से ऋण के रूप में ली है। कर्मचारियों की उस राशि का क्या होगा जो इन्होंने सरकार द्वारा कम्पनी को अधिकार में लेने से पूर्व अपनी भविष्य निधि आदि में जमा की थी ?

मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीयकृत कारखानों में उन कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें ज्यों की त्यों रहेंगी। किन्तु मुख्यालय के कर्मचारियों का क्या होगा ? क्या वे अपनी अपनी कम्पनियों के मुख्यालयों में ही कार्य करते रहेंगे या उनकी छटनी कर दी जाएगी। यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए।

अपने अधिकार में लेने के बाद की अवधि के लिए कम्पनियों की देयताओं को निपटाने के लिए भुगतान के रूप में एक बहुत बड़ी राशि ली जा रही है । यदि शेयर धारियों को कुछ दिया जा रहा है तो मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं। क्योंकि मार्टिन एण्ड बर्न की दस बड़ी कम्पनियों में से यह एक कम्पनी है जिसने बड़े पैमाने पर अंशधारियों तथा सरकार का पैसा हड़पा है। कम्पनियों या उनके अंशधारियों को एक भी पाई क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं दी जानी चाहिए।

इन कम्पनियों में महत्वपूर्ण पदों पर भी अपने ही आदमियों को नियुक्त किया जाता है चाहे वह उस पद के योग्य हो न हो। राष्ट्रीयकरण के पश्चात उन्हीं लोगों को इन्हें चलाने का कार्यभार सौंपा जाएगा। अतः सरकार को पूरी तरह सतर्क होना चाहिए और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उन लोगों को उन पदों पर कार्य नहीं करने देना चाहिए।

इन दो कम्पनियों का प्रमुख ग्राहक रेलवे है। रेलवे इन एककों के लिए जो मूल्य देता है वह किसी भी हालत में लाभप्रद नहीं है। जब तक सरकार इस मामले पर रेल मन्त्रालय के साथ बातचीत नहीं करती और कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक यह कहना कठिन है कि राष्ट्रीकरण के पश्चात भी कम्पनी का भविष्य क्या होगा।

उत्पादन में विविधीकरण की आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिए तकनीकी जानकारी रखने वाले सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। साथ ही मूल्य ढांचे में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान उत्पादन प्रणाली के साथ भी ये संयंत्र प्रगति कर सकें। यदि प्रबन्ध व्यवस्था कटिबद्ध नहीं है और यह इस उद्योग का विकास राष्ट्रीय सम्पत्ति जानकर नहीं करता तो फिर हम बेहतर परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते।

जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है ये न तो मार्टिन एण्ड बर्न कम्पनी में अच्छे हैं और न ही आई० एस० डब्ल्यू० कम्पनी में। प्रबन्ध व्यवस्था के कारण ही वहां औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़े हैं। ब्रेथवेट के सिविल एकक में कार्यकाल के दौरान प्राधिकारियों की उपस्थिति में तीन व्यक्ति मर गए और कई घायल हुए। इस घटना के पश्चात दोष-पत्र जारी किए गए और निर्दोष कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। सी०आई०टी०यू० संघ के चार नेताओं को दोष पत्र जारी किए गए। परामर्शदात्री समिति के माध्यम से यह मामला मन्त्रालय के ध्यान में लाया गया। मैं जानना चाहता कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

आप को यह सुनकर हैरानी होगी जब कर्मचारियों को बोनस या कुछ और भुगतान किया जाता है तो इस प्रकार के नेता द्वार पर जबर्दस्ती उनसे चन्दा लेते हैं और यदि कोई कर्मचारी उन्हें पैसा देने से इन्कार करता है तो उसे परेशान किया जाता है और प्रबन्धक वर्ग भी उसकी कुछ सहायता नहीं करता। प्रबन्धक वर्ग एसे बदमाशों की हमेशा सहायता करता है। हावड़ा बर्न आई० एस० डब्ल्यू० और बेथवेट के दोनों एककों का यही हाल है।

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कब जारी रख सकते हैं।

**तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 अगस्त, 1976/2 भाद्र, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, August 24, 1976/Bhadra 2, 1898 (Saka).**



म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस० III 1735. एल०एस०—22.9.76-200